खण्ड-194, अंक-3
शुक्रवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1880
(28 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 194 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २८ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३३१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्बुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण भाजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तर सिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल , श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
त्रिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री

दीनदयालु कश्यप, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
ह्रसिंह मेहता, श्री

यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (बीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

(श्री परमात्मानन्द सिंह, उपमंत्री, भी उपस्थित थे।)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २८ मार्च, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हरदोई जिले में सांडी नगरपालिका के चुनाव का आयोजन

**१—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि सांडी नगरपालिका (जिला हरदोई) का चुनाव कब होगा ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—यहां मई-जून, १९५८ में चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है ।

**२—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सांडी नगरपालिका में मतदाताओं की संख्या कितनी है और कितने वार्ड बनाये गये हैं तथा कितने सदस्य निर्वाचित होंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मतदाताओं की संख्या ४,७०० के करीब है और बोर्ड के लिये निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या १६ होगी। अभी वार्डों की संख्या अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुई है पर सम्भवतः ६ वार्ड होंगे ।

बुलन्दशहर जिले के डिबाई परगने में बधराओं के आतंक की शिकायत

**३—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगना डिबाई, जिला बुलन्दशहर, में बधराओं का जोर है और कितने ही बच्चों को खा लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके मारने का क्या प्रबंध किया है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—डिबाई तहसील से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको बधराओं के आने की सूचना है और बच्चों को खाने की सूचना नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उस तहसील में ऐसा कोई घपला नहीं है । शिकारपुर तहसील से कुछ खबरें आई हैं जिसके लिये वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने शिकारी पुलिस की नियुक्ति कर दी है । डिबाई तहसील से ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इसको सूचना मान कर इस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मालूम कर लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इत्तिला दी है कि शिकारपुर तहसील से तो ऐसी सूचना आई है लेकिन डिबाई तहसील से ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि शिकारपुर में जो शिकारी पुलिस तैनात की गई है उन लोगों ने बधराओं को देखा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—शिकारी पुलिस तैनात कर दी गई है, आगे पता नहीं है कि क्या हुआ ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकारपुर और डिबाई तहसील की सरहद मिली हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह भूगोल के देखने से पता चलेगा ।

श्री हिम्मतसिंह—जिला बुलन्दशहर में शिकारपुर और डिबाई कोई तहसील नहीं हैं, क्या सरकार को इसका पता है ?

श्री अध्यक्ष—आपको इसका ज्यादा पता होगा ।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकारपुर में कितने बच्चे खा लिये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अब इसकी पूरी सूचना मेरे पास नहीं है क्योंकि टेलिफोन से बातचीत करके थोड़ा सा मालूम था ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में घाघरा के बाढ़ वाले क्षेत्र में फसल जायद बोने तथा जूट उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार आजमगढ़ जिले के उत्तरी भाग के घाघरा नदी के दिवारे में जो अक्सर बाढ़ से पीड़ित रहता है किसी ऐसी फसल बोने का प्रयोग करने की कृपा करेगी कि वह फसल बाढ़ आने के पहले कट जाया करे या पहले बो देने से बाढ़ उस फसल की हानि न कर सके ?

कृषि मन्त्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—आजमगढ़ के उत्तरी भाग के घाघरा नदी की दिवारे में जहां बहुधा बाढ़ आ जाया करती है किसानों को ऐसी फसलें बोने के लिये बताई जाती हैं जो बाढ़ आने से पहले पक सके । इसमें जायद की फसलें जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज इत्यादि बोई जाती हैं जो बाढ़ आने से पहले कट जाती हैं । इन जमीनों में जनवरी के महाने में चीनार सावां भी बोया जा सकता है जो बाढ़ आने से पहले कट जाता है । इसके अतिरिक्त जल्दी पकने वाली फसलें जैसे मूंग नं० १ टिपकिया मक्का आदि मार्च में बोकर मई, जून तक काटी जा सकती है जो बोने के उपरान्त ६० दिन के अन्दर ही पक जाती हैं । जल्दी पकने वाली धान की किस्मों का बेड़न अप्रैल में डाल कर खेत में बैठा देने से बाढ़ आने से पहले जुलाई के अन्त तक काटी जा सकती हैं ।

जड़हन धान टाइप ८८ तथा टाइप १०० ऐसी किस्में हैं जिनकी बेड़न किसान मई में डाल कर जून के अन्त तक खेत में बैठा दे तो वह इतनी बढ़ जायगी कि साधारण बाढ़ इन धान की किस्मों को हानि नहीं कर सकेगी ।

उपरोक्त सभी फसलों के बीज कृषि विभाग द्वारा किसानों को दिये जा रहे हैं ।

*२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार आजमगढ़ के घाघरा नदी के उपर्युक्त दिवारे में जूट की फसल पैदा करने की व्यवस्था तथा इसकी तरफ लोगों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—घाघरा दिवारा तहसील कोइली, जिला आजमगढ़, में जूट विकास का कार्य सन् १९५० ई० से चल रहा है । किसानों की सहायता एवं सुविधा हेतु दो जूट विकास केन्द्र (१) सूरजपुर, जिला आजमगढ़, (२) बिल्थरारोड, जिला बलिया में उस समय से स्थापित किये गये हैं । इन केन्द्रों पर जूट कर्मचारी स्थायी रूप से नियुक्त हैं और इस क्षेत्र में जूट विकास का कार्य कर रहे हैं । इन केन्द्रों में उन्नत बीज का वितरण किया जाता है; किसानों

को प्रोत्साहन देने के हेतु उन्नत बीज के मूल्यों में ५० प्रतिशत तक की छूट सरकार की ओर से दी जाती है। कीड़ों एवं रोगग्रस्त जूट के पेड़ के लिये सरकारी व्यय पर दवा और यंत्र कर्मचारी किसानों को देते हैं। जूट बोने की विधि काटना, सड़ाना, रेशा निकालना और धोना ये सभी कार्य जूट कर्मचारी किसानों को बताते हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सगड़ी तहसील के दिवारे में महवा से लेकर जड़वागर तक २० मील के क्षेत्र में एक भी जूट विकास केन्द्र न खोलने का क्या कारण है; और क्या वह वहां विकास केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जो नाम बताये गये हैं उनका ही मुझे पता नहीं है कि वह कहां है और उस एरिया में कोई जूट फार्म है भी या नहीं। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या इस क्षेत्र में सन् १९५० में रानापार में कोई जूट केन्द्र था और बाद में उसे तोड़ दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे इसकी इत्तला नहीं है। संभवतः मेरे मित्र कहते हैं तो रहा हो और बाद में तोड़ दिया गया हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जड़हन धान का जो बीज बांटा जा रहा है वह किसके द्वारा दिया जा रहा है और पिछले साल दिया गया था या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह संभवतः सीड स्टोर से दिया जाता है और पिछले साल के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

बच्चों के 'रेस्क्यु होम', कानपुर, को देहरादून में कायम करना

*३---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर में बालकों के लिये कोई Rescue Home खुला है ?

समाज कल्याण उपमन्त्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)---कानपुर में निराश्रित बच्चों के लिये एक गृह खोला गया था जिसे कि अब सोशल ऐन्ड मारल हाईजीन एन्ड आफ्टर केअर सर्विसेज स्कीम के अन्तर्गत आफ्टर केअर होम फार मेन (After-care Home for Men) बना दिया गया है।

*४---श्री गनेशीलाल चौधरी---यदि हां, तो उस Rescue Home में सरकार को सालाना कितना धन खर्च करना पड़ता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---१९५६-५७ में निराश्रित बच्चों के लिये उक्त गृह पर कुल १६,३५३ रुपया खर्च हुआ और वर्तमान वित्तीय वर्ष में ३१ दिसम्बर, १९५७ तक १०,१२० रुपया खर्च हुआ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या माननीया मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि यह जो रेस्क्यू होम खोला गया है उसका किराया माहवारी कितना दिया जाता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---इस प्रश्न में तो बालकों की बाबत पूछा गया है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीया मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि इस रेस्क्यू होम पर, जिस पर १६,३५३ रुपया व्यय होता है, कितने बालक रखे गये हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---बच्चों की संख्या तो घटती बढ़ती रही। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें ५८ की संख्या में रहे।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीया मंत्राणी जी इस कथन का खंडन करने की कृपा करेंगी कि कानपुर से रेस्क्यू होम को हटाने की कोई योजना नहीं है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी हां, रेस्क्यू होम इस समय देहरादून में आफटर केयर स्कीम के अनुसार चला गया है ।

*५-७---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया, के कार्यालय में कलम रोको हड़ताल कराने का प्रयास

*८---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि गत २२ जनवरी को जिला देवरिया गन्ना अधिकारी के दफ्तर में कुछ व्यक्तियों ने कलम छीनकर दफ्तर का काम बन्द करने का प्रयास किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां । यह सही है कि गत २२ जनवरी को जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया, के कार्यालय में कुछ लोगों ने घुस कर दफ्तर के कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया तथा कर्मचारियों पर दबाव डाला कि वे काम करना बन्द कर दें। इसका मुख्य कारण यह बतलाया जाता है कि देवरिया चीनी मिल के कुछ क्रय केन्द्रों पर गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी कराने के लिये यह विरोधी प्रदर्शन किया गया ।

*९---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त काम बन्द करने का प्रयास करने वालों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---पुलिस के तात्कालिक हस्तक्षेप से उक्त व्यक्ति कार्यालय से बाहर निकाल दिये गये ।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आफिस में घुसकर कलम छीनकर प्रयास करने वाले लोग किसी राजनैतिक दल विशेष के थे ? यदि हां, तो वह कौन सा दल था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसमें सर्वदलीय सम्मेलन था ।

श्री मदन पांडेय---क्या यह आंदोलन पूर्व सूचना देकर सत्याग्रह के रूप में किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जब पुलिस भी वहां पहुंच गई तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास क्यों नहीं किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उन लोगों ने अपनी गलती महसूस की और रिपैन्टेन्ट महसूस किया और वहां से चले गये ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि उन्होंने अपनी रिपैन्टेन्स किस प्रकार से जाहिर की या गलती लिखकर दिखाई या माफीनामा मांगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उनके तर्जेअमल से और शकलों से पता चला कि वे शर्मिन्दा हैं ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एकाध आदमी का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---चन्द्रिका सिंह जी, रामकृष्ण विशारद और बनबहादुर तिवारी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, जरूर थे ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को पता है कि कलम छीनने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित हुआ था और वे लोग इसलिये छोड़ दिये गये कि वे कांग्रेस पार्टी के थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह बात गलत है ।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि इसी प्रकार का सत्याग्रह आयोजित करने की सूचनामात्र देने वाले लोग कुछ दिन पहले गिरफ्तार किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी को मालूम है कि उनमें जिन लोगों ने अफसोस जाहिर किया वे केवल कांग्रेस के ही थे, और नहीं थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मेरी इत्तिला है कि सभी बड़े नादिम हुए ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि जिन तीन व्यक्तियों के नाम यहां पढ़े गये वे सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---एक उनमें से कांग्रेस के हैं और दो औरों के हैं ।

*१०---श्री मदन पांडेय---[नवें गुरुवार में प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत २७ मार्च, १९५८ को उत्तर दिया जा चुका है ।]

महिलाओं के रोगों की परीक्षा के समय महिला परिचारिका की उपस्थिति के लिये सिविल सर्जन, आजमगढ़, का आदेश

*११---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन, आजमगढ़, ने १२ दिसम्बर सन् ५७ को पत्र संख्या ११/५७ द्वारा जिले के समस्त मेडिकल आफिसरों को इस प्रकार का आदेश दिया है कि महिलाओं के रोगों की परीक्षा महिला कर्मचारी की उपस्थिति ही में की जाय । यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---सिविल सर्जन के आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है । कथित आदेश में प्रयुक्त इंगलिश शब्द फीमेल अटेन्डेन्ट का अर्थ महिला कर्मचारी नहीं प्रत्युत महिला परिचारिका है जिसका कर्मचारी होना आवश्यक नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३५ पर)

*१२---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन अस्पतालों में महिला कर्मचारी हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---आजमगढ़ के जिला व महिला चिकित्सालय तथा महिला अस्पताल, मऊ, में महिला कर्मचारी नियुक्त हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या महिला कर्मचारी के अभाव में इस आदेश के मुताबिक मेडिकल आफिसर महिलाओं के रोगों की परीक्षा नहीं करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---करेंगे लेकिन अगर साथ में कोई स्त्री हो तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस आदेश को भेजने की सरकार को क्या जरूरत पड़ी ? क्या कोई शिकायतें आई थीं या सरकार ने स्वतः भेजा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार ने नहीं भेजा, सिविल सर्जन ने जारी किया।

कानपुर के कुछ अस्पतालों में बरातें ठहरने के लिए आज्ञा मांगना

*१३—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सही है कि आई० डी० अस्पताल गुटैया, कानपुर, व मेडिकल कालेज, कानपुर, में ३० नवम्बर व ३ दिसम्बर, १९५७ के बीच बारातें ठहराई गईं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी नहीं।

*१४—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त स्थानों में बारात ठहराने के हेतु स्वास्थ्य विभाग के संचालक से लिख कर अनुमति मांगी गई थी ? यदि हां, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—बारात ठहराने की अनुमति मांगी गई थी किन्तु संचालक ने नहीं दी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बतावेगी कि किसने यह बारात ठहराने की अनुमति मांगी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक डाक्टर माथुर हैं, उन्होंने मांगी थी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि संचालक ने कहा था कि पूछो मत और जरूरत पड़ने पर काम कर लिया करें क्योंकि लिखित आदेश बारातों के लिये नहीं दिया जा सकता ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका जवाब "नहीं" है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार संचालक के उस पत्र को पढ़ने की कृपा करेगी जो उन्होंने उत्तर में लिखा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह पत्र मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या संचालक महोदय का यह कहना है कि लिखित रूप में बारात नहीं ठहराई जावेंगी चाहे मौखिक अनुमति लेकर ठहरा लें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बारात कम्पाउंड में टेन्ट और छोलदारी लगाकर ठहरी थी, किसी इमारत में नहीं ठहरी।

श्री राजनारायण—क्या किसी अस्पताल के कम्पाउन्ड में कोई बारात बिना इजाजत के ठहरा सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह डाक्टर उस कम्पाउन्ड में एक मकान में रहते हैं, यह इसमें खास बात थी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या इन बारातों में वर या वधू या दोनों पक्षों की ओर से स्वास्थ्य उपमंत्री आमंत्रित थे और वे समारोहों में शामिल हुये थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं गये थे।

*१५-१७—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

"सरकारी गन्ना समिति, शाहजहांपुर" के कर्मचारियों का वेतन बाकी रहना

*१८—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि "सरकारी गन्ना समिति, शाहजहांपुर" के seasonal कर्मचारियों को जून, १९५७ का वेतन सितम्बर, १९५७ तक नहीं दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां ।

*१९—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जून का वेतन न देने के बावजूद भी उन seasonal कर्मचारियों में से अधिकांश को काम से भी अलहदा कर दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां ।

श्री देवनारायण भारतीय—जब जून में उनका काम समाप्त कर दिया गया और उन्हें काम से अलहदा कर दिया गया तो दिसम्बर तक उनका वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मई तक हमेशा बजट बनता है । मई के बाद काम करना पड़ा । बजट में कोई प्रावीजन नहीं था । उसके बाद बजट स्वीकृत होने पर दिया गया । इस वजह से देर हुई ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को सूचना है कि उनसे जून में काम छोड़ने के लिये कहा गया था और सितम्बर तक उनसे काम लिया गया और वेतन केवल जून तक का ही दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी इत्तला नहीं है ।

राज्य में टी० बी० के अस्पताल

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन स्थानों पर तपेदिक (T. B.) के अस्पताल खुले हैं और उनमें कितने मरीजों के रहने का स्थान बनाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'स' आगे पृष्ठ ३३६-३३७ पर)

*२१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि टी० बी० के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या देखते हुये उसको रोकने के लिये कौन-कौन से उपाय किये गये हैं और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार टी० बी० के इलाज की सुविधा बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है । इसकी रोकथाम के लिये बी० सी० जी० के टीके लगाये जा रहे हैं और रोगियों की चिकित्सा के लिये टी० बी० की शय्याओं में वृद्धि की जा रही है । सन् १९४८ में इन शय्याओं की संख्या ३१७ थी और टी० बी० की रोकथाम पर कुल २२,७२९ रुपया प्रतिवर्ष व्यय होता था। अब शय्याओं की संख्या १,१३७ और व्यय ११,५४,४०० रुपया प्रतिवर्ष है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दो टी० बी० अस्पताल तथा २४ टी० बी० क्लीनिकें और खोलने का विचार है ।

कैन्सर के इलाज के लिए प्रबन्ध

*२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में कैन्सर की बीमारी से बहुत संख्या में मृत्यु हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीमारी को रोकने तथा इसके इलाज के लिये कोई उपाय किया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कैन्सर की बीमारी से मृत्युओं की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

२—इस बीमारी के इलाज के लिये निम्नलिखित संस्थाओं में सुविधा उपलब्ध है:

(१) सरोजिनी नायडू चिकित्सालय, आगरा, (२) लखनऊ मेडिकल कालेज, (३) कमला नेहरू स्मारक चिकित्सालय, इलाहाबाद और (४) लौबिट चिकित्सालय, रामनगर, वाराणसी ।

३—कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहबाद, में एक कैन्सर विंग बन गया जिसमें सरकार ने २,१९,७७० रुपया अनुदान दिया है। कानपुर मेडिकल कालेज में एक रेडियोलाजी और कैन्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना है जहां इस बीमारी के उपचार के उपायों पर अनुसंधान हो सके ।

हरदोई जिले में हरिजन कल्याण सम्बन्धी सहायता गलत आदमियों को मिल जाने की जांच

*२३—श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे सन् १९५७ में ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि हरदोई जिले में १९५६ तथा १९५७ में ऐसे लोगों के नाम से हरिजन ग्रांट्स ले ली गई है जिनके नाम का कोई आदमी उस गांव में ही नहीं रहता था ?

हरिजन कल्याण मन्त्री के सभा सचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—जी हां ।

*२४—श्री बुलाकीराम —क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उसको १९५७ में ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि हरदोई जिले में १९५६ तथा १९५७ में पुराने कुंयें मरम्मत करा कर नये कुंयें बनाने की पूरी हरिजन ग्रांट्स ले ली गई हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां ।

श्री बुलाकीराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये शिकायतें जनता की ओर से आई थीं या किसी अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह लिखा था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—एक अधिकारी साहेब ने जांच की थी और उन्होंने लिखा था ।

श्री बुलाकीराम—इस व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अभी जांच हो रही है । जांच समाप्त होने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामलाल (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आदमी हैं जिन्होंने इस ग्रांट को लिया और किस नाम के ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अभी यह निश्चय नहीं है । एक श्री सीताराम चमार थे, उन्होंने यह ग्रांट ली थी , उनकी ढूंढ़ हो रही है , अभी पता नहीं चल पाया है ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतायेगी कि उसने कितना रुपया लिया और वह किस जाति का था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जाति तो मैंने बता दी कि वह चमार थे । रुपये की ठीक इत्तला तो मेरे पास नहीं है लेकिन कदाचित पहली किस्त में उनको ३०० रुपया दिया गया था ।

*२५-२६—श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)—[प्रश्न संख्या १३५-१३६ अन्तर्वत २० मार्च, १९५८ को उत्तर दिया जा चुका है ।]

*२७—श्री गनेशीलाल चौधरी—[हटा दिया गया ।]

लखनऊ में शाप्स ऐण्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट के अधीन चालान

*२८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में १९५७ में Shops and Commercial Establishments Act, १९४७ के अन्तर्गत कितने दुकानदारों के चालान हुए थे ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)—१८ ।

*२९—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि उक्त चालानों में ऐसे भी दुकानदार हैं जिनके कोई नौकर न रखने पर भी हफ्ते में बाजार बन्दी के दिन दुकान खोलने तथा बाजार बन्दी के लिये नियत दिन के बजाय किसी दूसरे दिन दुकान बन्द रखने पर भी चालान किये गये थे ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

*३०—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत मास के प्रथम सप्ताह में उपर्युक्त प्रश्न नं० २९ में लिखे प्रकार के चालान के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के माननीय जज महोदय श्री ए० एन० मुल्ला ने जो यह निर्णय दिया है कि जो दुकानदार नौकर नहीं रखते उनको हफ्ते में बाजार बन्दी के दिन दुकान बन्द रखना जरूरी नहीं है उसका पालन करने के लिये क्या उसने सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह अभी विचाराधीन है ।

*३१-३३—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—[बसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

राज्य के पागलखानों में स्त्री पुरुषों का अनुपात

*३४—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के पागलखाने में कितने पागल हैं और पागलों में पुरुष और स्त्री का क्या अनुपात है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—कुल संख्या है १,३२० । अनुपात है पुरुष और स्त्री २·९:१ ।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बतायेगी कि प्रान्त में पागलखानों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आगरा, बरेली और वाराणसी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पागलखानों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पागलखानों की संख्या तो नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन पागलों की संख्या कम अवश्य करना चाहते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पागलों की संख्या सबसे ज्यादा बहराइच जिले में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बखिया में । (हंसी)

*३५—श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फतेहपुर सीकरी के निकट मोरली में पत्थर की खान में खमना मजदूर की कथित मृत्यु

*३६—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक १५ फरवरी को फतेहपुर सीकरी से कुछ दूर पर मोरली में एक पत्थर की खान में पत्थर तोड़ने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाली बारूद आदि में विस्फोट हो जाने के फलस्वरूप एक मजदूर खमना की मृत्यु हो गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

झांसी जिले के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों के व्यय तथा परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी

*३७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में कितने लेबर वेलफेयर सेन्टर कहां-कहां पर चल रहे हैं ? क्या उक्त सेन्टरों के प्रबन्ध के लिये जिले में कोई कमेटी है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—झांसी जिले में दो राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र चल रहे हैं । एक केन्द्र नई बस्ती में और दूसरा घौरा में है । इनके प्रबन्ध के लिये जिले में कोई कमेटी नहीं है ।

*३८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में जो लेबर वेलफेयर सेन्टर चल रहे हैं उन पर सन् १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में कितना रुपया किस सेन्टर पर किस-किस मद में खर्च हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—खर्च इस प्रकार है —

केन्द्र झांसी (१९५६-५७)

वेतन व भत्ता	विविध व्यय	योग
११,७६३-८-०	२,६८५-११-९	१४,४४९-३-९

वर्ष १९५७-५८ (जनवरी तक)

१०,२४०·२३	१,७२४·४६	११,९६४·६९

केन्द्र घौरा १९५६-५७

३,८९०-१४-०	५४२-१०-९	४,४३३-८-९

वर्ष १९५७-५८(जनवरी तक)

६,७७५.१६	६१५.५५	७,३९०·७१

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या इन सेन्टरों के लिये कोई परामर्शदात्री समिति है ? यदि हां, तो उसके सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन केन्द्रों पर कार्य के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये जिले के स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति है जिसके अध्यक्ष श्री के० सी० शर्मा हैं और सहायक हितकारी अधीक्षक, राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र, झांसी, इसके मंत्री हैं और सदस्यों में अध्यक्ष, जिला बोर्ड झांसी, अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, झांसी

और नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी झांसी हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के दो प्रतिनिधि श्री राज बहादुर जैन, अध्यक्ष, बीड़ी मजदूर यूनियन, झांसी, श्री कासीप्रसाद चौधरी, म्युनिसिपल कमिश्नर, झांसी हैं और नियोजकों के दो प्रतिनिधि श्री एस० एल० मेहरोत्रा, मैनेजिंग डाइरेक्टर, झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, झांसी और श्री प्रीतम कुमार, कंट्रैक्टर, झांसी हैं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब इस समिति में नगरपालिका और जिला बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, तो उस जिले का कोई विधायक उस क्षेत्र का इस योग्य क्यों नहीं समझा गया कि वह इस समिति में हो ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिन विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ये केन्द्र आते हैं उनको इनमें निश्चय रखा जायगा लेकिन यह सेंटर जिस क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र से माननीय स्पीकर महोदय असेम्बली के मेम्बर हैं, उनको उस समिति में रखना इसलिये उचित नहीं प्रतीत हुआ कि इतने बड़े स्तर की वह कमेटी नहीं है कि उसमें उनको रखा जाय। जहां तक दूसरे माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, यदि उनके क्षेत्र में कोई केन्द्र होगा तो निश्चय ही उनको उस समिति में रखा जायगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री लक्ष्मणराव कदम उसी सेंटर से पिछले समय में सदस्य रहे हैं, और वे झांसी शहर के एक समाजसेवी कार्यकर्ता हैं ? क्या सरकार उनको उस समिति में रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, एक सरकारी आज्ञा मई सन् १९५४ में निकली थी, जिसके अनुसार श्री लक्ष्मणराव कदम उसमें मेम्बर थे लेकिन अब मुझे डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसी को देखना पड़ेगा। तभी मैं कह सकता हूं कि श्री कदम उसमें हो सकते हैं या नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में चलने वाले लेबर वेलफेयर सेंटर्स किस-किस श्रेणी के हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—दोनों केन्द्र बी० श्रेणी के हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी श्रेणियों को उन्नत किया जायगा ? जो तृतीय श्रेणी के हैं उनको प्रथम या द्वितीय श्रेणी में किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैंने बतलाया कि वे बी० क्लास के तो हैं ही, उनको पहली श्रेणी में ले जाने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है ।

*३९—४१—**श्री बिहारी लाल** (जिला पीलीभीत)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४२—**श्री श्यामलाल** (जिला मथुरा)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

*४३—**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४४—**श्री चित्तरसिंह निरंजन** (जिला जालौन)—[हटा दिया गया ।]

गोरखपुर जिले के सदर अस्पताल में निम्न श्रेणी के कर्मचारी तथा वार्ड सिस्टर्स

*४५—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के सदर अस्पताल में कितने निम्न श्रेणी के नौकर हैं और इनमें कितने पिछड़ी जातियों के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोरखपुर जिले के सदर अस्पताल में निम्न श्रेणी के ४७ कर्मचारी हैं जिनमें ४३ पिछड़ी जातियों के हैं ।

*४६—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर सदर अस्पताल में कितने वार्ड मास्टर हैं, उनका वेतनक्रम क्या है और उन्हें क्या सुविधा प्राप्त है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय वहां कोई वार्ड मास्टर नहीं है ।

*४७—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के सदर अस्पताल और डफरिन अस्पताल में कितनी वार्ड मिस्ट्रेस हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सदर तथा डफरिन अस्पताल, गोरखपुर, में कोई वार्ड मिस्ट्रेस नियुक्त नहीं हैं बल्कि ८ वार्ड सिस्टर्स नियुक्त हैं ।

बिरहाना रोड, कानपुर का कथित सरकारी अस्पताल

*४८—श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बिरहाना रोड, कानपुर के अस्पताल की इमारत में कुछ वार्ड आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये रिजर्व करने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विरहाना रोड, कानपुर, में सरकार के पास अभी कोई अस्पताल नहीं है । अतः आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये वार्ड रिजर्व करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४९—श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस इमारत में कब से साज सज्जा लगा कर चिकित्सकों आदि को नियुक्त करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता ।

*५०—५२—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—[दसवें [शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मऊरानीपुर, जिला झांसी, के अस्पताल का प्रान्तीयकरण करने की प्रार्थना

*५३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार सन् १९५८-५९ में जिला झांसी में कौन-कौन से अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी किसी भी अस्पताल के प्रान्तीयकरण की मांग नहीं आई है । आने पर विचार किया जायगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर नगर हमारे जिले का एक प्रमुख नगर है और बारिश के दिनों में जिले से उसका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है, वहां के अस्पताल में बहुत अव्यवस्था है और दवाइयों की कमी रहती है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वे उसका प्रान्तीयकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मांग आने पर विचार किया जायगा ।

*५४-५५—श्री शोभनाथ—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६-५७—श्री गंगाप्रसाद सिंह—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५८—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[हटा दिया गया ।]

*५९—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६०-६१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—[हटा दिया गया ।]

*६३--६५--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६६-६७--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--[तेरहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में गजेटेड स्तर के वैद्यों की नियुक्ति के लिये निर्णय

*६८--श्री गौरीशंकर राय--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य के २६ प्रथम श्रेणी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये पी० एम० एस० २ की योग्यता के गजेटेड स्तर के डाक्टरों की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ? अगर हां, तो क्या यह निर्णय हर ऐसे चिकित्सालय में लागू कर दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--केवल १० राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पी० एम० एस० (द्वितीय) के समान वेतन क्रम में गजेटेड स्तर के वैद्यों की व्यवस्था करने का निर्णय किया है । यह निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस निर्णय के कार्यान्वित होने में क्या बाधा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी टर्म्स, कंडीशन्स तय करने हैं, नयी सर्विस केडर है, तो इसमें जरा कुछ समय लग जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय--यह कार्यान्वित करने का निर्णय कब हुआ और कब तक कार्यान्वित हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बिना वजह इस में देर नहीं लगेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी ४ दिन पहले उन्होंने मेरे एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि २६ प्रथम श्रेणी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये पी० एम० एस० २ की योग्यता के डाक्टर समकक्ष वेतनक्रम में रखे जायंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, दस का तो तय हो चुका है, १६ का सवाल अभी दरपेश है, गलत बात नहीं की गई थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि १६ पद का मामला जो अभी विचाराधीन है क्या उनके निर्माण का विचार सरकार कर चुकी है जैसा कि उस दिन कहा गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सम्भवतः हो चुका है, डिटेल्स अभी तय करने हैं ।

*६९-७०--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण दसवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ११६-११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७१-७२--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७३--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[तेरहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

धानापुर अस्पताल, जिला वाराणसी, में जच्चाखाना खोलने की प्रार्थना

*७४--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार जिला वाराणसी, तहसील चन्दौली के धानापुर अस्पताल में जच्चाखाना चालू करके पर बिचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस वर्ष जिला वाराणसी में चन्दौरी नामक स्थान पर एक प्राइमरी हेल्थ यूनिट खुलना स्वीकृत हुआ है। इसके अन्तर्गत इस ब्लाक में चार जच्चा-बच्चा तथा शिशु केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इनमें से एक चन्दौली में होगा तथा बाकी तीन ब्लाक के अन्य स्थानों पर जिला नियोजन समिति तथा जिलाधीश की सिफारिश पर खुलेंगे। यदि जिलाधीश तथा नियोजन समिति ने धानापुर की सिफारिश की तो इस पर अवश्य विचार किया जायगा।

*७५--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (अनुपस्थित)--[हटा दिया गया।]

*७६--७८--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७९--श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)--[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

अयोध्या शुगर मिल, बिलारी, जिला मुरादाबाद, का गन्दा पानी आरी नदी में गिरने से रोकने के लिये प्रार्थना

*८०--श्री शिवर जसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या शुगर मिल, बिलारी, जिला मुरादाबाद, का बचा हुआ शीरे का पानी किस नदी में बहाती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--आरी नदी में।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या सरकार ने इस मिल के बेस्ट मिले हुये पानी का असर जो मवेशियों की सेहत पर होता है, उसकी जांच कराई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अब तक तो नहीं कराई है लेकिन यह प्रश्न बड़ा व्यापक प्रश्न है और सारे सूबे का चीनी मिलों से संबंधित है। इस संबंध में सरकार एक एफ्लुएन्ट्स बोर्ड बनाने की व्यवस्था पर बिचार कर रही है, नोटिफिकेशन हो चुका है, आब्जेक्शन्स आने पर आखिरी फैसला किया जायगा।

श्री शिवराजसिंह या व--क्या सरकार ने इस संबंध में कि मिल के बेस्ट मिले हुये पानी का सेहत पर बुरा असर पड़ता है इस संबंध में कोई कमेटी बिठाई थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--खास तौर पर तो नहीं बनी लेकिन बहुत पहले यू० पी० गवर्नमेंट ने एक मिल वेस्ट डिस्पोजल कमेटी की स्थापना की थी और उसी की सिफारिश के मातहत हमने तय किया है कि एक एफ्लुएन्ट्स बोर्ड की स्थापना की जाय जो कि फैक्टरियों के गन्दे पानी से उत्पन्न संकट के संबंध में रिपोर्ट दे और कोई ठोस कदम हम उस दिशा में उठा सकें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि जिस कमेटी का उन्होंने जिक्र किया है, उसने इस गन्दे पानी के संबंध में जो सिफारिशें की थीं, उनमें से किस किसको कार्यरूप में परिणत किया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उनके कार्यान्वित होने का सिलसिला शुरू हो रहा है, हमने फैक्टरी ऐक्ट के मातहत एक एफ्लुएन्ट्स बोर्ड बनाने का निश्चय किया है, यह भी उसी की सिफारिशों के अनुसार हो रहा है और इस बोर्ड के संबंध में जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें पब्लिक के आब्जेक्शन्स का इंतजार हो रहा है क्योंकि नियमानुसार हमें उसके लिये समय देना चाहिये इसलिये वह दिया जा रहा है। जब आब्जेक्शन्स आ जायेंगे तभी एक स्थायी बोर्ड इस प्रदेश में बन सकेगा जो फैक्टरी ऐक्ट के रूल्स के बारे में अधिकारी होगा कि वह इस गन्दे पानी से पैदा होने वाले न्यूसेन्स को रोके।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह किसी ऐसी योजना पर विचार करने जा रहे हैं कि इन मिलों के पास से छोटी-छोटी माइनर नालियों से यह पानी बहकर जाय और उससे काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा मिल सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसी कोई निश्चित योजना तो नहीं है। यह एक प्रैक्टिकल सवाल है, यह तो बोर्ड जो एक एक्सपर्ट्स बोर्ड होगा वही तय कर सकेगा कि किस तरह से इस गन्दे पानी के न्यूसेन्स को खत्म किया जाय और पानी को कारामद बनाया जाय। वह तो बोर्ड ही तय करेगा।

*८१-८२---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---[वापस लिये गये।]

कानपुर की विकास प्रदर्शनी में हरिजन कल्याण सम्बंधी स्टाल

*८३---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर की विकास प्रदर्शनी में हरिजन-कल्याण, कानपुर का भी स्टाल लगाया गया ह ? यदि हां, तो उस स्टाल में कितना खर्च हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जी हां, १,४२५ रुपये।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सामान स्टाल में लगाया गया वह मुख्य-मुख्य क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---बड़ी लम्बी-सी एक लिस्ट है। अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---वह चाहते हैं कि कुछ खास चीजें आप बता दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जो चीज आप पूछना चाहेंगे मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष---खास-खास चीजों का जिक्र कर दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---कपड़ा १६८ रुपये १४ आना, लकड़ी एवं उसकी चिराई १५३ रुपये १३ आना ९ पाई, रस्सी और कील ८ रुपये ८ आना, पोस्टर वगैरह और विभागीय कार्यों का फोटोग्राफ ३६८ रुपये ६ आना। ऐसी बहुत सी डिटेल्स हैं।

श्री मुरलीधर कुरील---इस स्टाल के लगाने में कुछ किराया भी देना पड़ा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---२२० रुपये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास ऐसे आंकड़े हैं जिससे बता सकें कि इस स्टाल से आय क्या हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--भारत सेवक समाज का वहां कैम्प हुआ उसमें एक प्रदर्शनी हुई, उसमें प्रचार के लिये लगाया गया था। आमदनी का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं।

*८४--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

केन डेवलपमेंट विभाग, बिजनौर के अधिकारियों के विरुद्ध गबन की शिकायत

*८५--श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन डेवलपमेंट विभाग, बिजनौर के अधिकारियों के विरुद्ध कोई गबन की शिकायत जुलाई, सन् १९५६ में आई? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, उस शिकायत की आवश्यक जांच की गई।

*८६--श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सत्य है कि जिला बिजनौर में केन डेवलपमेंट विभाग ने किसी ठेकेदार को १२,००० रुपये का पेशगी पन्त मार्ग के निर्माण हेतु दिया था?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, ११,८७६ रुपये ६ आने पेशगी धन ठेकेदार को दिया गया था।

*८७--श्री गौरीशंकर राय--क्या यह मार्ग तैयार हो गया है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं, मार्ग अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है क्योंकि शिकायत की पूरी जांच हो जाने तक के लिये निर्माण कार्य रोक दिया गया था।

श्री गौरीशंकर राय--मंत्री जी बतायेंगे कि गबन के सिलसिले में जो जांच हुई उसका फल क्या रहा?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह सब गलत साबित हुआ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पन्त मार्ग के निर्माण का पूर्ण अनुमानित व्यय क्या था?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस चाहिए।

श्री गौरीशंकर राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतना रुपया निर्माण के कई साल पहले क्यों पेशगी दे दिया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ताकि जल्दी काम शुरू हो जाय और खत्म हो जाय।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी जांच करने के लिये कौन अफसर साहब थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिस्ट्रिक्ट कमप्लेन्ट्स अफसर ने की।

श्री रामसुन्दर पांडेय--इस गबन की शिकायत किसके जरिये की गई थी, क्या मंत्री जी बतायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ठेकेदार के बरखास्त शुदा आदमी ने की थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायत करने वाले से कम्पलेन्ट्स अफसर ने कोई बयान लिया?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सम्भवतः लिया होगा। एग्जेक्ट डिटेल बताने के लिये नोटिस चाहिये।

कमलसागर आयुर्वेदिक अस्पताल, जिला आजमगढ़ की मरम्मत की आवश्यकता

*८८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, आजमगढ़ के पास १० दिसम्बर, १९५६ को कमलसागर आयुर्वेदिक अस्पताल के भवन के जीर्णोद्धार हेतु कोई प्रार्थना-पत्र आया है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

*८९--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कमलसागर, आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना कब हुई थी, तथा सरकार द्वारा भवन की मरम्मत अथवा निर्माण हेतु अब तक कितनी-कितनी और कब-कब आर्थिक सहायता प्रदान की गई है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस दरख्वास्त की जानकारी करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ और अब तक जानकारी नहीं हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुछ चीजें डिटेल में दरयाफ्त करनी थीं इस वजह से देर हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मंत्री जी बतायेंगे कि जानकारी हासिल करने के बाद यह जानकारी सदन की मेज पर रखी जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अवश्य।

हरिजन कल्याण अधिकारियों में हरिजन

*९०--श्री बादाम सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)--क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने हरिजन कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इस समय कुल ५१ हरिजन कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं इन में हरिजनों की संख्या १५ है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५१ हरिजन कल्याण अधिकारियों में से केवल १५ हरिजन हैं तो क्या हरिजन लोगों ने प्रार्थना-पत्र ही नहीं दिये थे अथवा उपयुक्त योग्यता के हरिजन प्रार्थी नहीं थे?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--एक सेलेक्शन बोर्ड बैठा था। उनमें से १५ उसने छांट लिये। नियम के अनुसार १८ प्रतिशत उन्हें छांटना चाहिये था, यह ३० प्रतिशत होते हैं। तो यह कोई अनुचित बात तो होती नहीं है।

मुजफ्फरनगर जिले में हरिजन सोशल प्रचारक

*९१--श्री बादाम सिंह--क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने हरिजन सोशल प्रचारकों की नियुक्ति है तथा जिला मुजफ्फरनगर में उनकी संख्या कितनी है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इस वर्ष प्रदेश में ८१ अवैतनिक हरिजन सोशल वर्करों की नियुक्ति की गई है। इनमें से जिला मुजफ्फरनगर में एक नियुक्त है।

श्री बादाम सिंह—क्या माननीय मंत्री जी जिले की आवश्यकता को देखते हुए इनकी संख्या को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—इस पर विचार किया जायगा। इस समय तो धन की कमी की वजह से कुल ८१ कर सके।

बदायूं जिले के सलेमपुर परगने में चिकित्सालय की आवश्यकता

*९२—श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई आयुर्वेदिक औषधालय तथा एलोपैथिक अस्पताल परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज, जिला बदायूं में खोलने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कहां और कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, क्योंकि सलेमपुर से केवल तीन मील की दूरी पर एक अस्पताल दातागंज में स्थित है।

सुभाष विद्यालय, वृजमनगंज, जिला गोरखपुर का बन्द हो जाना

*९३—श्री अमर नाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के वृजमनगंज गन्ना सोसाइटी द्वारा पिछले चार सालों में गन्ना किसानों से उनके गन्ने की कीमतों से शिक्षा, सड़क, चिकित्सा फन्ड के नाम पर कुछ कटौती की गई। यदि हां, तो कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९४—श्री अमर नाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गन्ना-सोसाइटी, वृजमनगंज के द्वारा जो धन शिक्षा के नाम पर कटा उसमें से सुभाष विद्यालय वृजमनगंज को सहायता न देने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९५—श्री अमर नाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सुभाष विद्यालय, वृजमनगंज उपरोक्त कटौती के धन से अनुदान न पाने के कारण बन्द हो गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अछूत विद्यार्थियों का मंहगाई शुल्क बन्द हो जाना

*९६—श्री बलदेव सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अछूत छात्रों को मंहगाई शुल्क किस आधार पर देना बन्द कर दिया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—इन छात्रों के मंहगाई शुल्क के घाटे की पूर्ति के लिये कोई अनुदान, विभाग द्वारा इन संस्थाओं को नहीं दिया जाता है। अतः ऐसे अनुदान के बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*९७—श्री बलदेव सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक किस आधार पर उक्त शुल्क देती रही ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जैसा प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर में बताया गया है उक्त अनुदान कभी भी नहीं दिया गया।

श्री बलदेव सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज तक यह अनुदान किस विभाग से दिया जाता था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हमारे विभाग से तो दिया जाता नहीं था। मेरे खयाल से किसी और विभाग से भी नहीं दिया जाता होगा।

श्री बलदेव सिंह—क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस सवाल को सूचना मान कर इस की जांच करने की कृपा करेंगे कि अब क्यों यह बन्द कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—इस का शिक्षा विभाग से तो सम्बन्ध नहीं है इसमें ?

श्री बलदेव सिंह—इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के यहां से छात्रों को मिलता था और अब बन्द कर दिया गया, मैं उस स्कूल की मैनेजिंग कमेटी का मेम्बर हूं इसलिये मुझे इसकी जानकारी है। मेरे पास लड़के आये। उनको बराबर मिलता था। अब बन्द हो गया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि क्या मेरी जानकारी को सूचना मानकर मन्त्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हमारे विभाग से तो ट्यूशन फीस, खेल की फीस, लाइब्रेरी फीस और मेडिकल फीस यही दिया जाता है। मंहगाई फीस, काशनमनी और परीक्षा शुल्क यह पहले भी नहीं दिया जाता था और अब भी नहीं दिया जाता है।

मोमिन अन्सार छात्रों को छात्रवृत्तियां

*९८—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा मोमिन अन्सार छात्रों को छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी जाती हैं और इनके देने का तरीका क्या है ?

हरिजन कल्याण राज्य मन्त्री (श्री मंगला प्रसाद)—प्रश्न कुछ अनिश्चित सा है। यदि सदस्य महोदय का मतलब माध्यमिक कक्षाओं में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों से है, तो इस वर्ष मोमिन अन्सार विद्यार्थियों को, हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों की भांति, उनकी योग्यता तथा निर्धनता के आधार पर यह छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

इन छात्रवृत्तियों को जिला हरिजन सहायक उप-समितियों के परामर्श पर जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदान करते हैं।

महिला विद्यालय, लखनऊ में स्नातक कक्षाओं की हरिजन छात्राओं से फीस लेना

*९९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या हरिजन कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला विद्यालय, लखनऊ में हरिजन छात्राओं से छात्रावास की पूरी फीस ली जाती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—१२ वीं कक्षा तक की छात्राओं से नहीं, लेकिन स्नातक (Graduate) कक्षाओं की छात्राओं से उक्त फीस ली जाती है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि स्नातक कक्षाओं में हरिजन छात्राओं से फीस लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ग्रेजुएट्स की जो छात्रायें हैं उनको भारत सरकार से स्कालरशिप मिलती है और वह स्कालरशिप जो होस्टल में रहती हैं उनको १३ रुपया अधिक मिलती है जो डे स्कालर होती हैं उनसे। इसलिये उनसे यह फीस ली जाती है।

मिर्जापुर जिलान्तर्गत शेखा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में रोगियों के ठहरने के लिये भवन निर्माण का विचार

*१००—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि मिर्जापुर जिले के अन्तर्गत शेखा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वहां की जनता और सरकार की आर्थिक सहायता से चिकित्सा भवन पक्का बन गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां रोगियों के ठहरने के लिये भवन बनाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां, चिकित्सालय भवन बन गया है। रोगियों के ठहरने के लिये भवन बनवाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार बतलायेगी कि रोगियों के ठहरने के लिये भवन निर्माण का प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डिप्टी डायरेक्टर, आयुर्वेद से रिपोर्ट मंगायी गयी है। आने के बाद ही निश्चय किया जा सकता है।

हरिजन कन्या पाठशाला, बघाड़ ग्राम, जिला गोरखपुर का अनुदान रोक लेना

*१०१—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला अन्तर्गत ग्राम बघाड़ में जो हरिजन कन्या पाठशाला चल रही थी उसका अनुदान कब से और क्यों बन्द कर दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कथित अनुदान सितम्बर, १९५६ से रुका हुआ है। इसका कारण उक्त स्कूल के अनधिकृत रूप से स्थानान्तरित होने की शिकायत है।

श्री रामसूरत प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हरिजन कन्या पाठशाला, बघाड़, आज भी अपनी जगह पर पूर्ववत् चल रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बघाड़ में पहले यह पाठशाला थी। बाद में यह रिपोर्ट हुई कि यह पाठशाला वहां से हटा दी गयी और दूसरी जगह चली गयी। वहां जांच कराई गई तो पता चला कि वहां भी वह पाठशाला नहीं है। तो अभी जांच हो रही है। अलग-अलग किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं। जब निश्चय हो जायगा तो बतलाया जा सकता है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सरकार को इस बात की सूचना किस अफसर ने दी थी कि यह स्कूल दूसरी जगह स्थानान्तरित हो गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—आदि हिन्दू डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसियेशन, गोरखपुर, इस स्कूल को चला रहा है। उन्होंने यह कहा कि यह स्कूल दूसरी जगह ले जाया गया है। जब जांच की तो पता लगा कि यह स्कूल वहां नहीं है। हरिजन कल्याण आफिसर और सब-डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की अलग-अलग रिपोर्ट है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब सरकार को पता चला कि स्कूल वहां नहीं है तो फिर किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी जिससे इस बात की पुष्टि हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने बतलाया कि मेरे पास दो जांच रिपोर्ट्स आई हैं। डिस्ट्रिक्ट हरिजन कल्याण आफिसर और सब-डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने जांच की।

अशोक आश्रम, कालसी, देहरादून को दिये गये अनुदान के व्यय का ब्योरा

*१०२—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अशोक आश्रम, कालसी, देहरादून को सरकार द्वारा सन् १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ वित्तीय वर्षों में किस-किस योजना के लिये कुल कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वांछित विवरण इस प्रकार है :—

सन् १९५५-५६ में—

		रुपये
(१)	वेश्यावृत्ति निवारण एवं कुष्ट निवारण हेतु	१०,०००
(२)	कुष्टनिवारण के लिये भवन निर्माण हेतु	५,०००

सन् १९५६-५७ में—

(१)	वेश्यावृत्ति निवारण एवं कुष्ट निवारण हेतु]	१०,०००
(२)	दवाइयों तथा फर्नीचर आदि हेतु	३,५००

सन् १९५७-५८ में—

कुछ नहीं।

*१०३—श्री सूरतचन्द रमोला—यह अनुदान क्या सब खर्च हो चुका और उसके खर्चे का क्या ब्योरा है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—उक्त अनुदान के खर्चे व शेष धन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

योजना	स्वीकृत धनराशि	व्यय	शेष धन
	रुपये	रुपये आ०	रुपये आ०
(१) वेश्यावृत्ति निवारण एवं कुष्ट निवारण ..	२०,०००	१८,१६२ १	१,८३७ १५
(२) कुष्ट निवारण (भवन निर्माण) ..	५,०००	४,४१२ ६	५८७ १०
(३) औषधियां तथा फर्नीचर	३,५००	३,५५४ २	..
योग ..	२८,५००	२६,१२८ ९	२,४२५ ९

श्री सूरतचन्द रमोला—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन कुष्ट निवारण आश्रमों के साथ कितने डाक्टर हैं और कितने क्लिनिक चल रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसके लिये सूचना चाहिये। यह ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वेश्यावृत्ति निवारण के लिये जो खर्चा हुआ है उसमें सरकार की क्या योजना है ? कोई आश्रम हैं ? यदि हां, तो उनमें कितनी वेश्यायें रखी जाती हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कालसी का अशोक आश्रम इसके लिये कुछ प्रचार करता है और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उनको २ वर्ष में अलग-अलग २०,००० रुपया दिया है। हमारी मार्फत उनको रुपया दे दिया गया और वह प्रचार करता है और रोक-थाम का प्रयत्न करता है।

बुलन्दशहर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूतिका-गृह न होना

*१०४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्र में कितने प्रसूतिका-गृह हैं? प्रसूतिका-गृह के अभाव के कारण कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जिला बुलन्दशहर के देहाती क्षेत्र में कोई प्रसूतिका-गृह नहीं है। कितनी महिलाओं की मृत्यु प्रसूतिका-गृह के अभाव के कारण हुई यह बताना सम्भव नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार के यहां कोई योजना प्रसूतिका-गृह की बुलन्दशहर में खोलने की विचाराधीन है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वाराणसी जिले के रामगढ़ ग्राम में अस्पताल की आवश्यकता तथा चोलापुर में अस्पताल के भवन निर्माण में विलम्ब

*१०५—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री, ग्राम रामगढ़, परगना वरह, जिला वाराणसी के प्रमुख कस्बे में कोई सरकारी अस्पताल खोलने पर विचार करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक एलोपैथिक अस्पताल का सम्बन्ध है अब यह प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स के अन्तर्गत खुलेंगे। यदि रामगढ़ किसी एन० ई० एस० ब्लाक का मुख्य केन्द्र हुआ और जिलाधीश तथा जिला नियोजन समिति ने इसकी सिफारिश की तो इस पर अवश्य विचार होगा।

जहां तक आयुर्वेदिक औषधालय के खोलने का सम्बन्ध है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के बाद यदि जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति ने इसकी सिफारिश की तो विचार किया जायगा।

*१०६—श्री लोकनाथ सिंह (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि चोलापुर, परगना कटहर, जिला वाराणसी में अब तक सरकारी डिस्पेंसरी के भवन के निर्माण में क्या-क्या कठनाइयां हैं और उनकी जिम्मेदारी किस पर है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कठिनाइयां विदित हैं, परन्तु उनके लिये किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

बलिया, आजमगढ़ तथा देवरिया जिलों के हाइड पलेइंग इन्स्पेक्टर

*१०७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया, आजमगढ़ तथा देवरिया जिलों में हाइडपलेइंग इन्स्पेक्टरों के कितने-कितने स्थान हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सम्पूर्ण पशुधन क्षेत्र में केवल एक हाइड पलेइंग (Hide Flaying) इंस्पेक्टर इस समय जिला देवरिया में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बलिया तथा आजमगढ़ जिलों में ऐसा कोई स्थान नहीं है।

*१०८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त इन्स्पेक्टरों के जिम्मे कौन-कौन काम निर्धारित हैं तथा उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग वेतन के अतिरिक्त कितना-कितना मार्ग व्यय सन् १९५८ में अलग-अलग महीनों में दिया गया?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इन्स्पेक्टर के जिम्मे जो काम है उसका विवरण संलग्न है। उक्त इन्स्पेक्टर को सन् १९५८ के किसी भी महीने में कुछ भी मार्ग व्यय नहीं दिया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३८ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस इंस्पेक्टर ने १९५८ में इन क्षेत्रों में कहीं दौरा नहीं किया है? यदि नहीं किया है, तो ऐसा क्यों हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है कि वे कहीं गये नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दौरा किया गया है तो उसका मार्ग व्यय क्यों नहीं दिया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश गो हत्या निवारण कानून की धारा ३ और ४ के अनुसार हत्यारों को दण्ड

*१०९—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश गो हत्या निवारण कानून की धारा ३ और ४ के अनुसार १ जनवरी, १९५६ से ३१ जनवरी, १९५८ तक जिलेवार कितने चालान हुये तथा कितने अपराधियों को दन्ड दिया गया?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३९–३४० पर)

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—जो जांच हुई उससे गो-हत्याओं का क्या उद्देश्य पाया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लोगों ने मारा, उनका चालान हुआ, उद्देश्य क्या बतायें?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—मैं पूछ रहा हूं कि मर्डर किसी का होता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है; ये हत्याएं किस उद्देश्य से की गयीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—खाने की गरज से मारा होगा उन्होंने।

चौबेपुर डिस्पेंसरी के भवन की मरम्मत में विलम्ब

*११०—श्री लोकनाथ सिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चौबेपुर डिस्पेंसरी के लिये जो भवन खरीदा गया है, उसकी मरम्मत में क्या खर्चा होगा और कब तक मरम्मत हो जाने की संभावना है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—अभी कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह निश्चय कब होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एस्टीमेट मांगा गया है। एस्टीमेट आ जाय तो निश्चय होगा।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि एस्टीमेट कब तक आ जाने की संभावना है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तारीख निश्चित करके बताना बड़ा मुश्किल है।

*१११—श्री लोकनाथ सिंह—[हटा दिया गया।]

*११२—श्री गज्जूराम—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में कृषि विभाग के अन्तर्गत बीज का वितरण

*११३—श्री बुलाकीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में कृषि विभाग के कितने और कहां-कहां बीज भंडार हैं और प्रति बीज भन्डार से कौन-कौन कितना-कितना बीज सन् १९५५–१९५६ तथा १९५७ में सवाई पर कितने किसानों को बांटा गया ?

*११४—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त सालों में हरदोई जिले के कितने प्रतिशत किसानों को कृषि बीज भंडारों से बीज लेने का लाभ हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बिलकुल ठीक-ठीक आंकड़े एकत्र करने में काफी समय लगेगा और अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। यह व्यय तथा श्रम अनावश्यक प्रतीत होता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि औसतन १५ से २० प्रतिशत तक किसान सरकारी बीज गोदामों से लाभ उठाते हैं।

श्री बुलाकीराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक बड़े सीड स्टोर पर एक सुपरवाइजर, ३ कामदार और कहीं कहीं पर एक क्लर्क भी रहता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डिटेल्स के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के बीज भंडारों से सन् १९५५, १९५६ और १९५७ में अलग-अलग कितना बीज बांटा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका तो जबाव दिया गया कि सूचना इकट्ठा करने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी और जितना लाभ होगा उससे ज्यादा खर्च होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बुलाकी राम जी आपकी ओर पीठ करके सवाल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मेरी तरफ पीठ नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि माइक्रोफोन जरा पीछे है। अगर वे आगे के माइक्रोफोन पर खड़े होकर प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सवाई के सूद पर बीज दिया जाता है उसको कम करने की कोई योजना सरकार सोच रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो नहीं सोच रहे हैं।

कृषि विभाग में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के क्लर्क व चपरासी

*११५—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में कुल कितने क्लर्क तथा चपरासी हैं ? उनमें कितने हरिजन हैं तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूचना इस प्रकार है :—

	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या	पिछड़ी जाति वालों की संख्या
क्लर्क	८४१	८	३१
चपरासी	६०८	४७	१३६

श्री गंगाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनुपात के हिसाब से यह कम क्यों है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---क्योंकि पहले कोई अनुपात मुकर्रर नहीं था, वैसे ही चला आ रहा है ? जब-जब जरूरत होती है तकर्ररी होती है और अनुपात पूरा किया जाता है ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भविष्य में जो जगहें खाली होंगी उनकी पूर्ति रिजर्वेशन के अनुसार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बशर्ते कि सूटेबिल आदमी दस्तयाब हो जायं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कोई इस तरह की नीति अपना रखी है कि अब जो क्लर्क और चपरासियों की जगहें भरी जायं उनमें पिछड़ी जाति और हरिजनों को अधिक स्थान दिये जायें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जरूर ऐसी नीति है ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो चपरासियों की संख्या ४७ बतायी गयी है उनमें से इस वक्त कितने काम कर रहे हैं ? ४७ या उससे कम ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जितनी संख्या बतायी गयी सम्भवतः उतने काम कर रहे हैं ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि "सूटेबिल" की क्या परिभाषा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो उस जगह के लिये मौजूं हो ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री राजेन्द्र दत्त---[नवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

प्रश्न १३-१४ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, यदि आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष---कहिये ।

श्री राजनारायण---माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का एक प्रश्न था कि क्या माननीय उप-चिकित्सा मंत्री उस समय उस बारात में थे ? उपमंत्री जी यहां मौजूद हैं ? अगर कृपया उनसे जानकारी ले ली जाय तो ज्यादा अच्छा हो ।

कृषि मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---उन्होंने ही कहा था कि मैं नहीं पहुंचा था ।

श्री अध्यक्ष---वह कहते तो हैं कि उनसे पूछा था ।

श्री राजनारायण---तो वह उत्तर उन्हीं का माना जायगा ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---मैं बारात के वक्त नहीं गया था, मेरे लड़के गये थे । मैं तो पीछे डाक्टर साहब के पास लड़की को आशीर्वाद देने गया था ।

सरसावा केन सोसाइटी द्वारा किसानों का रुपया वापस न किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव का एक कामरोको प्रस्ताव है । इसी तरह का एक प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा का भी २१—३—५८ को आया था। उसको उस समय मैंने नामंजूर कर दिया था। कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है कि:—

"सरसावा केन सोसाइटी, जिला सहारनपुर द्वारा एक नई कोआपरेटिव मिल बनाने हेतु किसानों के गन्ने के दाम से लगभग ६ लाख रुपया जबर्दस्ती किसानों की मर्जी के विरुद्ध काट लिया गया जिससे लगभग ८ हजार किसान परिवार पीड़ित हैं । किसानों द्वारा उक्त रकम की वापसी की मांग करने तथा सोसाइटी के अधिकांश प्रतिनिधियों द्वारा जिलाधीशों को रुपया वापसी के लिये लिख कर दे दिये जाने पर भी किसानों का रुपया वापस कराने में सरकार असमर्थ रही है जिससे किसानों में अत्यधिक क्षोभ तथा रोष है । फलस्वरूप लगभग तीन हजार किसान सोसाइटी के दफ्तर के सामने गत १२ दिनों से धरना दिये हैं तथा तीन प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ता श्री कृष्णचन्द नागर, श्री मंगतराम तथा श्री जयनन्द ने गत ८ दिनों से भूख हड़ताल कर रखी है । अनशनकारियों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है । परिस्थिति बहुत विषम रूप धारण करती जा रही है ।

अतः इस सार्वजनिक महत्वपूर्ण तथा निश्चित एवं आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन अपनी आज की बैठक स्थगित करता है ।"

इस संबंध में मैंने कल परसों भी कह दिया था कि कोई भी घटना जिससे सरकार से या ऐडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक है उस पर विनियोग विधेयक पर विवाद के समय चर्चा की जा सकती है । लेकिन कल विधेयक पर बहस में यह नहीं रखा गया जब कि यह घटना कई रोज से चल रही है । यदि कल यह महत्व का नहीं समझा गया तो आज यह महत्व का हो जाय ऐसी बात मैं नहीं मान सकता हूं। माननीय मंत्री जी के पास इस संबंध में अगर कोई सूचना हो तो वह सदन को दे सकते परन्तु प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता हूं ।

उद्योग उपमन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)—श्रीमन्, यह जो कटौती वहां हुई है, सोसाइटी की एक जनरल मीटिंग हुई उसमें तय हुआ था । पिछले साल यह कम्पल्सरी था लेकिन इस साल इसको वालंटरी कर दिया गया है । अब जो हो रहा है यह फैसला जनरल मीटिंग का है वही तय कर सकती है । बाइलाज में ऐसा है । रिक्वीजीशन दे दिया है और जनरल मीटिंग की बैठक होगी और उसके सामने यह मामला पेश होगा । सरकार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—सोसाइटी का जो प्रस्ताव था किसानों के दाम में से पैसा काटने का तो वह मिल बनाने के लिये था और ६ लाख रुपया काट लिया गया है और मिल नहीं बनाई गई और वह रुपया स्माल सेविंग स्कीम में जमा करा लिया गया । अब किसानों ने लिखकर दे दिया है कि रुपया वापस कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि रिक्वीजीशन दे दिया है और जनरल मीटिंग काल की है ।

श्री रऊफ जाफरी—न तो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने रुपया वापसी की बात कही और न किसानों ने ही कही । अब सोसाइटी की मीटिंग होगी और वह अपने फैसले पर विचार कर सकती हैं ।

मालगुजारी की वसूली में ज्यादतियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री गौरीशंकर राय जी का है। मालगुजारी की वसूली के बारे में जो कथित सख्तियां हो रही हैं, उस विषय में है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, यह एक निश्चित घटना है। ग्राम सभापति के पीटे जाने के मुताल्लिक ह।

श्री अध्यक्ष—वह तो मंत्री जी ने स्वयं कल कबूल कर लिया था कि कहीं-कहीं वसूली में ज्यादती हो सकती है।

श्री गौरी शंकर राय—सभापति के पीटे जाने की भी ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, कोई भी हो। कहीं कहीं ज्यादती हो सकती है इस विषय की कल उन्होंने चर्चा की थी। इस घटना पर भी कल चर्चा की जा सकती थी जब कि कल पूरे दिन मालगुजारी विभाग पर चर्चा हो गई। मंत्री जी ने यह भी कहा था कि वह तहकीकात करा कर दंड देंगे जहां कहीं ज्यादती की गयी हो। इन कारणों से इस विषय पर और बहस करने के लिये मुझे कारण दिखाई नहीं देता। आवश्यक न होने के कारण मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं।

नगला जाटव, जिला बुलन्दशहर के अग्निपीड़ित लोगों की सहायता न किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री छत्तर सिंह का है जिसमें वह कहते हैं कि "नगला जाटव, ग्राम रायपुर, तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर के लोग पहले से ही बाढ़ के कारण और सरकार द्वारा उस अवसर पर कोई विशेष सहायता न होने की वजह से उक्त गांव के लोग घोर दरिद्रता से पीड़ित थे। अब परसों आग से समस्त गांव जलकर स्वाहा हो गया है। अभी तक सरकार ने कोई मदद नहीं की है जिससे गांव के लोगों को गृह व धनविहीन होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरना पड़ रहा है। जिससे वहां पर एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है।

अतः इस महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषय पर विवाद करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह विषय भी अनिश्चित है। वहां पर अगर कोई घटना हुई है और अगर आप समझते हैं कि स्थानीय अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो सरकार के पास पत्र भेज कर उससे मदद कराने का प्रयास करते। कामरोको प्रस्ताव से सदन का काम ठप्प करके और जो आपका कर्तव्य है सरकार को इत्तिला देकर लोगों की मदद कराना, वह न करके इस सदन का समय लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। इसलिये मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं।

अमोली कलां, जिला बाराबंकी के प्रधान द्वारा आमरण अनशन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुर का है। जिसमें वह कहते हैं कि "ग्राम अमोली कलां तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के प्रधान ने जिलाधीश बाराबंकी के निवास-स्थान पर आमरण अनशन दिनांक २७-३-५८ से आरम्भ कर दिया है क्योंकि जिलाधीश

[श्री अध्यक्ष]

तथा अन्य अधिकारियों ने उनकी उन मांगों की बाबत कोई कार्यवाही या सुनवाई नहीं की है कि जमींदार गुन्डा तथा उनके आदमी जनता को परेशान करते हैं और सरकारी सम्पत्ति को बर्बाद व कब्जा किया करते हैं। प्रधान के अनशन और अधिकारियों की लापरवाही से जिले भर में एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और इससे प्रान्त व्यापी आतंक पैदा होने की आशंका है और जिला में एक विषम परिस्थिति उत्पन्न है।

अतः यह सदन इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

यह भी अनशन के विषय में है जो कल से शुरू हुआ है। लेकिन यह झगड़ा पुराना है। झगड़ा करते-करते जब उनको मालूम हुआ कि जिलाधीश उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने यह अनशन आरम्भ कर दिया है.....

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—आप यदि कुछ कहने की इजाजत दें तो मैं बतलाऊं कि वहां पर बहुत ज्यादती हो रही है....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। जब मैं पढ़ रहा हूं और कारण बता रहा हूं तो उसी बीच में आप बोलना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो सदन छोड़ने के लिये मुझे आपको कहना पड़ेगा। जब मैं अपनी बात कह दूं तो आप फिर कह सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आप हमसे सदन छोड़ने के लिये न कहा करें। वैसे ही हम आपकी आज्ञा मानने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—आप अल्दी न खड़े हुआ करें। पहले देख लेना चाहिये था कि मैं प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट कर रहा हूं।

यह जो वाकया है बहुत दिनों से बराबर चला आ रहा है। इसका जिक्र कभी भी, जब सदन में अनुदान विचार के लिये आये, नहीं आया। जब सब बजट समाप्त हो गया और बहस का वक्त निकल गया तब यह विषय उठाया जा रहा है। जब प्रधान जी को अपनी कार्यवाही में सफलता नहीं हुई तब उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और अब आप कामरोको प्रस्ताव लाते हैं। मैं इसको अनावश्यक समझता हूं और इसकी इजाजत नहीं देता हूं। इस विषय में क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई सूचना भी माननीय सदस्य द्वारा भेजी गयी है इसका जिक्र भी इसमें नहीं है। माननीय सदस्य को इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने मेरे पास यह प्रस्ताव भेज दिया। इसका सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं आता है। एक स्थानीय अधिकारी से इसका सम्बन्ध आता है। इसकी कार्यवाही जिले में ही होनी चाहिये। यहां सदन में इस विषय में विचार करने के लिये कोई समय नहीं दिया जा सकता। मैं इसकी मंजूरी नहीं दे रहा हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा—बाराबंकी जिले की स्थिति आप जानते हैं। वहां नित्य ही चोरी, डकैती और कत्ल हो रहे हैं और मैं यह साबित करना चाहता हूं कि हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में दरख्वास्त दी और जिलाधीश को दरख्वास्त दी....

श्री अध्यक्ष—आपने जिक्र करने के बारे में कोई कसर रखी। ५० बार यह बात यहां सदन में आ चुकी है। इस पर बार-बार बहस करने से क्या कोई फायदा होगा?

श्री जंगबहादुर वर्मा—वहां के अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक कमेटी वहां के लिये बना दी जाय....

श्री अध्यक्ष—आज असरकारी दिन है। आज आप अधिक समय अन्य बातों में न लें।

प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के कारण शेष प्रश्न न किये जाने पर आपत्ति

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न तारीख २६ को आया था प्रश्न संख्या १३३ पर। १०० प्रश्न हो जाने के बाद आपने प्रश्नों का समय समाप्त कर दिया। श्रीमन्, मेरे प्रश्न रह गये। प्रश्न समाप्त हो गये। उत्तर समाप्त हो गये और उत्तर देने वाला समाप्त हो गया। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है.....

श्री अध्यक्ष—अब आप उत्तर सुन लें। न आप के प्रश्न समाप्त हुए और न उत्तर। वह सब प्रकाशित होंगे और आपका नाम भी छपेगा और उनका आपके जिले भर में प्रकाशन होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता भी समाप्त नहीं हुए।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि प्रश्न और उत्तर के साथ प्रश्न करने वाले सज्जन की तस्वीर भी छप जाय।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये मंत्री जी फंड दें तो वह भी मैं करा सकता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—उनके साथ मंत्री जी की भी तस्वीर छप जाय तो ठीक रहे।

चकबन्दी की उपयोगिता जांचने के लिये जांच समिति की नियुक्ति के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब चकबन्दी सम्बन्धी संकल्प पर विवाद जारी होगा। माननीय माल मंत्री जी का प्रथम भाषण प्रारम्भ हुआ था और वह पूरा नहीं हो सका था और उसी बीच उस रोज उठना पड़ा। (माल मंत्री से) अगर आप को भाषण का सिलसिला याद हो और उस आप जारी रखना चाहते हों तो जारी रखें, नहीं तो रहने दें।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मेरा विचार उसे जारी रखने का नहीं है। मैं अन्त में बोलूंगा।

***श्री बलदेव सिंह** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भगवतीसिंह विशारद द्वारा प्रस्तुत संकल्प का संकोच के साथ विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय, चकबन्दी पर जो भाषण हुए, जिन माननीय सदस्यों ने राय दी, उस को मैंने ध्यान से सुना और इसमें जो भगवती सिंह जी ने लिखा है कि चकबन्दी का कार्य तत्काल बन्द कर दिया जाय और ६ महीने तक उसकी जांच हो, उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में, और अगर वह उपयोगी सिद्ध हो तो उसको चलाया जाय वर्ना समाप्त कर दिया जाय, उस से मैं सहमत नहीं हूं। आज प्रदेश में तमाम जगहों पर चकबन्दी हो रही है और मैं अपने मत से समझता हूं कि चकबन्दी बहुत उपयोगी है। चाहे सारी प्रणाली बन्द हो जाय, सब नियोजन बन्द हो जाय, लेकिन श्रीमन्, सब किसानों का खेत चौकोर चक में कर दिया जाय और उनके खेतों को पानी पहुंचा दिया जाय तो सारे प्रदेश का डेवलपमेंट आप से आप हो जायगा। यह नहीं कि इसमें बड़ी खराबियां हैं। हमारे गोंडा जिले में तो अभी नहीं हो पायी लेकिन हमारे पड़ोस में फैजाबाद और बस्ती जिलों में चकबन्दी हो रही है। फैजाबाद तो मुझे जाने का अवसर नहीं मिला लेकिन बस्ती जिले के डुमरियागंज में मुझे जाने का अवसर मिला। तमाम लोगों से दरियाफ्त किया १०-२० लोगों से जानकारी हासिल की लेकिन मुझे ऐसी कोई जबरदस्त भयानक चीज नहीं मिली

---

†१३ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेव सिंह]

जिससे यह कहा जा सके कि इस कार्य को समाप्त कर दिया जाय या यह चलने लायक नहीं है। लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसे तो सब महकमों में रिश्वत ली जाती है लेकिन इसमें कम मात्रा में है, दूसरे महकमों में और ज्यादा मात्रा में है। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यदि उनको प्रदेश समृद्धशाली बनाना है, और विरोधी दल के भाइयों से भी कहूंगा कि अगर वे चाहते हैं कि भुखमरी की रोज-रोज चर्चा न हो, हमारी दरिद्रता दूर हो जाय तो वह भी सरकार के साथ सहयोग इस कार्य में करें और हमारे प्रदेश में जितनी जल्दी हो सके चकबन्दी करा दी जाय।

एक बात अवश्य मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक डेप्यूटेशन यहां आया था उसने मुझे बताया कि १०-१२ चकों में खेत दिये जा रहे हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो मेरा खयाल है कि यह अनुचित है। जब चक हो रहे हैं तो लैंड की वैल्यू में चक दिये जायं। इस के लिये मैं स्पष्ट सुझाव दूंगा कि जहां तक हो सके माननीय मंत्री जी एक चक में ही खेतों को दें चाहे किसी को वैल्यू में कम जमीन मिले या ज्यादा मिले लेकिन एक चक ही में मिले। इससे सारा झंझट दूर हो जायगा। हमारे जिले में एक रियासत बलरामपुर है। उसने कुछ गांवों की चकबन्दी अपने बूते पर करायी थी। आज जब उन गांवों की तरफ जाता हूं तो पाता हूं कि उनकी हालत अच्छी है।

यह भी कहा गया कि सहकारी खेती करायी जाय और चकबन्दी न की जाय। इस विषय में मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। एक गांव के १०० काश्तकारों को आप सहकारी खेती करा दें। दूसरी तरफ दूसरे गांव के १०० काश्तकारों को ६-६ एकड़ के चकों में खेत दे कर उनकी खेती में पानी पहुंचा दें, तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि जहां खेत एक होंगे, समय पर उनको पानी मिलेगा वहां पर पैदावार दूनी हो जायगी और उससे प्रदेश का अन्न संकट भी दूर हो जायगा। श्रीमन्, मैं एक खेतिहर हूं और मेरा खेती से बाप-दादों से वास्ता रहा है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि जिन लोगों के खेत एक जगह पर हैं और वहां पानी का साधन है, वहां की पैदावार अलग-अलग खेतों और जहां पर पानी का ठीक साधन नहीं है, वहां की पैदावार से दुगनी और तिगुनी हो जाती है। और मैं तो शंका करता हूं और कहता हूं कि जो लोग कोआपरेटिव खेती की बात करते हैं तो मेरे दिल में ऐसी भावना पैदा होती है, चाहे इधर के बैठने वाले कोई सदस्य हों या उधर के सदस्य हों, कि शायद उनका खेती से कोई सम्बन्ध नहीं है और खेत को उन्होंने देखा नहीं है। मेरा स्वयं खेती पेशा होने के नाते मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि यह काम इतने महत्व का है कि जितनी शीघ्र हो जाय अच्छा है, इसको एक अर्जेन्ट कार्य मानकर, चाहे सारे विकास के और कामों को बन्द करना पड़े, इसे पहले कर देना चाहिये। सब की खेती एक चक में कर दी जाय और सब में पानी पहुंचा दिया जाय और इस तरह से सारे सूबे का विकास तो आप से आप हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--आप क्या चाहते हैं कि सब जगह कोआपरेटिव खेती कर दी जाय?

श्री बलदेव सिंह--जी नहीं, मैंने तो कोआपरेटिव का विरोध किया है और कहा है कि मंत्री जी चाहें तो ३ गांवों में तजुर्बा कर के देख लें, कहीं १०० आदमियों की सहकारी खेती करा दें और कहीं पर अलग-अलग सब को खेत दे कर पानी पहुंचा दें। इस तरह से अगर पानी और खेत सब ठीक हो जाय तो सारा डेवलपमेंट या प्लानिंग आप से आप हो जाय और सारा सूबा तरक्की कर जाय। मैं ऐसी चकबन्दी को स्वीकार करता हूं और खुले आम स्वीकार करता हूं और माननीय मंत्री जी को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि वह हमारे यहां गोंडा में या अन्य किसी स्थान पर हमारे कोआपरेशन या सहयोग की आवश्यकता समझें तो वह हमेशा उनको मिलेगा और अगर गोंडा में हुआ तो मैं उस काम को सम्पन्न रूप से कराने के लिये पूरा सहयोग दूंगा।

जहां तक इस विभाग के कर्मचारियों का सम्बन्ध है मैं एक बात कह दूं कि अभी होली की छुट्टी में हमारे गांव के दो कर्मचारी आये थे, उनसे मेरी बात हुई, उनके पास एक दो आदमी आये कि हमें नौकरी दिला दो तो उनसे वह कहने लगे कि इस विभाग में नौकरी करने की न सोचो क्योंकि वहां जरा सी शिकायत पर मुअत्तली हो जाती है और लोग बरखास्त कर दिये जाते हैं लिहाजा यह विभाग ऐसा नहीं है कि नौकरी करने के काबिल हो। मेरा कहना यह है कि अगर विभाग में बेईमानी है, भ्रष्टाचार है तो उसको दूर किया जाय लेकिन चकबन्दी के काम को कभी भी बन्द न किया जाय, भ्रष्टाचार तो सब जगह है कोई भी उससे खाली नहीं है लेकिन यह पुनीत काम, जिससे सूबे का कल्याण होगा संकट दूर होगा और प्लानिंग आप से आप जिससे हो जायगा उसको मैं मंत्री जी से और सब भाइयों से निवेदन करूंगा कि ऐसे काम को प्रोत्साहन मिलना चाहिये और जितना प्रयत्न भी वह इस काम को सफल बनाने के लिये कर सकें वह करें। अन्त में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चाहे कोई भी संकट पड़े, इस काम को सूबे के कल्याण के हेतु खूबी के साथ कराया जाय और प्रदेश का कल्याण जहां तक संभव हो किया जाय।

*श्री भजन लाल (जिला इटावा)— माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चकबन्दी के सम्बन्ध में वैसे तो सोशलिस्ट पार्टी की यह नीति थी कि जमीन का पुनः बटवारा करने के बाद चकबन्दी की जाय तो बेहतर है, लेकिन वैसा नहीं किया गया। इस चकबन्दी के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर जमीन का एक नया बन्दोबस्त होने जा रहा है और एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, कहीं अच्छा होता कि ऐसे मौके पर अगर जमीन का पुनः बटवारा करा दिया जाता तो बहुत से गरीब भाइयों की भी जरूरत पूरी हो सकती थी।

श्रीमन्, चकबन्दी के शुरू होने के पूर्व चकबन्दी का सब्जबाग दिखलाया गया था कि चकबन्दी से बहुत से फायदे हैं। जैसे एक ही चक में सब खेत हो जायेंगे और चकों के बीच में काश्तकारों को काम करने के लिये कुछ जगह भी छोड़ी जायगी जहां कि कुआं होगा, और जहां अपनी झोपड़ी रख कर एक ही आदमी उस फार्म की रखवाली भी कर सकता है और खेती भी कर सकता है। इस तरीके से बहुत से फायदे बतलाये गये लेकिन मैं अपने जिले की चकबन्दी के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिला इटावा के अन्तर्गत औरैया तहसील में चकबन्दी हो रही है, उसके अन्दर काफी अंधेरबाजी है। अभी-अभी १७ तारीख को मैं अपने क्षेत्र में अपने प्रोग्राम के मुताबिक गया था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि चकबन्दी टैक्स डेढ़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से वसूल किया गया है और चकबन्दी के सम्बन्ध में शिकायत ले कर लोग मेरे पास आये। मैंने मौके पर जा कर उन शिकायतों की जांच की। उन लोगों ने शिकायत की कि इस गांव में बड़ी सख्ती के साथ चकबन्दी टैक्स वसूल किया गया है। उस गांव का नाम बिरियाफकून है जो दिबियापुर सर्किल के अन्दर पड़ता है। मैंने उन शिकायतों की जांच की और श्रीमन् के पास मैंने उस सम्बन्ध के सारे कागजात भेज भी दिये हैं। वहां के प्रधान ने और एक प्रधान के पिता ने रिपोर्ट दी और साथ ही वहां के दूसरे आदमियों ने जनता पर होने वाली ज्यादतियों का वर्णन किया कि गाली गलौज करके, मारपीट कर के, बैल कुर्की करके सख्ती के साथ टैक्स वसूल किया गया। अमीन साहब २५ चपरासियों को लेकर उस गांव में जा धमके और सख्ती के साथ वहां चकबन्दी टैक्स वसूल किया गया है जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के लोगों में और उस गांव में एक आतंक सा छा गया है और जनता भयभीत है। जनता यह कहती है कि कहां तो पहले हमें चकबन्दी का सब्जबाग दिखलाया जाता था और कहा हम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। तो इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां की जांच की जाय और वहां पर जो अवैधानिक कार्यवाही की गयी है, उससे सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी के पास बिसलपुर गांव में चकबन्दी के सम्बन्ध में जो ज्यादती हो रही है, उसकी भी शिकायत पहुंची है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भजन लाल]

मुझे तो यह देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि बेचारा एक काश्तकार जिसने दो तीन साल पहले १,३०० रुपये में पौने दो एकड़ जमीन खरीदी थी, उस को वहां के प्रधान और मुखिया ने मिल कर सांठ-गांठ करके अपने चक में डलवा लिया क्योंकि वह अच्छी जमीन थी तथा और भी अच्छे-अच्छे खेतों को अपने चक में डलवा लिया और उस बेचारे काश्तकार को बहुत दूर जा कर भूड़, बिना सींच की जमीन, दे दी, छोड़ के एवज में डोल दे दी। उस काश्तकार का नाम हर दयाल है। उसको पौने २ बीघे जमीन के बदले में थोड़ी बहुत परती पड़ी हुई जमीन दे दी और बाकी तालाब नाप दिया। श्रीमन्, जब मैं वहां पहुंचा तो उसी समय वहां ए० डी० एम० सी० भी पहुंचे थे। मौके पर जा कर जांच की तो वहां की हालत को बिलकुल सही पाया। वहां पर यह फैसला हुआ कि जिन काश्तकारों ने अपनी फसल जोती बोयी है वे अपनी-अपनी काट लें, फिर बाद में जो जिसका पड़ेगा उस को दे दिया जायगा। वहां पर ए० डी० एम० सी० थे, आस-पास के गांव के लोग काफी तादाद में पहुंचे थे, और वहां यह निर्णय किया गया था कि जिस व्यक्ति की जो फसल है वह अपनी काट ले और जून में जिसका खेत है उसको दे दिया जायगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उस के मुताबिक कार्यवाही नहीं की गयी। मेरे पास भी लोगों ने शिकायत की और उसके बारे में कई एक प्रार्थनापत्र माननीय मंत्री जी के पास भी आ चुके हैं और मैंने भी एक प्रार्थना पत्र में अपनी रिपोर्ट लिख कर भेजी थी। यहां से यही आश्वासन दिया जाता रहा कि विभागीय कार्यवाही हो रही है और आप के साथ उचित न्याय होगा, लेकिन आज तक कोई न्याय की आशा प्राप्त नहीं हो सकी उन गरीब किसानों को। अभी अभी होली के पहले लाहा के पके हुए खेतों को किसान ने काटा जिसने जोता बोया था। दूसरी पार्टी के लोगों ने थाने में रिपोर्ट की। ए० डी० एम० सी० का कोई आदेश नहीं था, न जिलाधीश का आदेश था, लेकिन थानेदार ने वहां जा कर के उन काश्तकारों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने अपने खेत को जोता बोया था और जिनसे यह कहा गया था कि चक जून में बदले जायेंगे। ऐसी हालत में उसकी लड़की को मारा पीटा दूसरी पार्टी वालों ने और वहां पर आग भी लगा दी गई। झगड़े की भी सनसनी हुई, तमाम खुराफातें पैदा हुईं। इसके साथ साथ मैं यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि वह बेचारा गरीब किसान जिसको तालाब नाप कर दे दिया गया है उसके साथ न्याय किया जाय और उसके एवज में उसे अच्छी जमीन दी जाय ताकि वह अपने जीवन का भरणपोषण कर सके।

दूसरे ग्राम सेऊपुर से भी कुछ काश्तकारों की शिकायतें आयीं, अरसू से और शाहबाजपुर भी से आयीं। शाहबाजपुर से आया हुआ एक प्रार्थना-पत्र मेरे पास इस समय मौजूद है। वहां पर काश्तकारों से धोखे में दस्तखत कराये गए और उनकी जमीन बांट दी गई। कोई उनको हिसाब किताब नहीं बताया गया। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि जो चकबन्दी आजकल हो रही है उसमें बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दूसरे प्रभावशाली व्यक्तियों के कहने में, उनके बहकाने में आकर के हमारे सम्बन्धित अधिकारी सी० ओ० और ए० सी० ओ० वगैरह बिक जाते हैं और गरीब, छोटे-छोटे काश्तकारों का गला घुट जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि जो प्रधान हैं, जो उस गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके चकों में छोटे-छोटे काश्तकारों को सारी जमीन खिंच कर के पहुंच गई है। वह बेचारे जानते नहीं हैं, पहला यह दौर-दौरा आया है चकबन्दी का, बिलकुल अनभिज्ञ हैं, भोले भाले हैं लिहाजा चतुर प्रभावशाली व्यक्ति ए० सी० ओ०, सी० ओ०, कानूनगो वगैरह से सांठ-गांठ कर के अच्छे-अच्छे खेत अपने-अपने चकों में डलवा लेते हैं और उन गरीबों की मौत हो जाती है। इस चकबन्दी के अन्तर्गत पेड़ जो फल दे रहे हैं, वह भी दूसरों के चकों में डाल दिये गये हैं। यह मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। मैंने देखा है फल देने वाले दरख्तों के बाग भी दूसरों के चक में डाल दिये गये हैं। इस तरीके से आज धांधलेगर्दी हो रही है। दूसरे जिन काश्तकारों की मेंड़ पर खड़े दरख्त हैं उनकी कीमत भी गलत पैमाने पर रखी गयी है। औसतन् किसी गांव में पांच रुपया फी पेड़, किसी में दो रुपया फी पेड़, किसी में दस रुपया फी पेड़ लगाया गया है चाहे वह पेड़ ५० रुपये का हो, चाहे १५ का हो चाहे आठ आने का हो। इस प्रकार से गरीबों का ही वहां अहित हो रहा है।

श्रीमन्, एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस चकबन्दी के अन्तर्गत बेचारे वह छोटे-छोटे काश्तकार जो जमींदारी विनाश के पूर्व जोतते चले आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जमीन तोड़ करके मिला दी थी आज उस जमीन का रकबा चकबन्दी के अन्तर्गत निकाल कर के ग्राम समाज को सौंप दिया गया है या नहीं सौंपा गया है, उसी काश्तकार को दिया गया है तो उस पर मौरूसी परता रेट पर लगान दूना कर दिया गया है। इस चकबन्दी के अन्तर्गत साझीदार लोगों के बीच में यदि किसी साझीदारी का नाम चढ़ने से रह गया तो इसके सम्बन्ध में जब वह प्रार्थना-पत्र देता है और काफी सबूत पक्ष में मिल जाता है उस वक्त उसका नाम उसमें शामिल किया जाता है लेकिन जो पट्टा होता है उसमें एक नया रूप लगान का दे दिया जाता है, मौरूसी परता रेट से दूना लगान बांध दिया जाता है। इस तरीके से काश्तकारों से जमीन छिन-छिन कर के ग्राम समाज की अध्यक्षता में पहुंची और बेचारे काश्तकार जो २०-२० साल से जोत रहे थे उनका अहित हो गया। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि वह जमीन उन्हीं के पास रहती और उन पर मौरूसी परता रेट के हिसाब से लगान बांध दिया जाता।

अभी पिछले दिनों मैं अपने जिले के फफूंद क्षेत्र में गया था जो मेरा क्षेत्र भी है। इत्तफाक से जिलाधीश महोदय भी एक गांव में मिल गये, मैं भी पहुंच गया वहां। सी० ओ०, ए० सी० ओ०, कानूनगो, लेखपाल तमाम क्षेत्र के इकट्ठा हुए। वहां की चकबन्दी के सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय ने जांच पड़ताल शुरू की तो सी० ओ०, और ए० सी० ओ० की इतनी गलती निकली कि लेखपाल और कानूनगो के कहने के आधार पर उन्होंने चक मान लिये चाहे उनमें बाग लगा हो चाहे परती पड़े हों। जब ऐसा नक्शा जिलाधीश महोदय के सामने आया तो उन्होंने उन अधिकारियों को डांटा और कहा कि तुम अपने दफ्तर में ही बैठे हुए चकबन्दी का सारा हिसाब समझ लेते हो, तुमको मौके पर जाकर जांच करके चकों का इंदराज, खेतों का इंदराज करना चाहिये। लेकिन हो नहीं रहा है।

यह कहा गया था कि चकबन्दी जब सारे प्रदेश के अन्दर होगी तो काश्तकार मुकदमों के झंझट से बच जायंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इटावा जिले और औरैया तहसील में इतनी मुकदमों की भरमार है कि सी० ओ०, ए० सी० ओ० के दफ्तर पर मेला सा लगा रहता है। उनको इन मुकदमों के लिये स्टाम्प देने पड़ते हैं, ४, ५ रुपये के स्टाम्प खरीद कर अपने प्रार्थना-पत्र देते हैं, मुकदमों की सुनवाई होती है। बेचारे काश्तकार ४०, ५० मील से वकीलों को लाते हैं, एक-एक दिन का ४०, ५०, ६० रुपये वकीलों के खर्चे का भुगतान करना पड़ता है। ए० सी० ओ० मुकदमा करता है, इसके बाद सी० ओ० के यहां जाता है, ए० डी० एम० (सी) के यहां जाता है और वहां अगर मुकदमा हार जाता है तो जिलाधीश महोदय के यहां रिवीजन में जाता है। तो एक ही विभाग में ४, ५ जगह काश्तकार परेशान होता है। इधर के खेत उधर किये गये, इंदराज इधर-उधर किये गये हैं, रिश्वत के बलबूते पर कोई किसान जोत रहा है, कब्जा दूसरे का है, लेकिन दूसरे के नाम इंदराज किया जाता है। इस कारण वहां पर मुकदमों की एक बाढ़ सी आ गई है। किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुयी है। किसान यह चिल्लाता है कि चकबन्दी से तो बिला चकबन्दी के ही अच्छे थे।

श्रीमन्, एक दफा मुझे मौका प्राप्त हुआ, एक बेचारा काश्तकार हैरान हो कर अपना प्रार्थना-पत्र ले कर आया। मैंने सी० ओ० को लिखा कि आप मौके पर जाकर जांच करके इसके साथ न्याय कीजिये। लेकिन ए० सी० ओ०, और सी० ओ० को जिस समय वह प्रार्थना-पत्र दिया गया और ज्यों ही हमारे दस्तखत देखे त्यों ही उस प्रार्थना-पत्र को फेंक दिया गया और यह कहा गया कि जाइये मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार की जो मनोवृत्ति अधिकारियों में पैदा हो चुकी है इससे किसानों का गला घोंटा जा रहा है। तो श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है, और मंत्री जी से अदब के साथ प्रार्थना भी है कि औरैया तहसील में होने वाली चकबन्दी के सम्बन्ध में जो धांधलेगर्दियां हो रही हैं, उसकी दरख्वास्त भी मंत्री जी के पास आ चुकी हैं मैं बहुत ही उनका एहसानमन्द हूंगा, यदि वह उन प्रार्थना-पत्रों पर जांच करायें और उचित कार्यवाही करें।

(श्री अब्दुस्समी का नाम पुकारा गया।)

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं इस बीच में। मैं ऐसा समझता हूं कि जो गैरसरकारी दिन आज हमें मिला है, फिर अधिक दिनों तक नहीं मिल सकेगा क्योंकि असेम्बली का सेशन फिर न मालूम कब होगा। एक प्रस्ताव जो बहुत महत्वपूर्ण है गन्ने के दाम वाला उसके लिये मैं जरूर सोचता हूं कि उस पर विचार हो जाय। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर आज ३ बजे तक विचार हो और ३ बजे के बाद वह प्रस्ताव ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप प्रस्तावक को राजी कर लें क्योंकि यह प्रस्ताव कमेटी के सामने गया नहीं था।

श्री गेंदा सिंह---मैं इसीलिये यहां प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप क्लोजर मूव कर सकते हैं। अगर सदन चाहेगा तो उसी वक्त वह खत्म हो जायगा।

श्री गेंदा सिंह---इस प्रस्ताव पर बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिये बजाय १५ मिनट के १० मिनट या ७ मिनट रख दिये जायं ताकि ज्यादा लोग अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष---मैं श्री अबदुस्समी को बुला चुका हूं। उसके बाद उस समय का बन्धन लगेगा जो आप चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि प्रत्येक सदस्य को भाषण के लिये आयन्दा १० मिनट का समय दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---श्री अबदुस्समी चाहें तो १५ मिनट बोल सकते हैं, वैसे वे १० मिनट में खत्म कर दें।

*श्री अब्दुस्समी (जिला सुल्तानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मुल्क की आजादी के बाद किसानों के लिये जो सबसे जरूरी बात थी और जिसके लिये किसान ख्वाहिशमंद थे वह जमींदारी का खात्मा था। जमींदारी के खात्मे के बाद किसान जिन चीजों की तमन्ना करता है और ख्वाहिश करता चला आ रहा है वह यह है कि उसकी मुतफर्रिक जोतें, जो अलग-अलग छोटे-छोटे खेत हैं वे इकट्ठे हो जायं। यह किसान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि आज अपने सूबे में यह काम चल रहा है। यह मैंने माना कि इसमें कहीं-कहीं कुछ कोताहियां भी हैं, १०० में २-४ आदमियों ने रिश्वत भी ले ली हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज चकबन्दी के महकमे में और तमाम महकमों को देखते हुए रिश्वत का नाम भी नहीं है। चकबन्दी के लोग निहायत दयानतदारी के साथ, निहायत ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। मैं तो अपने तमाम साथियों से कहूंगा, वे चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, मेरे क्षेत्र में जो चकबन्दी का काम हो रहा है मैं इस बात की उनको दावत दूंगा कि लोग वहां आयें और देखें कि चकबन्दी का काम किस तरह से हो रहा है। कितनी खूबी से, कितनी ईमानदारी से और कितनी जिम्मेदारी के साथ लोग अन्जाम दे रहे हैं।

बहुत से ऐसे अफसरान हैं जिनका तबादला हुआ, पर वहां के किसानों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा हो कर मजबूर किया कि साहब यह बड़ा ही ईमानदार आदमी है, यह यहां से जा नहीं सकता, उसका तबादला रोका जाय। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि किसानों के लिये बेहद जरूरी बात है, जो खेती करते हैं वे जानते हैं कि जो उनकी मुत्तफर्रिक जोतें हैं, अलहदा अलहदा जो उनके खेतों के टुकड़े हैं उनमें कितनी परेशानियां होती हैं, उनकी निगरानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कितनी दिक्कत होती है, पानी देने में कितना खर्चा होता है, बरखिलाफ इसके कि अगर एक जगह जोतें हो जायं तो उसकी निगरानी कम हो जाती है, पानी पहुंचाने में आसानी होती है।

मेरे एक साथी ने जो एक चक बनाने की बात कही, गो मैं उससे इत्तिफाक करता हूं, लेकिन इतनी बात अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि अगर इस तरह से हो जाय अव्वल, दोयम और सोयम एक साथ लगा दिये जायं तो बात ठिकाने की हो जायगी और किसानों की तमाम दिक्कतें दूर हो जायंगी। मैं तो इस सदन से इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि वह इस बात की कोशिश करे कि जितनी जल्दी हो सके हमारे इस सूबे के अन्दर चकबन्दी करा दी जाय। चकबन्दी हो जाने के बाद बहुत कुछ जो हमारे यहां खान-पीने की कमी है वह दूर हो जायगी। मेरा अपना खयाल इस तरह का है कि सूबे में दो महकमे इस तरह के हैं जिनमें रिश्वत और भ्रष्टाचार बहुत कम है, एक चकबन्दी और दूसरा बस-सर्विस वाला महकमा। दूसरे महकमे तो आपके सामने हैं ही। ऐसी एक उम्दा चीज के लिये बाज साथी चाहते हैं कि वह काम रोक दिया जाय, मुल्तवी कर दिया जाय, उस काम में बाधा डाली जाय। मैं इस खयाल का नहीं हूं। मेरी ख्वाहिश यह है, दरख्वास्त है और यही कहना है अपने भाइयों से जोकि देहात और किसानों से ताल्लुक रखते हैं कि जितनी जल्दी हो सके चकबन्दी दवामी सूबे में करार दी जाय।

अब मुझे अपने एक खास इलाके के मुताल्लिक कहना है कि वहां ऐसी अफवाह है कि चकबन्दी शायद मुल्तवी हो जाय। लोगों ने मुझ से आकर कहा है और सरकारी अफसर जो यहां से गये थे उनको बताया गया कि हमारे यहां यह काम न रोका जाय, बिला खिलाफ राय के, सब इस राय के हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके चकबन्दी करा दी जाय। इन अल्फाज के साथ जो तजवीज उधर से मेरे भाई ने रखी है, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

*चौधरी रघुराजसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में भी ४ तहसीलों में से एक तहसील में चकबन्दी हो रही है, उस तहसील का नाम सिकन्दराबाद तहसील है। रोजाना हम लोग इस बात को देखते हैं कि दर्जनों, पचीसों, सैकड़ों की तादाद में गांव से किसान आते हैं, वह अपना तरह-तरह का दुखड़ा रोते हैं। हम लोग किसी गैर मुल्क के रहने वाले नहीं हैं, इसी देश के हैं और जहां भी जो अच्छाई और खराबी है उसको मालूम करने में कोई दिक्कत या दुशवारी नहीं होनी चाहिये और न होती है। हकीकत कभी छिपी नहीं रहती।

अभी उधर से हमारे एक मित्र ने कहा कि यही एक महकमा ऐसा है कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। थोड़ी देर तकरीर करने के बाद उन्होंने अपने खयाल को तरमीम किया और यह कहा कि इसमें कम से कम है। अगर यह बात सही है कि जिसके यकीन करने में मुझ ही को नहीं बल्कि सब को बहुत बड़ा शुबहा है और शुबहा ही नहीं यकीन के काबिल बात है कि काश ऐसा होता तो मैं समझता कि वाकई में भारतवर्ष के एक महकमे में बहिश्त है, स्वर्ग है। सबसे बड़ी बात इसकी जांच इस तरह से हो सकती है कि अगर आप जिन देहातों में, गांवों में चकबन्दी हो रही है वहां के खातेदारों की राय पूछें और राय लें तो मालूम होगा कि ७०—७५ बल्कि ८० फीसदी लोग इससे नालां हैं, दुखी हैं और इसको नहीं चाहते।

मैं तो यह कहने के लिये तैयार नहीं कि चकबन्दी बुरी चीज है। अगर किसी शख्स के ४—६ जगह खेत हैं, वह अगर एक जगह हो जायं तो निगरानी और काश्त करने में, उसकी तरक्की करने में सहूलियत होती है। कितनी ही उम्दा चीज हो, कितने ही उम्दा उसूलों पर मबनी हो, लेकिन अगर उसका अमल गलत हो जाय तो मैं कहूंगा कि वह अमृत क्या है जो विष का काम करे। ऐसा अमृत जो विष का काम करे वह तो किसी इंसान को ग्रहण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी रघुराजसिंह]

करना अकलमन्दी के बईद चीज है । इस चकबन्दी के सिलसिले में कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इससे कितने लोग परेशान हैं । जो बाअसर या जो होशियार लोग हैं वह तो अपने चक बहुत अच्छे बनवा लेते हैं, लेकिन सभी तो गांव में ऐसे नहीं हैं । गरीब लोग भी हैं और औरते भी हैं, बेवाएं भी हैं, नाबालिग हैं, बेकस हैं, उनके साथ हर किस्म की ज्यादती हो रही है और उसकी वजह यह है कि न उनके पास धन है, न जोर है, न कहीं रसाई, पहुंच कर सकते हैं । जिस तहसील में बुलन्दशहर में चकबन्दी हो रही है अगर वहां की रिवीजनों की तादाद को देखा जाय और मंत्री जी उनको देख कर हमें यहां पर बतायें तो यह वाजेह हो जायगा कि हर गांव के ७०–७५ फीसदी किसानों के रिवीजन किये गये हैं । अगर दरहकीकत चकबन्दी अच्छी तरह से की जा रही है और किसान इसमें अपना फायदा समझता है तो क्या वजह है कि इतने रिवीजन दायर हुए हैं ?

फिर इसी के साथ मेरे एक मित्र ने कहा कि इस चकबन्दी के सिलसिले में बहुत सी ऐसी आराजियां शामिल कर दी गयी हैं जो नाकाबिल काश्त हैं, नामुमकिन हैं काश्त के लिये और जिनमें तालाब ह, उनको शामिल करके चकबन्दी की जाती है । तो ऐसी जमीनें जो नाकिस हैं, जो नाकाबिल हैं वह तो ऐसों की तरफ जाती हैं जो बेकस हैं, निर्धन हैं और अपनी आवाज कहीं पहुंचा नहीं सकते ....

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---चौधरी साहब से एक बात दरियाफ्त कर लूं कि बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद तहसील में कुल किसान कितने हैं और उनमें से कितनों के रिवीजन फाइल हुए हैं ?

चौधरी रघुराजसिंह---उस तहसील में करीब ४०० गांव हैं और उन ४०० गांवों में से करीब करीब ५० गांव में तो मैं भी घूमा हूं और जलसे भी हुए हैं । अगर मंत्री जी तकलीफ गवारा करें और वहां तशरीफ लायें तो हम ऐसा जलसा अरेंज कर सकते हैं और उसमें वह खुद देखें और दरियाफ्त करे और राय लें कि उनकी राय क्या है, तो उन्हें खुद ही मालूम हो जायगा । यह तो ठीक है कि यहां बैठे बैठे सब मालूम करना मुश्किल चीज है, बल्कि मैं कहूंगा कि नामुमकिन है । इसका यह भी असर है कि वह लोग समझते हैं कि न मालूम हमें कौन सा खेत मिलेगा और कौन सा निकल जायगा, लिहाजा उन्होंने उसमें मेहनत और मशक्कत करना छोड़ दिया है । नतीजा उसका यह है कि अगर मंत्री जी वहां की पैदावार को देखेंगे तो शायद जब से यह चकबन्दी का सिलसिला चला है पैदावार में बहुत फर्क आ गया है, पैदावार गिर गयी है । इसके अलावा यह भी चीज है कि उस जिले में और भी ३ तहसीलें हैं । हर तहसील के लोग, जहां हम लोग जाते हैं, यही कहते हैं कि यह आफत हमारी तरफ न आ जाय, इसे किसी तरह से टलवायें । मैं भी एक किसान हूं, मेरे पास जमीन है और वह भी शायद एक जगह न हो, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा सरकार को कि मैं खुद ही इससे लरजिश उठा रहा हूं कि इसका क्या नतीजा होगा । बहुत से किसानों को ऐसी जगहों को जिनकी कई जगह जमीन नहीं थी नयी चकबन्दी में १०–१० जगह जमीन कट गयी, १० जगह जमीन बंट गयी । अगर ऐसी मिसालें मंत्री जी चाहेंगे तो वह भी दी जा सकती हैं । तो उस चकबन्दी से क्या फायदा हुआ ? जो ४ जगह खेती थी अब वह १०–१० और ८–८ जगह बट गयी । हाल में एक खाता बदला गया । २ फरीक थे, उनकी एकजा जमीन थी । एक साझी ने अपना ट्यूबवेल लगाया और दूसरे ने कुआं लगा लिया । उसका चक इस तरह से कट गया कि ट्यूबवेल और कुआं एक चक में पहुंच गये और दूसरे को खाकी जमीन पहुंच गयी । तो इस तरह से मिसालें दी जा सकती हैं । अगर रिवीजनों से कुछ मंगाकर देखना चाहें और जांच करना चाहें तो प्रत्यक्ष हो जायगा ।

एक बात मुझे और अर्ज करनी है कि किसानों से जो खर्चा लिया जा रहा है उसको मैं बड़ी ज्यादती समझता हूं और इसलिये समझता हूं कि किसान की कमाई किस दिक्कत और किस मुसीबत से होती है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब कि सिंचाई के जरिये से, जिस पानी की कीमत न मालूम कितनी बढ़ चुकी है, लगान के जरिये से और तरह तरह के टैक्सों के जरिये से गवर्नमेंट के खजाने भरते हैं तो वह सब किसानों ही का रुपया है। तो उनसे इस चकबन्दी के सिलसिले में उसका खर्चा लेना, यह मैं समझता हूं कि उसके साथ बड़ी ज्यादती है। शायद हम उस जिन्दगी को भूल गये, हमको उस जिन्दगी से वास्ता नहीं पड़ता है। काश हम फिर उस जिन्दगी में एक हफ्ते के लिये पहुंच जायं तो मुझे यकीन है कि हर एक समझदार आदमी बावजूद इसको समझते हुए कि चकबन्दी का उसूल उम्दा है और होना चाहिये, लेकिन उसका अमल इस गलत तरीके से हो रहा है कि वह खुद उसे पसन्द न करेगा और शायद इधर के जो ख्यालात हैं उससे दोचन्द और सेहचन्द खयालात उधर से मुखालिफ हो जाय। तो मैं इन सारी हालतों को खुद देखते हुये, समय जरूर कम है और मुझे तो जाती तजुर्बा है, मैं यह कह सकूंगा कि अगर यही हालत और यही तरीके हैं तो इस चकबन्दी को फौरन बन्द किया जाय और फिर इसकी जो खराबियां हैं उनको निकाल कर इसे हाथ में लिया जाय।

इन अल्फाज के साथ में इस तजवीज की पुरजोर मुआफिकत करता हूं और तवक्को करता हूं कि महज कागजी बात को देख कर ही नहीं बल्कि ऐसी जगह जा कर खुद मामलात का तजुर्बा करके सरकार इस पर अमल करे वरना यह फौरन बन्द कर देनी चाहिये।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी रोके जाने के लिये जो संकल्प इस हाउस के सामने आज पेश है और इस सिलसिले में जो यहां पर तकरीरें हुईं उन सब को देखने पर एक बात स्पष्ट हो जाती है और वह यह कि इस सदन में जिन लोगों का आइडियोलाजिकली यह विश्वास है कि जमीन का दोबारा बंटवारा होना चाहिये, कुदरती तौर से उन्हें चकबन्दी के खिलाफ होना चाहिये और जिन लोगों का यह विश्वास है कि जमीन स्टेट फार्म्स के जरिये से जोती जानी चाहिये, कलेक्टिव फार्म्स होने चाहिये उनका भी कुदरती तौर से खयाल होना ही चाहिये कि चकबन्दी बेकार सी चीज है या जिन लोगों का ऐसा खयाल है कि जमीन के ऊपर सहकारिता से खेती होनी चाहिये उनके वास्ते भी चकबन्दी का किया जाना कोई मुनासिब बात नहीं है। मैं यह समझता कि चकबन्दी जो हो रही है उसमें इतनी खराबियां नहीं हैं और जो लोग चकबन्दी करने में लगे हुये हैं वे योग्य पुरुष हैं, काबिल लोग हैं और वे लोग निहायत ईमानदारी के साथ चकबन्दी का कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शक और शुबहा की बात नहीं है, लेकिन चूंकि आइडियोलाजिकली इस सदन के कुछ सेक्शन्स यह चाहते हैं कि यहां पर जो प्राइवेट प्रापर्टी की बिना पर खेती की जा रही है वह न रहे उनको तो चकबन्दी चाहे अच्छी हो या बुरी हो, चाहे अच्छे आदमी उसमें काम कर रहे हों या बुरे आदमी काम कर रहे हों, उसमें करप्शन हो या न हो, उन्हें तो इसकी मुखालिफत ही करना चाहिये।

एक बात यह है कि चकबन्दी का फायदा सब लोगों को प्रतीत है। चकबन्दी की वजह से जो इस प्रदेश को फायदा होने वाला है उसका भी अन्दाजा सबको है और उसका जो क्रेडिट कांग्रेस सरकार को मिलने वाला है उसके मुताल्लिक भी किसी को शुबहा नहीं है; लेकिन पार्टी सिस्टम आफ गवर्नमेंट में किसी एक पार्टी को एक बहुत बड़े पापुलेशन से क्रेडिट हासिल हो जाय दूसरी पार्टी के लोगों को यह बात बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो लोग यह चाहते हैं कि आज नहीं तो कल इस सूबे की सरकार उनके हाथ में होनी चाहिये उनके फायदे में भी यह बात है कि वे सूबे के अन्दर डिसकान्टेन्ट रखें। यह हो सकता है कि वैसे लोगों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूबसिंह]

की माली हालत जल्दी अच्छी न होने पायें तो चकबन्दी होने से लोगों की माली हालत तो अच्छी होनी ही है, इसमें दो रायें नहीं हैं और जब लोगों की माली हालत अच्छी होगी तो गवर्नमेंट के प्रति काश्तकारों की निष्ठा और श्रद्धा बढ़ेगी और श्रद्धा बढ़ने से मुखालिफ पार्टियों की ताकत कम होगी। तो उस नुक्ते नजर से भी उनके हित में यही है कि चकबन्दी नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी का होना इस प्रदेश के लिये बड़ी जरूरी चीज है। सब से बड़ा ब्लंडर सरकार को करना पड़ेगा अगर चकबन्दी का काम सूबे में रोक दिया जाय या सुस्ती के साथ चलाया जाय। इस प्रस्ताव में जो एक जांच कमेटी की मांग की गई है तो वह कमेटी क्या करेगी ? सूबे के लोगों का एक मत है और निश्चित मत है। इसमें किसी जांच वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और बतला दूं और जहां तक मेरे जिले का ताल्लुक है, मेरे जिले में डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है और इसलिये रुका हुआ है कि लोग प्रतीक्षा में हैं कि जल्द चकबन्दी का काम खत्म हो जाय तो लोग अपने परिश्रम से खुद इर्रीगेशन का इंतजाम करें। इसके लिये लोग आज उतारू हो रहे हैं। ऐसा करने से सरकार का बहुत बड़ा बोझा हट जायगा और सरकार की बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायंगी। उनके कुएं होंगे, उनके पैसे से होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस तरह से एक बहुत बड़ा फायदा सूबे का होने वाला है। इसलिये काश्तकार लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं कि अभी तक चक नहीं बन सके हैं। अगर चक बन गये तो वह लोग खुद अपने कुयें बना लेंगे और उनकी माली हालत अच्छी होगी। सूबे की माली हालत अच्छी होगी और सरकार क ऊपर जो बोझा पड़ रहा है वह नहीं होगा और करप्शन भी खत्म हो जायगा क्योंकि उनके स्वयं के कुयें होंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही जाती है कि चकबन्दी से मुकदमे कम नहीं होंगे। यह गलत बात है। थोड़े से खर्चे में, थोड़े से परिश्रम में, बहुत बड़ी तादाद में जो डिस्प्यूट्स जमीन के मुताल्लिक ह वह चकबन्दी से दूर हो रहे ह। आज जितना फायदा चकबन्दी से मिल रहा है उतना किसी और योजना से नहीं मिल रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। चकबन्दी हमारे लिय एक वरदान है। इसमें चाहे कुछ खराबियां भी हों और जाहिर है कि हो सकती हैं क्योंकि जो चकबन्दी में काम करने वाले आदमी हैं, वह करप्ट न भी होंगे तो उनको करप्ट करने की कोशिश की जा सकती है और इसके लिये चांस है, मौका है। बावजूद इसके इसका काम बहुत उम्दा चल रहा है। थोड़ा बहुत नुक्सान होता भी हो तो उसका खयाल न करके चकबन्दी का काम ज्यादा तेजी से चलाया जाय।

इर्रीगेशन की बात कही गई। कल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने सही फरमाया कि जिस तरीके से इन अधिकारियों के साथ आज काम चलाया जा रहा है उससे दूसरा बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। मैं इन अल्फाज के साथ इस प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं। चकबन्दी का इंतजाम जिनके हाथ में है यदि वह नाकाबलियत से काम चला रहे हैं तब भी इसे चलने देना चाहिये क्योंकि इससे सूबे का बहुत बड़ा फायदा है। अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये और ज्यादा नफे को मद्देनजर रखते हुये इस काम को और तेजी के साथ चलाया जाय।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—आदरणीय सभापति जी, आज पिछले कई वर्षों से चकबन्दी के सम्बन्ध में विभिन्न विचार हमारे सामने आते रहे हैं और आज एक नया प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है कि चकबन्दी को ६ महीने के लिये स्थगित करके इसके व्यवहार और सिद्धान्त के ऊपर नये सिरे से विचार किया जाय। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव सही है, इसलिये नहीं कि चकबन्दी का किया जाना गलत है या चकबन्दी जो लोग कर रहे हैं वे सारे के सारे पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं और इसलिये भी नहीं कि इस महकमे में अच्छे काम करने वाले

नहीं हैं, बल्कि इसका आधार दूसरा है। कानून के अन्दर कुछ मूलभूत गलतियां रही हैं जिनके बारे में बार-बार सरकार का ध्यान खींचा गया, लेकिन जिनके हाथ में यह जिम्मेदारी है वे उन बातों पर बहुत धीरे से विचार करनेके आदी हैं और हर बात को अपने लिये बहुत गहरी चेतावनी समझने वाले लोग हैं। इसलिये उनकी मानसिक धारणा की वजह से लोगों को कितना कष्ट होता है इसके लिये थोड़ा विलम्ब से सोचने के वे आदी हैं। मैं समझता हूं सब से पहली बात तो यह है कि अभी जो हमारे चौधरी साहब बोले थे, मैं उनकी इस प्रकार की स्पिरिट से सहमत नहीं हूं, जैसा कि वह प्रकट कर रहे थे, लेकिन फिर भी यह कहना चाहता हूं कि जो नकशा हमारे सामने पेश किया गया है और खुद माल विभाग की तरफ से पेश किया गया है उस नकशे को देखने से यह मालूम पड़ता है कि किसान किस स्टेज पर आकर किस प्रकार की आपत्ति करता है और उन आपत्तियों का निस्तारण किस प्रकार से होता है। यह खुद इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि यह व्यवस्था दोषपूर्ण है। मैं समझता हूं कि मुजफफरनगर में २०९ गांवों के अन्दर जब प्रस्तावित चक देनेकी व्यवस्था हुई और धारा १९ के अन्तर्गत जब यह एलान किया जाने लगा कि चक दिये जा रहे हैं और प्रस्तावित नकशा उनके सामने आया तो ६१०० लोगों ने उसके ऊपर आपत्ति की। सुल्तानपुर में कुल २५५ गांवों के ५ हजार लोगों ने इस स्टेज पर आकर आपत्ति की। इसी प्रकार बुलन्दशहर में भी उनसे पूछा गया तो वहां पर ३९६ गांवों के कुल मिलाकर १३७४३ आदमियों ने आपत्ति की। ऐसे ही बरेली जिले में ५२६ गांवों में १३ हजार आदमियों ने की। इसी प्रकार से फर्रुखाबाद के १४ हजार लोगों ने थोड़े से गांवों में यह आपत्ति की। यह आपत्ति उस अवसर पर की गई जब कि उनके सामने प्रस्तावित चक आये। इससे एक बात बिलकुल प्रकट है कि आपत्ति का जो आना हुआ है वह पहले की जो मन्जिल है उसके ऊपर कम हुआ है और जैसे-जैसे ही ब्लाक आदि का मामला आया तैसे-तैसे ही ज्यादा हुई।

मैं समझता हूं कि पहले भी इस प्रकार की मांग की गई थी सरकार से कि जब आप चक-बन्दी करना चाहते हैं तो जमीन की किस्मों को तय कर लें। उसके लिये कुछ पैमाना जरूर तय करना पड़ेगा। आज से ३१ वर्ष पहले जो यहां पर जमीन का बन्दोबस्त हुआ था उसमें जो किस्में तय की गई थीं और अब काफी लम्बा अरसा गुजर चुका है इसलिये उससे चकबन्दी के जो ईमानदार आदमी हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनके सामने वस्तुतः एक झंझट पैदा हो जाता है।

अगर चकबन्दी करना बहुत आवश्यक है, मैं तो मसझता हूं कि बहुत आवश्यक नहीं है तो बन्दोबस्त करना भी आवश्यक है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि क्योंकि वोट हासिल करना है इसलिये हम विरोध करते हैं और उससे पैदावार बढ़ेगी, तो वोट हमें नहीं मिलेंगे, तो मेरा खयाल यह है कि असल समस्या यह है कि वे सज्जन कांग्रेस का टिकट पाने के लिये मंत्री जी की खुशामद कर रहे हैं। चकबन्दी अत्यन्त आवश्यक है तो उसके साथ बन्दोबस्त किया जाना बहुत जरूरी है। जो चकबन्दी के कर्मचारी ईमानदारी से चकबन्दी करना चाहते हैं उनके सामने झंझट पैदा हो जाता है। पहले वह मौके पर जाते हैं, देखते हैं जमीन की किस्म दूसरी है और कागज में दूसरी है। इसके बाद उनके ऊपर तरह-तरह का प्रेशर पड़ता है। कहीं मौके पर वह बहाना करते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट इस मांग को मानने के लिये क्यों तैयार नहीं होती? इस प्रकार अब सवाल आता है निगरानी का। जब कर्मचारी मूल्य निर्धारण करने लगते हैं तब किसान अधिक आपत्ति करते हैं। मैं चकबन्दी अधिनियम की धारा ४८ की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के चकबन्दी डाइरेक्टर को यह अधिकार दिया गया है और फिर गवर्नमेंट आर्डर से यह अधिकार अन्त में जिलाधीश को सौंपा जाता है कि वह निगरानी का निस्तारण करेगा, अगर यह निगरानी की जाय। बहुत निगरानी हुई हैं, एक-एक हजार और नौ-नौ सौ, और इससे कम भी निगरानी अलग-अलग पर जिलों में हुई है। जहां जमीन का मूल्य अधिक है वहां निगरानी अधिक होती

[आचार्य दीपंकर]

हैं। इन निगरानियों की किस्मत क्या होती है, यह इस चार्ट को देखने से प्रकट नहीं होता, लेकिन मुझे दो-तीन जिलों का अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि निगरानियां जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां पहुंचती हैं तो सिवाय इसके कि उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाय और कुछ नहीं किया जाता। उनका एक ही नपातुला जवाब होता है कि यह खारिज की जाती है। आप देखिये कि एक मात्र सब से बड़ा अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया गया है निगरानी देखने का और वह भी आमतौर पर उनकी यह हालत करते हैं। वह बिलखने वाले किसान कोई और दरवाजा नहीं खटखटा सकते। पिछली बार मुजफ्फरनगर में जो निगरानियां खारिज हुई थीं, उनकी वजह से ही वहां वह तमाम परेशानी हुई और इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चकबन्दी कानून में कुछ आधारभूत दोष हैं जिनकी वजह से यह तमाम चीजें सामने आती हैं। मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि जिनकी मेहरबानी से यह डिटेल्ड नकशा हमारे सामने आया है और वह चाहे दोषपूर्ण हो या निर्दोष, लेकिन उसके आधार पर हम एक राय कायम कर सकते हैं।

दूसरी बात यह कि लोगों में यह धारणा आम है कि चकबन्दी हो जाने से लोगों के खेत एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जो तथ्य हमारे सामने आये हैं उनसे भी यह बात प्रकट है और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो एक धारा इसमें जोड़ी गयी है कि २० प्रतिशत से ज्यादा जमीन की कीमत का जो वेरिएशन होगा वह २० प्रतिशत से कतई बेश नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस धारा में कानून बनाने वालों ने काफी गम्भीरता से विचार किया होगा और इससे आगे आने वाला जो उलझाव है वह उनके दिमाग में रहा होगा। यह धारा स्वागत के योग्य है, लेकिन इस धारा का इस चकबन्दी में उपयोग नहीं के बराबर है। मेरा जितना अनुभव है, वह थोड़ा हो सकता है और थोड़ा है, उसके आधार पर मैं समझता हूं कि यह धारा गांवों में कहीं भी इस्तेमाल नहीं की गयी है। मुझे कम से कम यह जानकारी नहीं है कि इस धारा का कहीं इस्तेमाल किया गया हो। नतीजा यह होता है कि अगर एक गांव में तीन किस्म की जमीन है तो उसके अनुसार तीन चक कट जाते हैं।

इसके बाद एक आपत्तिजनक बात है किसानों के सहयोग की। आज से बहुत वर्ष पहले पंचायतों का चुनाव हुआ था। उस वक्त लोगों के दिमागों में यह बात नहीं थी कि आइन्दा चकबन्दी आयेगी और उसके लिये उन्हें चकबन्दी समिति का चुनाव करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी दो मिनट बाकी हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छा।

आचार्य दीपंकर—तो जिस दिन तक इस चकबन्दी समिति पर चकबन्दी कर्मचारियों का कृपा कटाक्ष रहता है वह जिन्दा रहती है और जिस दिन उनकी कृपादृष्टि हट गयी, उसी दिन वह मर जाती है और यह प्रतिक्षण जीने मरने वाली चकबन्दी समिति बनायी भी उनके द्वारा गयी थी कि जिनके सामने यह सवाल नहीं था कि उन्हें कभी चकबन्दी समिति का चुनाव करना पड़ेगा। तो चकबन्दी करते समय यह आवश्यक नियम होना चाहिये, कानून में व्यवस्था होनी चाहिये कि लोगों को इस बात का ज्ञान रहे कि उनके गांव में चकबन्दी होने वाली है इसलिये अपने अधिकारों की रक्षा के लिये वह उस कमेटी का चुनाव कर सकें। अब वह चकबन्दी कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह नये सिरे से लोगों को चुनने का मौका देता है या नहीं। अगर कोई रिजिड कर्मचारी है तो मुश्किल है और यदि कोई समझदार होता है तो काम चल जाता है। इसी तरह से चकों के आकार-प्रकार वाली व्यवस्था है। हां, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि चकबन्दी के द्वारा बिखरे हुये खेत इकट्ठा हो जाते हैं, यह घोषित उद्देश्य पूरा नहीं होता है। सभापति जी, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उदाहरण के लिये फर्रुखाबाद जिले को ही ले लें। वहां ३६०

गांव हैं और करीब १ लाख ६३ हजार एकड़ जमीन है। चकबन्दी से पहले खेतों की संख्या करीब ९६ हजार थी जो चकबन्दी के बाद २१ हजार हो गई। कुछ और जिलों में जहां पहले ५९ हजार थी वहां १३ हजार हो गई, जहां १ लाख थी वहां २८ हजार हो गई, १२ हजार की ४ हजार रह गई, ३४ हजार की १० हजार, ४ हजार की डेढ़ हजार, ५ हजार की १,७०० रह गई। इन आंकड़ों से जो बहुत बड़ी दुन्दुभी बजाई जाती है कि चकों की संख्या कम हो जायेगी, वह नहीं हो पा रही है।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवराजबली सिंह (जिला फतेहपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, जो चकबन्दी के विषय में वादविवाद चल रहा है, उसमें मैं भी हिस्सा लेने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे भाइयों में से बहुत ने अनेक प्रकार की शिकायतें कीं। कहा कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार बहुत है, लोग अपने अनुकूल रिश्वत देकर चक बनवा लेते हैं, किसानों से चकबन्दी का खर्चा जबरदस्ती वसूल किया जाता है, इत्यादि, इत्यादि। मैं सिर्फ एक बात इस सदन में कहना चाहता हूं कि यहां मैं चिकनी चुपड़ी बातें बनाने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। फतेहपुर तहसील में चकबन्दी करीब डेढ़ साल से चल रही है। अक्तूबर के महीने से चकबन्दी शुरू हुई, जिसे करीब डेढ़ साल के ऊपर हो गया है। करीब-करीब ५५० गांवों में कागजात की दुरुस्ती की जा चुकी है, बहुत से गांवों में चक भी काटे जा चुके हैं और लोगों ने अपने-अपने कब्जे भी ले लिये हैं। मैं एक नमूना आपसे बतलाता हूं जिसके जरिये से आप समझ सकते हैं कि वहां पर चकबन्दी शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है या उससे वहां लोगों को परेशानी है। हमारे माल मंत्री जी हमारे यहां फरवरी के महीने में गये थे। वहां पर तीन मीटिंग्स हुईं एक मीटिंग सदर में भी हुई जहां पर काफी तादाद में काश्तकार आये थे। वहां पर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति भी ऐसा नहीं रहा जिसने कोई प्रश्न किया हो, न कोई किसान ऐसा रहा जिसने कोई शिकायत लिखकर दी हो कि उनके साथ चक बनाने में, कब्जा लेने में या दूसरी तरह से कोई ज्यादती की गयी हो। कहने का सारांश यह है कि फतेहपुर में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी हैं, इन मीटिंग्स में सारी पार्टियों के लोग थे, गांव समाजों के प्रधान लोग भी थे, लेकिन किसी ने भी ऐसी आवाज नहीं उठायी कि यहां अन्याय हो रहा है।

मैं समझता हूं कि इसका एक ही कारण है। एक तो यह कि वहां का जो चकबन्दी अधिकारी है, उसकी जहां तक प्रशंसा की जाय वह कम है, वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। खुद मौके पर जाता है और अगर कोई शिकायत होती है तो खुद उसका मौके पर फैसला करता है। जब वह ईमानदार है तो दूसरों को मजबूरन ईमानदार होना पड़ता है। अगर कहीं किसी ने गड़बड़ी की है तो उसके साथ सख्ती भी की गयी है। इसके साथ ही हमारे यहां जितनी पार्टियां हैं, हम उनके भी आभारी हैं। क्योंकि अगर वहां पर गड़बड़ी करना चाहें तो ये लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन वे लोग समझते हैं कि यह जनहित का काम है, इसमें गड़बड़ी करना उचित नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप लोग वहां जायं और जाकर देखें कि क्या बात है।

दूसरी चीज यह है और मेरा ऐसा विचार है कि चाहे इधर के माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के माननीय सदस्य हों, जो बात उचित हो वह कही जाय तो ज्यादा अच्छा है। पार्टी का उसूल यह कभी नहीं होना चाहिये कि सही बात न कही जाय। सही बात ही कहनी चाहिये। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग सही बात यहां कहें, जहां गलती हो वहां गलती कहें, जहां पर अन्याय मालूम होता हो, वहां पर अन्याय कहें, लेकिन जब तक आप खुद मिल कर काम नहीं करेंगे और अगर आप यह सोचते हों कि चकबन्दी हो जाने से दूसरी पार्टी का

[श्री शिवराज बली सिंह]

यानी कांग्रेस का लाभ है तो यह सोचना गलत है। इससे हमारा आपका सबका नुकसान होगा। छोटे छोटे जितने किसान हैं, उनसे जाकर पूछिये तो मालूम होगा कि असलियत क्या है। यहां कहा जाता है कि इससे छोटे छोटे किसानों का अहित हुआ है। मैं कहता हूं कि इससे छोटे छोटे किसान खुश हैं कि गवर्नमेंट ने उनके साथ न्याय किया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप लोग उचित बात कहें, वह बात आप न दोहरायें जिससे मुल्क का नुकसान हो और जब तक आपका और जनता का सहयोग सरकारी कर्मचारियों के साथ नहीं होगा तब तक वे अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। जनता को भी मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब तक हमारा आपका चकबन्दी अधिकारियों और जनता इन तीनों का सहयोग न होगा तब तक चकबन्दी अच्छी नहीं होगी, काम अच्छा नहीं होगा और हम लोग सफल नहीं हो सकेंगे। आप सभी जानते हैं और यहां कहते हैं कि चकबन्दी अच्छी चीज है और जब आप चकबन्दी को अच्छी चीज मानते हैं, तो आपको सिर्फ यह देखना है कि क्या वजह है कि हमारे यहां खराबी है और दूसरी जगह अच्छाई है। मेरी प्रार्थना है कि आप फतेहपुर तहसील में जाकर देखें। ठाकुर भगवती सिंह विशारद का सरहद वहां पर मिलता है क्योंकि मेरा और इनका क्षेत्र करीब करीब गंगा जी के दरमियान है। हम चाहते हैं कि वे वहां खुद जाकर देखें और देखने के बाद जो सही हालत हो वह बतलावें और फिर अपने यहां उन्नाव में चकबन्दी के काम को जारी करें।

श्री मुल्लाप्रसाद हंस (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री भगवती सिंह विशारद ने पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं, इसलिये कि मेरे जिले में चकबन्दी हो रही है और उस चकबन्दी की मुझे जानकारी है।

श्री चरण सिंह—वह कौन सी जगह है ?

श्री मुल्ला प्रसाद हंस—जिला उन्नाव की पुरवा तहसील में और उन्नाव तहसील में चकबन्दी हो रही है। वहां जिस तरह से चकबन्दी हो रही है, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मेरे जिले उन्नाव में एक गांव समीसराय है वहां पर चकबन्दी हुई है जिसमें आमतौर से छोटे-छोटे जो किसान हैं उनकी वह हालत हुई है कि जिन्होंने अपनी जमीन को बीसों और पचासों वर्ष से बनाया था वह बड़े-बड़े लोगों के पास चली गई और बदले में उनको ऐसी जमीन मिल गई जो परती पड़ी थी और जिसमें खास तौर से सिवा पतावर के और कुछ नहीं होता था। इसलिये मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि जब तक इसकी जांच न हो तब तक उससे हमारे सूबे के किसानों को कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिये जरूरी है कि जहां किसान बड़ी-बड़ी आशायें रखता है और जो सरकार के पास शिकायतें भेजता है उनके समाधन के लिये जांच कराई जाय। चकबन्दी का उसूल तो बड़ा अच्छा है लेकिन उसको कार्यान्वित करने वाले ठीक से कार्यान्वित नहीं करते। वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने देखा है कि एक-एक चक में ७२-७२ कोने एक किसान खोदने में जुटे तो कहीं जाकर दो तीन दिन में खोद पायेगा, तीन-तीन फर्लांग के लम्बे चक बनाये गये हैं जिनकी चौड़ाई बहुत कम है इस तरह के चक बन रहे हैं। हमारी तहसील सफीपुर में वहां पर छोटे-छोटे किसान खास तौर से हरिजन भाई चकबन्दी से खुश नहीं हैं। चकबन्दी के जो उद्देश्य हैं अगर उन के अनुसार वह हो तब तो ठीक है लेकिन जो उसमें खराबियां हैं, भ्रष्टाचार है, तमाम तरह के मुकदमे होते हैं और ठीक से कागज दुरुस्ती नहीं हो पाती हैं उससे किसान बहुत परेशान है। मेरा सुझाव है कि अगर चकबन्दी के बजाय पहले जमीन का बटवारा और हदबन्दी की जाय तो ठीक होगा, चकबन्दी लोग कहते हैं अच्छी चीज है, लेकिन वह तभी अच्छी है जब यह काम पहले हो जायं। संडीले में थाना कासिमपुर के एक गांव के किसान परसों या नरसों आये थे, गांव का नाम याद नहीं है, वहां पर बहुत खराबी हुई है, छोटे-छोटे किसान जो दो चार एकड़ जमीन के किसान हैं उनको बहुत परेशानी हो गई है, जिन्होंने खाद पास डालकर उन खेतों को तैयार किया था वह न जाने

कैसे बड़े लोगों के पास चले जाते हैं और उन की खराब जमीन उन के मत्थे आ जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन छोटे किसानों की तकलीफ पर विचार किया जाय। अब ज्यादा न कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—आदरणीय उपध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सोच समझकर माननीय भगवतीसिंह विशारद का जो संकल्प है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं ही नहीं बल्कि जहां तक मैंने सुना हर बेंचेज के लोगों ने चकबन्दी का समर्थन किया है। उनके व्याख्यानों को यहां पर मैंने सुना है। इनसे यही प्रतीत होता है कि सभी ने चकबन्दी का समर्थन किया है। हर व्यक्ति जब खड़ा होता है, चाहे किसी पार्टी के महाशय हों, वह आदरणीय सदस्य यह जरूर कहते हैं कि चकबन्दी बड़ी अच्छी चीज है। उसका सिद्धान्त बहुत बढ़िया है। फिर विरोध किस बात का? एक महाशय ने तो तर्क में कहा कि इसके पहले बटवारा हो जाय, तब चकबन्दी हो। अच्छा, अगर बटवारा बाद में हो चकबन्दी के, तो क्या खराबी है उसको उन्होंने नहीं बताया। पहले बटवारा हो जाय तब चकबन्दी हो, यही उन्होंने कहा। मुझे एक बात याद आ गई। एक आदमी ने कहा कि हंस पकड़ना बहुत बढ़िया चीज है, पकड़ा जाय, लेकिन चालाकी के साथ पकड़ा जाय तो ठीक है। पहले उसके सिर पर मोम रखा जाय और मोम पिघले और वह अन्धा हो जाय तब हंस पकड़ा जाय। तो यह चतुरता भी खूब रही। जब हंस केसर में मोम रखने जाय तभी न पकड़ ले। उसी तरह से चकबन्दी करने से पहले बटवारा कर लो यह भी हंस पकड़ने की भांति बात है। तो चकबन्दी का तो विरोध किसी ने किया नहीं।

श्रीमन्, एक भाई ने अभी बताया कि पहले हदबन्दी हो जाय तब चकबन्दी हो। मेरी यह समझ में नहीं आया कि वह शायद पढ़े नहीं चकबन्दी के विधान को, या उसको समझे नहीं, या जहां चकबन्दी हो रही है वहां पर जाकर मेरे भाई ने देखा नहीं। चकबन्दी में हदबन्दी, चकबन्दी, जमीन की मिल्कियत, हकीयत और सारे मामलात इसके साथ तय हो जाते हैं। जहां १६ लाख के ऊपर अशुद्धियां, जो कि अंग्रेजों के जमाने से और ताल्लुकेदारों के जमाने से चली आ रही थीं, उनके खुदनाम, अपने जिलेदारों के नाम, अपने सिपाहियों के नाम, अपने दलालों के नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम से हजारों पट्टे किये और कराये गये थे जिनका सुधार अब तक नहीं हो पाया था और न कभी होता। आज चकबन्दी में वह सारी बला, सारा पाप कट रहा है और शुद्ध हो कर के जो जमीन जिसके कब्जे में है, जो जोते हैं उनके नाम हो रही है, वह आनन्द से अपनी जमीन का हिस्सा लेता है। एक महाशय ने कहा कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है, चकबन्दी में कोई खराबी नहीं है, केवल भ्रष्टाचार है। तो सेशन में भ्रष्टाचार है इसलिये फांसी देना, सजा देना, मुकदमा करना बन्द कर दिया जाय, कलेक्टरी में भ्रष्टाचार है तो सरकार का लगान वसूल करना बन्द कर दिया जाय ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार है तो ग्राम पंचायतों को खत्म] कर दिया जाय, भाई-भाई में भ्रष्टाचार है तो घर से निकाल दिये जांय। भाई भतीजे के साथ भ्रष्टाचार है, भाई बहन के साथ हिस्से का भ्रष्टाचार है, किसी का हक मारना, झूठी गवाही देना, झूठे मुकदमे बनाना, यह सब भ्रष्टाचार है, केवल रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है, तो यदि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार है तो क्या भारतवर्ष छोड़ दिया जाय? अगर भ्रष्टाचार है, किसी माने में मान भी लें तो उसके लिए हमको आपको सारी पार्टियों को जुटना चाहिये और जुट करके उस भ्रष्टाचार का मुकाबिला करना चाहिये, लेकिन जब चकबन्दी के उसूल को अच्छा मानते हो तो चकबन्दी अवश्य हो। मेरे कहने का मतलब यह कि जो चकबन्दी का उसूल है उसको सबों ने मान लिया।

अब एक बात मेरे एक भाई ने कही जिनका नाम नहीं जानता। उन्होंने कहा कि चकबन्दी नहीं है यह तो चक्करबन्दी है, चकबन्दी को चक्करबन्दी बताया। यह भाई स्वयं अपने को चक्कर में डाल कर के उनको अर्थात् जनता को भरमा रहे हैं। जैसा कि तुलसीदास ने कहा है कि:—

बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं ग्रहादी,
कहहिं परस्पर मिथ्यावादी॥

[श्री गुप्तारसिंह]

कहीं यह घुमनी घूमकर के उनके दिमाग में तो नहीं चक्कर आ गया है कि इनको चकबन्दी में चक्करबन्दी दीखने लगी हो। जब आदमी के दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है तब उसे मालूम होता है कि धरती घूम रही है, मकान घूम रहे हैं, सारी चीजें घूम रही हैं जब कि घूमता कुछ भी नहीं है, केवल उसका दिमाग घूमता है। तो उनको कुछ भ्रम हो गया है। चकबन्दी का विधान समझने में उन्होंने कुछ गलती की है।

एक भाई ने कहा कि चकबन्दी नहीं, कोआपरेटिव होना चाहिये। ठीक, कोआपरेटिव हो। तो माननीय सदस्य यह बतावें कि कोआपरेटिव खेती करने में चकबन्दी कहां बाधा डालेगी? मान लिया जाय रघुबर, राम चन्द्र, सुखई और दीनदयाल इस तरह से ५,७ आदमी मिल करके तय करें कि हम अपना एक चक बना करके कोआपरेटिव खेती करेंगे। लेकिन उनका एक खेत है एक हार में, दूसरा है दूसरे हार में, एक खेत है गंगा के किनारे और एक खेत है जमनिया हार में, इस प्रकार खेत बिखरे हुए हैं और वह चार आदमी कोआपरेटिव फार्मिंग करते हैं तो उनके खेत ही इकटठे नहीं होते हैं। तो जब तक चकबन्दी नहीं होती तब तक मनमाने तरीके से और उचित ढंग से कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती है। इसलिये चकबन्दी होना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पुस्तिका अभी बटी है उसके आंकड़े मैं नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि आंकड़े देने के लिये हमारे मंत्री महोदय खुद माहिर हैं, हमको उस झगड़े में नहीं पड़ना है। हम तो एक जरूरी मांग अपने यहां के किसानों की तरफ से, प्रतिनिधि होने के नाते, करते हैं कि रायबरेली जिले के साथ उपेक्षा की नजर बरती जा रही है चक-बन्दी के सिलसिले में। आज तक उस जिले का नाम चकबन्दी में नहीं आया। जिसको अवश्य आना चाहिये। अभी एक आदमी ने कहा डलमऊ को लिया जाय। मैं बता दूं कि डलमऊ को जरूर लिया जाय। चकबन्दी में है क्या गड़बड़ी यह भी मैं बता दूं माफ करें वह सोशलिस्ट भाई, मैं उनकी हर तरह से इज्जत करता हूं। हमारी सोशलिस्ट पार्टी का सत्याग्रह चला, इतने नारे लगाये गये आम सभाओं में कहा गया कि जमींदारों को पहले मौरूसी किया और इसके बाद जमीन ले ली, जमीदारी खत्म की और जहां चकबन्दी कर पाये वहां तुम्हारी जमीन खत्म करके सरकार ले लेगी। यह बात किसानों को सोशलिस्ट सिखाते हैं। वह चक्कर में डालने की बात है और किसान पड़ जाते हैं।

एक भाई ने कहा कि चकबन्दी जहां हुई वहां कांग्रेस चुनाव हार गई। मैं कहता हूं कि एक क्या सारी कांग्रेस पार्टी हार जाय तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। जर्मनी को परास्त करने के बाद चर्चिल और उसकी सारी पार्टी परास्त हो गई, लेकिन उसने अपने काम को नहीं छोड़ा। फिर इंगलैंड वालों ने समझा और दूसरे चुनाव में फिर उनकी पार्टी विजयी हुई। अगर इस भ्रम में आकर हम डरें कि हम चुनाव जीत जायं इसलिये चकबन्दी नहीं करनी चाहिये, मैं कहता हूं कि चाहे कांग्रेस पार्टी का एक आदमी भी न जीते, लेकिन उसूलन अगर चकबन्दी ठीक है तो वह होनी चाहिये, सरकार को वह काम अवश्य करना चाहिये और इसकी कोई पर-वाह नहीं करनी चाहिये।

एक रोज अभी मैं चला आ रहा था उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान के खेत में बन्दर खा रहे थे। मैं गया तो देखा कि वह किसान एक सकरकन्दी के खेत में डंडा लिये बैठा है। मैंने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारे खेत में वहां बन्दर जुटे हैं। तो वह कहने लगा कि यह लड़के जो बन्दर हैं, स्कूलों के लड़के, यह सब सकरकन्दी उखाड़ कर खा लेते हैं, उनको देख रहा हूं। उसने कहा कि यह तुम्हारी चकबन्दी कब होगी जब सारे खेत एक जगह होंगे और मैं सब की रखवाली एक साथ कर सकूंगा। इसके पहले कि मैं अपना व्याख्यान खत्म करूं, मैं सहस्र धन्यवाद अपने मंत्री जी को देता हूं कि उन्होंने चकबन्दी ऐसी चीज को शुरू किया जो बहुत पहले हो जानी चाहिये थी। प्रदेश का किसान जब तक चकबन्दी नहीं होगी अपने खेतों की ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं।

*श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, श्री भगवतीसिंह विशारद ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकारी पक्ष से यह शब्द कह देने के लिये किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती कि विरोधी दल के लोग पढ़ते नहीं हैं या वे पढ़े लिखे हो कर मूर्ख हैं, कानून की बातें जानने की तकलीफ गवारा नहीं करते हैं। सरकारी पक्ष के सदस्यों ने यह भी इजहार किया कि चकबन्दी में कतई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं उन माननीय सदस्यों का ध्यान माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा दिये गये आंकड़ों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। चकबन्दी के अमीनों की बात भी मैं नहीं कह रहा हूं। उनका तो स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। यह दलील दी जा सकती है कि वे तो लोअर रैंक के हैं, अमीन तो जल्दी गिर सकते हैं। मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं चकबन्दी अधिकारियों के सम्बन्ध में जिनके खिलाफ काफी शिकायतें आईं, जिनको सजा मिली। मैं केवल उन्हीं के मुताल्लिक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनकी सेवायें खत्म की गयीं उन चकबन्दी अधिकारियों की संख्या ४४ है और २ की पदोन्नति की गयी। अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो क्या माननीय मंत्री स्पष्टीकरण देंगे कि इन ४४ चकबन्दी अधिकारियों की सेवायें क्यों खत्म की गयीं और २ की क्यों पदोन्नति हुयी? यह भ्रष्टाचार था या भ्रष्टाचार के ऊपर कोई और कारण था?

इससे पहले मुझे याद पड़ता है कि जब २६ अप्रैल, १९५७ को गैर सरकारी चकबन्दी कमेटी की मीटिंग प्रान्तीय लेविल पर राजस्व मंत्री के सभापतित्व में हुयी तो उस समय तक उन्होंने इसका कभी दावा नहीं किया था कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है। उन्होंने साफ तौर से केटेगरिकली इस बात को डिनाई किया कि चकबन्दी विभाग में कतई भ्रष्टाचार है, मैं इसे कतई मानने को तैयार नहीं हूं। जब उन्हीं की पार्टी के मेम्बरान ने इस बात को दावे के साथ कहा और आंकड़े उनके सम्मुख प्रस्तुत किये तो उनको यह बात माननी पड़ी कि जो कुछ शिकायतें आयेंगी मैं उनका स्वागत करूंगा और उन पर तुरन्त ही ऐक्शन लूंगा, और कोई भी सदस्य अगर यहां अपनी जिम्मेदारी पर यह कह दे कि अमुक अधिकारी चकबन्दी में भ्रष्टाचारी है तो मैं जरूर उस को सजा दे दूंगा। इतना जब विश्वास दिलाया गया और उसके बाद यह आंकड़े प्रस्तुत किये गये तो माननीय सदस्यों का यह कहना कि कतई भ्रष्टाचार चकबन्दी में नहीं है यह उनकी बहस खुद उनको ही खत्म कर देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष के बोलने वालों में जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया गालिबन उन्होंने उसकी भाषा को समझने की कोशिश नहीं की। विशारद जी को कुछ योग्यता हासिल करने की जरूरत थी कब्ल इसके कि वे इस प्रस्ताव को इस सदन में प्रस्तुत करते, लेकिन जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है उनको और भी ज्यादा स्कूली तालीम की जरूरत है ऐसी मैं उनको सलाह देता हूं। प्रस्ताव के शब्द ये हैं "जो वर्तमान ढंग से होने वाली चकबन्दी है उसकी उपयोगिता का या अनुपयोगिता को देखने के लिये और इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी बैठाई जाय और ६ महीने के अन्दर जब तक यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे तब तक चकबन्दी का कार्य स्थगित किया जाय।" कहां इसमें चकबन्दी स्कीम खत्म हुयी जाती है? कहां से यह दलील निकलती है कि चकबन्दी का विरोध किया जा रहा है? माननीय मित्र भूल चुके हैं। यह सर्वमान्य बात है। आज की बात नहीं है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने हमेशा इस बात का नारा लगाया है कि देश के उत्थान के लिये, उन्नति के लिये भारत जैसे किसान देश के लिये, किसान की उन्नति और उस की वृद्धि के लिये हर उपाय करना चाहिये और शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिये। चाहे कोई भी सरकार हो, पी० एस० पी० की हो या कांग्रेस की, उसकी पहली जिम्मेदारी यह हो जाया करती है। भूमि सुधार अत्यन्त आवश्यक है। हर प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के सामने चाहे वह प्लानिंग कमीशन के जरिये से कोई सरकार अपनी कोई योजना बनावे या कहीं बनावे, उसके सामने २४ घंटे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भूमि का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामशरण यादव]

सुधार किया जाय। उसके लिये कौन-कौन से स्टेजेज की जरूरत है इस दृष्टिकोण से जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमारे सामने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का प्रोग्राम आ जाता है जिसमें भूमि का बटवारा, उस की किस्म, नवैयत जानना, आंकड़े लगाना और सही इंदराज आदि-आदि हैं, लेकिन यहां मैं अपने विचार सदन के सामने जो प्रस्ताव है उसी तक सीमित रखता हूं। मैं ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं समझता।

यह तो बिलकुल निर्विवाद है कि चकबन्दी भूमि-सुधार का एक अत्यावश्यक अंग है। इससे इन्कार नहीं, आज भी नहीं, भविष्य में नहीं होगा पहले भी नहीं था और इसकी दुहाई देना बार-बार माननीय सदस्यों को कि जब आप एक उसूल की बात मानते हैं तो विरोधी किस बात का ? तो वह भूल जाते हैं कि वह कहते क्या हैं या तो वह हवाई जहाज में आकाशी बात करते हैं और चकबन्दी का तरीका गलत है इस उसूल की ओर नहीं जाते हैं। चकबन्दी भूमि सुधार और भूमि व्यवस्था का एक अंग है, यह सही है, ठीक है, योजना उठेगी, लेकिन मैं आप को यह बताऊं कि बाम्बे में चकबन्दी हो रही है, पंजाब में हो रही है और मध्य प्रदेश में भी चकबन्दी की बात शुरू हुई है। मुझे मालूम हुआ है कि वहां भी वक्तन फवक्तन जो कार्यवाही चकबन्दी की की गयी उसके एक्सपेरिमेंटल स्टेजेज पर रेव्यू होते रहे हैं, कमेटियां बैठाते रहे हैं और खामियों की पूर्ति के लिये सुझाव मांगे गये हैं। प्लानिंग कमीशन को रेफर किया गया और चकबन्दी के सम्बन्ध में जहां-जहां दिक्कतें आयी हैं वहां रेफरेंसेज किये गये, गवर्नमेंट को रेफरेंसेज किये गये।

जो सज्जन इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं वह इसका कारण नहीं समझते हैं। आइये, मैं आप को कारण बताऊं। मेरे सामने चकबन्दी ऐक्ट है। जो सेक्शन ३ है, जिसमें परिभाषा दी हुई है, उसमें "इंटेंसिव स्वायल" शब्द आये हैं और यह नियम आया है गालिबन दिसम्बर मे और उसमें चकबन्दी अधिकारियों को यह अख्तियार दिया गया है कि वह किसी भी विलेज के पार्ट आफ दि लैंड को डिनोटिफाई कर सकते हैं, कंसालिडेशन आपरेशन से अलग कर सकते हैं। जिस समय यह कानून बना था उस समय ऐसी ढिलाई, ऐसी पावर्स किसी भी चकबन्दी अधिकारी को नहीं थीं और जब दिक्कतें आयीं तो पहले नक्शा बना दिया गया, सबमिट कर दिया गया, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत सामने पड़ी तो उस वक्त कोई भी चकबन्दी अधिकारी नहीं था, डायरेक्टर हिमसेल्फ उसको डिनोटिफाई और एक्सक्लूड कर सकता था। उसके संबंध में मैंने कई पत्र राजस्व मंत्री को लिखे कि या तो ऐसी पावर्स दें या "इंटेंसिव स्वायल" की परिभाषा को बदलें या जहां भी मुनासिब समझें किसी भी स्टेज पर यह पावर्स दें कि जब प्रपोजल्स चकबन्दी के हों या स्टेटमेंट्स हों उनके पहले किसी भी स्टेज पर कोई नदी की जमीन या कोई तालाबी आराजी का हिस्सा हो तो उसको एक्सक्लूड कर सके। मैं शुक्रगुजार हूं राजस्व मंत्री का, मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद में एक प्रावीजन निकाला गया और रूल्स में आया है कि चकबन्दी अधिकारी उस को कर सकता है। इसी के सिलसिले में माननीय मंत्री जी के पास एक नहीं हजारहा दरख्वास्तें आयी होंगी कि उनको जमीन अच्छी नहीं दी गयी, किस्म जमीन ठीक नहीं लगायी गयी, वैलुएशन बहुत गड़बड़ हुआ और उसके आंकड़े बहुत ही गलत हुए, उसके लिये कोई यूनिवर्सल मेजर एडाप्ट नहीं किया गया और साथ ही साथ अच्छी जमीन के बजाय तालाबी आराजी दी गयी, सही इन्दराज वगैरह की शिकायतों के बावजूद। इस ओर भी मैंने माननीय माल मंत्री जी की तवज्जह दिलायी और उसमें मैंने यह सुझाव दिया कि आप का यह कहना कि काश्तकार को जब चक दिया जाता है उस वक्त वह ज्यादा आब्जेक्शन करता है इस का कारण यह है कि काश्तकार इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि नक्शा २४ जिस वक्त उसको दिया जाता है उसको देख कर यह समझ सके कि उसके चक के कौन से नम्बर हैं। वह उस वक्त समझता है जब उसकी हदबन्दी की जाती है। मैंने बहुत ही अदब के साथ राजस्व मंत्री जी की सेवा में निवेदन किया, लिखित पत्र भेजा कि वे इस बात का प्राविजन कानून के अन्दर कर दें कि नक्शा २४ जिस

वक्त दिया जाता है उसी वक्त एक प्राविजनल हदबन्दी हो जाय, फ़ाइनल नहीं। यह ठीक है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन इससे काश्तकारों को बहुत आसानी हो जायगी। पता नहीं राजस्व मंत्री ने उस पर गौर किया या नहीं।

अभी हाल ही में मैंने एक और सुझाव भेजा। कानून की दिक़्क़त यह थी कि चकबन्दी अधिकारियों के पास जो सीरदार हैं उन्होंने एतराज किया कि वे लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं इसलिये वे खेती करने से मजबूर हैं लिहाजा उनको दफ़ा १५७ का फायदा दिया जाय और उनके काश्तकार को अधिवासी या असामी न किया जाय। यह पावर चकबन्दी अधिकारियों को बहैसियत कम्पेन्सेशन अफसर के नहीं थी लिहाजा वे एतराजात फिर तहसीलदार साहबान को फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स दे कर भेजे गये। मैं आप की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह डुप्लीकेशन आफ लिटिगेशन जो किया गया यह बहुत ही खराब है। मैंने कानून को पढ़ा, उस को तजुरबे में ला रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह फ़र्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर को पावर्स दी गयी हैं यह डुप्लीकेशन आफ लिटिगेशन नहीं है? और जगह पर चकबन्दी अफसर १५७ के मामले तय करता है। या तो आप वहां भी फ़र्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर्स को पावर दें और नहीं तो क्या वजह है कि चकबन्दी में भी यह पावर्स उनको न दी जायं। कम्पेन्सेशन आफिसर्स को पावर्स इस लिये दी गयीं कि उसमें सरकार का नुकसान होता है, मालगुजारी कितनी हो, कम की जाय या न की जाय। मैं मानता हूं कि बहैसियत कम्पेन्सेशन अफसर के उसको फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर की पावर दें क्योंकि वह जिम्मेदार है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय खत्म हो गया।

***श्री गोविन्दसहाय** (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने इस प्रस्ताव के समर्थन का प्रश्न तो नहीं है परन्तु इसके द्वारा मैं अपने विचार अवश्य व्यक्त करना चाहता हूं। चकबन्दी का जहां तक सम्बन्ध है, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। उसूली तरीके से कोई भी यह नहीं कह सकता कि जिन लोगों की जमीन है वह टुकड़ों में विभाजित रहे। साधारण सी बात है कि अच्छी खेती करने के लिये यह जरूरी है कि टुकड़ों में बंटी हुई जमीन को एक जगह लाया जाय। उसूलन इसमें इख्तलाफ की बात नहीं है। मुझे इसमें यह भी गलतफहमी नहीं है कि चकबन्दी के जरिये से लैंड की व्यवस्था में कोई बड़ा भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन होता है। यह एक सुधार की योजना है और मौजूदा हालत में सब से ज्यादा अच्छी समझी गयी है इसलिये इसको मंजूर किया गया है। असल में बहस यह हो सकती है कि चकबन्दी अच्छी है या रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसके विषय में मैं इसलिये नहीं जाना चाहता हूं कि जिस ढंग से हमारे यहां आजादी आई है उसमें, यानी आज की स्थिति में रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यह तो हर क्रान्ति के बाद सम्भव होती है जब कि लाखों आदमियों में इंक्लाब होता है और शासन की अदला-बदली होती है। उस समय रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड की प्रणाली को लिया जा सकता है। लेकिन जिस देश में शान्तिमय तरीके से सत्ता बदली गई है, उसमें यह चीज सम्भव नहीं है, चाहे उसूली तरीके से वह अच्छी लगे।

मेरे दृष्टिकोण से बहस का विषय यह हो सकता है कि मौजूदा हालत में चकबन्दी की प्रथा अच्छी होते हुये इसे और ज्यादा अच्छी कैसे बनाया जाय। मेरा अपना खयाल है कि यह प्रथा अच्छी है, लेकिन इसके मैकेनिज्म में काफी सुधार करना पड़ेगा। मैं यह मानते हुए भी चकबन्दी से लोगों को काफी फायदा होता है और व्यापक असंतोष न होते हुये भी, यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि ऐसे केसेज मिलते हैं जिले में, जो जाहिरा तरीके से ठीक मालूम होते हैं। एक आदमी को उस की जमीन से खराब जमीन मिली तो उस का खयाल उस प्रथा के खिलाफ होता है और वातावरण विषाक्त होता है और जमीन का मसला ऐसा होता है कि आदमी का उससे लगाव होता है। चाहे किसी को खराब जमीन हो अगर वह बदल जाती है तो भी उसे असंतोष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसहाय]

होता है । इसलिये मुझे गलतफहमी नहीं है कि चकबन्दी प्रथा के विरुद्ध लोगों में असंतोष नहीं होगा, लेकिन इतना अनुभव मुझे अवश्य है कि इसका जो मैकेनिज्म है जिसके जरिये हम चकबन्दी कराना चाहते हैं और करा रहे हैं उन में सुधार की जरूरत है । उनके दिमागों में परिवर्तन की आवश्यकता है । अगर मैकेनिज्म को यह खयाल हो जाय कि जो सत्ता उन्हें मिली है उससे वह जमीन के मामलों में इधर से उधर कर सकते हैं तो उससे दूषित नतीजा निकलता है ।

मेरे पास कुछ किसान आये और उनके चकों को मैंने देखा और जाहिरा तरीके से उनका कहना ठीक मालूम होता था । मैंने उनको मिनिस्टर महोदय के पास भेज दिया । मैं नहीं जानता कि कहां तक ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि जाहिरा तरीके से मिनिस्टर महोदय का भी वही खयाल है । मैं उनके बारे में यहां कुछ कहना नहीं चाहता हूं । बाद में मैंने यह जानने की कोशिश की कि उनको क्या रिलीफ मिली तो पता चला कि जो वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनकी हालत यह है कि उनके पास इतने काम हैं कि वह चकबन्दी के काम को तवज्जह नहीं दे सकते हैं और यह काम भी टेढ़ा होता है । मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दूंगा । मुझे गलतफहमी नहीं है और यह तो जाहिरा बात है कि अपने विषय के बारे में जो कुछ भी उनके विचार हैं, उनमें जानकारी काफी है, लेकिन यह बात जरूर है कि हमें कोई ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा कि इस काम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास से हटाया जाय, क्योंकि उनके पास आज इतना काम हो गया है कि वह इसके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा सुझाव यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर दूसरा आदमी और भी रखें जो ज्यादा वक्त दे सके और जमीन के मसलों को सुलझा सके, क्योंकि यह बड़ा दिक़ततलब काम होता है । जब तक वह अपना दिमाग नहीं लगायेगा तब तक ठीक फैसला नहीं कर सकता । मुझे बिजनौर के बारे में बताया गया कि जो नीचे से फैसले आये उसी पर कलेक्टर ने दस्तखत किये हैं । हो सकता है कि यह फैक्ट गलत बताया हो, लेकिन यह संभव है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ गवर्नमेंट का दखल रहना चाहिये । एक आदमी को जिसे न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिये जिले में न्याय का दरवाजा खत्म नहीं हो जाना चाहिये । अन्तिम दरवाजा यहां गवर्नमेंट के हाथ में भी रहना चाहिये । अगर मान लीजिये कि एक जगह उस के लिये खत्म हो जाती है तो फिर उस को हाईकोर्ट जाना पड़ता है तो वह बड़ी दिक़ततलब बात हो जाती है ।

दूसरी बात स्टाफ की है । उनके मानसिक स्तर में कुछ परिवर्तन इस तरीके से होना चाहिये कि जिससे वह इसमें कुछ अधिक दिलचस्पी ले । हमारी स्कीमों में एक खामी जो पड़ रही है वह यह है कि जिनके जरिये से हम स्कीमों को चलाते हैं उनका दिमागी लगाव स्कीम्स की तरफ पूरी तौर से न होने से हमारी जो पालिसी है उसके मुताबिक उनका पूरा विकास नहीं होता । मुझे मालूम है कि इस दिशा में माननीय मिनिस्टर साहब काफी कोशिश करते हैं । अपने जिलों में जाते हैं और अपने स्टाफ को लगातार समझाते रहते हैं और कई घंटे तक उनको समझाते हैं मगर इतना ही काफी नहीं है । आदमी खयालातों की दुनिया में बहुत आहिस्ता-आहिस्ता घूमता है । कुछ आदमियों को सिखाना होता है और कुछ आदमियों को एक रास्ते पर चलाना होता है । तो इसकी जरूरत है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कंसोलिडेशन के स्टाफ पर बार-बार दिमागी असर इस बात का हो कि देखो कंसालिडेशन का यह परपज है और तुम इसके खिलाफ जा रहे हो और तुम्हारे हर अमल का असर जनता पर पड़ेगा और सरकार की पालिसी इस तरह से चक बनाने की है । इस तरह से उनको समझाया जायगा तो उनके ऊपर एक नियन्त्रण रहेगा । मैं समझता हूं ज्यादातर जो बातें हो रही हैं वह यह हैं और मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि एक लड़के के लिये मैंने सिफारिश की । वह कंसालिडेशन में आ गया । बाद में वह रेलवे में भी आ गया । वह मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो ? तो उस ने कहा कि कंसालिडेशन का महकमा आमदनी के खयाल से तो अच्छा है, लेकिन रेलवे में सेक्योरिटी ज्यादा है । जहां पर

आमदनी कम है वहां आदमी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि खयालात में कोई लगाव नहीं है। वह यह समझता है कि जिस महकमें में मुनाफे का काम है उस में जाना ठीक है। वह किसी काम की तरफ लगाव होने की वजह से नहीं जाता है। आपके जरिये से में इतना ही सुझाव देना चाहता हूं कि रोजबरोज करप्शन की बात कहने से करप्शन दूर नहीं होता है। करप्शन के लिये एक जबरदस्त पब्लिक ओपीनियन पैदा करने की जरूरत है। जनता को कंसोलिडेशन की पालिसी को आम जबान में समझाया जाय। बार-बार हर हफ्ते जनता में प्रचार किया जाय। सर्विसेज के दिल और दिमाग में इस तरह का मेंटल ट्रान्सफार्मेशन किया जाय कि उनके दिमाग पूरे तरीके से इस तरफ झुक जायं। दूसरी तरफ उनके अन्दर डर और मुहब्बत का एक मिक्सचर पैदा किया जाय वरना जैसा हमारा मौजूदा समाज का संगठन है उस में समाज व्यक्तिवाद की तरफ जा रहा है। हमारी लाख कोशिश हो पर उन पर असर पड़ने वाला नहीं है। हमारी सर्विसेज भी यह समझती हैं कि इतने दिनों के लिये यह सर्विस है, इतने दिनों में अपना भविष्य बना लो। मुझे यह गलतफहमी नहीं है। करप्शन हमारे कहने से हमारे महकमों से दूर होने वाला नहीं है। यह करप्शन तो एक इनहिरेन्ट रोग-सा हो गया है जो आज सोशल आर्डर के रूप में छा गया है। हमको इस में दिमागों पर असर डालना होगा तभी हम करप्शन को दूर कर सकते हैं।

जिस तरह का समाज आज है उस में पैसे की ज्यादा इज्जत है और जो किसी तरह से ज्यादा पैसा बना लेता है उस की ज्यादा इज्जत हो जाती है। तो महज करप्शन करप्शन चिल्लाने से यह करप्शन दूर नहीं होगा। जिलों में ऐसे वाक्यात आते हैं जिनमें कानूनी दिक्कतें पड़ती हैं। मेरा खयाल है कि, मिनिस्टर साहब के खयाल में जितनी बातें और उपाय हो सकते थे वह उन्होंने किये हैं कि उनकी सलाह से चक किये जायं, कंसोलिडेशन कहां पर हो रहा है यह बताया जाय मगर जो व्यावहारिक पहलू है उसको भी देखना चाहिये। जो कंसोलिडेशन कराना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश को पूरा किया जाय। फिर इसके खिलाफ एतराज नहीं हो सकता। जब तक इन्सान स्वभावतः यह नहीं समझता कि हमें इस बात को करना चाहिये तब तक उस का दिमाग बदल नहीं सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि चकबन्दी के स्टाफ का पालिसी के बारे में मेन्टल ट्रान्सफार्मेशन करना चाहिये। उन को समझाया जाय। उन को १ घंटा रेगुलर इस विषय में बतलाया जाय तो मैं समझता हूं इससे मुस्तकिल सुधार होगा।

चकबन्दी में हुए दुष्परिणामों की वजह से उसको रोक देने की मांग, में मुनासिब तो क्या गलत समझता हूं। चकबन्दी में कुछ खामियां हैं। उनको दूर करना मौजूदा हालत में जरूरी है और जैसा आगे दिखाई पड़ता है, चकबन्दी और तरीकों के मुकाबलतन एक अच्छा तरीका मालूम होता है और चकबन्दी के बाद दूसरी तरफ मुड़ना भी हमारे लिये आसान होगा। इसलिये दुर्गुणों को दूर करने के लिये हमें मजबूती से कदम उठाना चाहिये और अगर हम ऐसा करें तो चकबन्दी से बहुत फायदा हो सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह वाद-विवाद समाप्त किया जाय और यह प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)— बहुत से आदमी इस पर बोलना चाहते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर विचार चलने दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)— माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था कि ३ बजे तक यह रखा जाय। उस समय हमारी तरफ से केवल भारतीय जी बोलने को रह गये थे। तो मैं चाहूंगा कि वे बोल लें फिर आप यह प्रश्न रख दीजिये और अगर वह चाहते हैं प्रस्ताव रखना तो रख दीजिये।

श्री गेंदासिंह—असल में यह बात आज सबेरे ही तय हो गयी थी कि तीन बजे तक इस को समाप्त कर दिया जायगा। माननीय मंत्री जी अगर चकबन्दी पर कुछ सुनना ही चाहते हैं तो सुनाने वाले सुनायेंगे या जब आप गांवों में घूमने जाते हैं तो वहां सुन लीजियेगा। तो..

श्री उपाध्यक्ष—तो भारतीय जी का भाषण होने के बाद इस प्रश्न को लिया जायगा।

श्री गेंदासिंह—जी हां, यह ठीक है।

श्री चरणसिंह—तय हो गया था, इस कथन में मुझे एतराज है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मान्यवर, मेरा विचार इस चकबन्दी के विषय पर बोलने का नहीं था, परन्तु जब मैंने ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से रायबरेली के माननीय सदस्य श्री गुप्तारसिंह का भाषण सुना तो मेरे मन में यह बात आयी कि मैं भी इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रकट करूं। वैसे तो हम लोग विरोधी दल के कहलाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि जो कुछ भी हम कहें उसका ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से विरोध हो। न तो प्रस्ताव का ही यह मंशा है और न इधर के किसी बोलने वाले ने ऐसा कहा कि हम चकबन्दी के खिलाफ़ हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे वह इस प्रस्ताव का विरोध करने खड़े हो गये। मुझे इस बात को देख कर बड़ा दुख हुआ। ट्रेजरी बेंचेज से और भी जो भाषण हुए उन में से एक, दो को छोड़ कर ज्यादातर प्रस्ताव का विरोध किया गया। मैं प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और इस सिलसिले में अपनी दो, एक बातें कह कर ही अपने भाव आपके सामने रखूंगा।

मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी चकबन्दी के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे प्रान्त में चकबन्दी हो जाय, क्योंकि बिना इसके भूमि का सुधार हो ही नहीं सकता, लेकिन इससे पहले दो, एक बातें होनी आवश्यक हैं। सब से पहले तो कागजात की गलतियां दुरुस्त हो जानी चाहिये और उसके बाद चकबन्दी होनी चाहिये। पहले हमारे राजस्व मंत्री जी ने अपने पटवारियों को बरखास्त कर के उनकी जगह लेखपालों को रखा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पटवारियों ने पिछले ५० सालों में जितनी गलतियां की थीं उतनी लेखपालों ने इन ५ सालों में की हैं और जब तक इन गलतियों की दुरुस्ती नहीं हो जाती तब तक किसी चकबन्दी को कराना एक प्रकार से बेकार होगा।

दूसरी बात, जो गोविन्द सहाय जी ने कही कि रिडिस्ट्रीब्यूशन तभी हो सकता है कि जब क्रान्ति के बाद देश में नयी शासन व्यवस्था पैदा हो, उससे पहले रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड नहीं हो सकता। मुझे यह बात उन जैसे विद्वान से सुन कर बड़ा दुःख हुआ। मैं उनसे ऐसी आशा करता था कि वे माननीय मंत्री जी को इस बारे में कोई सही सुझाव देंगे। जिस तरह बिना एक बूंद रक्त बहाये हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली, उसी प्रकार हमारे राजस्व मन्त्री कोई ऐसी युक्ति निकालें जिससे बिना किसी रक्तमयी क्रान्ति हुये रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड भी हो जाय। बिना भूमि के बटवारे के चकबन्दी का कोई महत्व ही नहीं है।

मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इस बात को निश्चित कर दें कि ३० एकड़ अथवा उससे कुछ कम या बढ़, उससे अधिक जमीन किसी काश्तकार के पास नहीं होगी और उसके बाद चकबन्दी करा ली जाय। अगर इस प्रकार से चकबन्दी करायी जाय तो बड़े लाभ की वस्तु होगी।

माननीय गुप्तार सिंह जी ने कहा कि यदि चकबन्दी के बाद बटवारा करा लिया जाय तो इसमें क्या बुराई है। वह चकबन्दी किस काम की होगी जिसके बाद भूमि का बटवारा होगा। मैं समझता हूं कि भूमि का बटवारा होने के बाद ही चकबन्दी कुछ माने रखती है। मान लीजिये आपने ५०० एकड़ का कोई चक बना लिया, और ३० एकड़ की आपने सीलिंग मुकर्रर की और उस को ३० एकड़ जमीन दी। अब उस में से बाकी जमीन दूसरे भूमिहीनों को दी जायगी।

अब उन चकों का क्या होगा। वे लोग उस चक में कैसे शामिल हो सकते हैं ? उस चकबन्दी का फिर क्या महत्व रहेगा ? इसलिये चकबन्दी होने से पहले कागजात की दुरुस्ती करा ली जाय, भूमि का बटवारा करा लिया जाय, जमीन की एक सीमा निर्धारित कर दी जाय, तब चकबन्दी की जाय तो अच्छे नतीजे निकल सकते हैं।

एक सुझाव मान्यवर, आप के द्वारा और देना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे जिले शाहजहांपुर में तो अभी चकबन्दी नहीं हुई, लेकिन दूसरे जिलों का मुझे अनुभव है। मैं यह नहीं कहता कि सभी कर्मचारी इस चकबन्दी विभाग में भ्रष्टाचारी हैं। वहां ऐसे भी कर्मचारी मुझे मिले हैं जिनके विरुद्ध एक भी काश्तकार को कोई शिकायत नहीं थी और जिनकी उन्होंने भूरि भूरि प्रशंसा न की हो। उसका कारण यह है कि उन्होंने जा कर भूमि के बटवारे की बात नहीं की। एक महीने तक उन समस्त कर्मचारियों ने गांव में रह कर मोटे तौर पर गांव के लोगों को यह बात समझाई कि अपने आप बैठ कर बटवारा कर लो। चकबन्दी लाभदायक वस्तु है, इसको होना तो है ही। उनके इस एक महीने के काम ने गांव वालों को तैयार कर लिया। उन्होंने स्वयं बटवारा कर लिया, चक बना लिये, चकबन्दी कर्मचारियों ने केवल हस्ताक्षर कर दिये। तो चकबन्दी अधिकारियों को भ्रष्टाचार को त्याग कर देश की सेवा की भावना रखनी चाहिये। उनकी सरकार की ओर से यह ड्यूटी कर दी जाय कि चकबन्दी होने के पहले वे एक महीने, दो महीने पहले गांव में प्रचार करें, गांव के निवासियों को यह समझायें कि चकबन्दी उनके लाभ के वास्ते है। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज चकबन्दी से जो विद्रोह पैदा हो रहा है वह नासमझी की वजह से है और ऐसा करने पर वह शांत हो जायगा तथा चकबन्दी प्रिय वस्तु बन जायगी, जैसी कि सरकार उस को बनाना चाहती है।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं, वह यह कि यदि आप चकबन्दी को प्रिय बनाना चाहते हैं तो छोटे काश्तकारों की ओर विशेष ध्यान दीजिये। ज्यादातर शिकायत उन लोगों को होती है जिनकी भूमि एक एकड़ से कम होती है। इस बारे में मैं अपना सुझाव आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि सरकार यह नियम बना दे कि चकबन्दी के अधिकारियों को इस बात के लिये मजबूर होना पड़े कि पहले वे उन काश्तकारों के चक बनावें जिनकी भूमि एक एकड़ से कम है। उनको पहले सन्तुष्ट कर लें, उनको उस गांव में जो अच्छी से अच्छी भूमि हो वह दी जाय और उस के बाद एक एकड़ से अधिक जिनकी भूमि हो या ३० एकड़ तक जिनकी भूमि हो, अथवा यदि आप अभी सीलिंग नहीं करते हैं, तो जिनके बड़े बड़े चक हैं, उनके चक बाद में बनावें और उनका चक यदि गांव से दूर भी हो, तो भी कोई हानि की बात नहीं है, लेकिन पहले आप उन लोगों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करें जिनकी भूमि एक एकड़ या उसके आसपास है, क्योंकि वे ही लोग समाज में ऐसे कमजोर होते हैं जो न्यायालय में जा कर न तो अपने खिलाफ फैसले की अपील कर सकते हैं और न वे रिश्वत दे कर ही उन कर्मचारियों को राजी कर सकते हैं। इसलिये यदि सरकार की तरफ से ऐसा बन्धन बना दिया जाय कि वे उन काश्तकारों का चक पहले बना दें, उन को पहले सन्तुष्ट कर दें, जिनकी भूमि का रकबा एक एकड़ या उस के आस पास है तो मैं समझता हूं कि उतनी ज्यादा शिकायत चकबन्दी के खिलाफ नहीं रहेगी जितनी आजकल सुनने में आ रही है।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने एक सुझाव दिया। उसका मैं समर्थन करता हूं और उस सुझाव को मैं बड़ा मूल्यवान समझता हूं। अपीलेट कोर्ट का अधिकार आजकल जिलाधीश को दिया गया है। जिलाधीश के जिम्मे आप और नये काम करने जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जब्त कर के उस का काम आप प्लानिंग कमेटी के सभापति की हैसियत से जिलाधीश के अधीन करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनमें इतना और इजाफा हो जायगा। इसलिये अपीलेट कोर्ट का अधिकार जिलाधीश को न दे कर के अलग से किसी मैजिस्ट्रेट को दे दें जो उस जिले में हो, ए० डी० एम० को दे दें या मुन्सिफ को दे दें या कोई और अधिकारी जिले में बना दें जो उन अपीलों का फैसला करे, जिससे आजकल अपीलों की जो

[श्री देवनारायण भारतीय]

हालत हो रही है वह न हो। आजकल ९० फीसदी अपीलों को जिलाधीश सरसरी तौर पर देख कर खारिज कर देता है और जिन बेचारों का हक छीन लिया जाता है, चकबन्दी के द्वारा या और किसी प्रकार से उनको कोई सुनवाई नहीं होती, अपील करने पर भी उनको न्याय नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि छोटे काश्तकारों को हाईकोर्ट तक जाने के लिये सुभीता भी नहीं है और न उनके पास इतना पैसा ही होता है। इसलिये जिले में ही अपीलों का फैसला हो जाय तो ज्यादा उपयुक्त बात होगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष— अब प्रश्न उपस्थित करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो यह कहा कि यह तय हो गया था कि ३ बजे तक चलेगा, यह तय नहीं हुआ था। माननीय स्पीकर ने यह कहा था कि अगर मूवर साहब या कोई हाउस में क्लोजर मोशन उपस्थित करना चाहे तो मूव कर सकता है। उस पर कोई एतराज मुझे नहीं है। अगर क्लोजर मंजूर हो जाय, तो भी अच्छा, न मंजूर हो जाय तो भी अच्छा, मैं इसमें न्यूटरल हूं। हाउस जैसा चाहे वैसा करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)— उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन सभी माननीय मित्रों को जिन्होंने इस संकल्प के विवाद में भाग लिया है धन्यवाद देता हूं और खास तौर से माननीय मंत्री जी को विशेष-धन्यवाद देता हूं और वह इसलिये कि जिस समय १३ दिसम्बर को यह संकल्प प्रस्तुत हुआ तो माननीय माल मंत्री महोदय ने स्वयं विवाद में भाग लिया था और उससे मुझे और आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को यह सुविधा प्राप्त हुई कि सभी लोग उनके विचारों से अवगत हो जायं। जिन मित्रों ने इस संकल्प के वाद-विवाद में भाग लिया है उन्होंने मूल रूप से मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन ही किया है, कुछ ने इस को उपयोगिता के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं और कुछ ने इस की अनुपयोगिता के विषय में कहा है और इस प्रकार संकल्प के बाद का जो भाग है उस के सिवा सभी मित्रों ने समर्थन किया है। यदि किसी को आपत्ति है तो केवल उसी अंश पर है कि चकबन्दी के पुनीत कार्य को ६ मास के लिये क्यों रोका जाय ? क्योंकि इसमें यह अंकित है कि इस काम को स्थगित कर के ६ मास के लिये यह मामला जांच कमेटी के सुपुर्द किया जाय और वह इसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के सम्बन्ध में जांच करें और अपनी राय दे और उसके बाद काम आरम्भ किया जाय। अगर ६ मास के बाद यह काम शुरू किया जायगा तो जांच का जो परिणाम निकलेगा उसके बाद काम पुनीत से महापुनीत होगा और मैं चाहता हूं कि अगर किसी को इसमें विशेष आपत्ति न हो तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर कुछ आपत्ति हो सकती है तो वह मंत्री जी को ही हो सकती है क्योंकि अगर चकबन्दी का काम स्थगित कर दिया जाय तो माल विभाग के पास कोई विशेष काम नहीं रह जायगा और इस बीच में माननीय मंत्री जी को काफी अवसर रहेगा कि वह दूसरे कार्यों की देखभाल करें।

श्री चरणसिंह—दूसरे क्या काम रह जायंगे, आप तो खुद कह रहे हैं कि कोई काम नहीं रह जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद—आराम करें, ताकि स्वस्थ हो कर आगे आप और तेजी से काम कर सकें। इस तरह से यह काम आगे और अच्छे ढंग से सम्पादित हो सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब से चकबन्दी आरम्भ हुई है सब जगह सदन में और बाहर यही चर्चा रहती है, कुछ साथियों ने चकबन्दी को बड़ा उपयोगी बताया और कुछ ने उस की अनुपयोगिता भी बतायी, और जब अभी यह विवादग्रस्त बात है तब तो इस संकल्प को अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिये। जांच कर ली जाय और जब सर्वसम्मति से एक राय निकल आयेगी तो उसका कोई विरोध भी न रहेगा और काम भी तेजी से बढ़ेगा। जब से चकबन्दी शुरू हुई है और जो विवरण मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस से मालूम होता है कि हमारे सूबे में ३१ जिलों की ३१ तहसीलों में १३,२४८ गांवों में यह काम शुरू हुआ है। मैंने इससे पहले १३ दिसम्बर को भी कहा था कि चकबन्दी से पहले कागजात दुरुस्ती या इन्दराज दुरुस्ती का काम होना चाहिये और जब वह काम पूरा सम्पन्न हो जाय तब उसके बाद चकबन्दी करने में अधिक सुविधा होगी। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि मंत्री जी ने जिस समय चकबन्दी योजना लागू करने के सम्बन्ध में कानून पेश किया था उस समय उन्होंने सब को यह आश्वासन दिलाया था कि किसी भी आदमी की जमीन उस के हाथ से नहीं जायगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो वर्ग ९ के किसान हैं, जिनका एक दो साल का कब्जा है, आज उनकी जमीन कहां गयी? उनके नाम कहां गये? आज वह विवश हैं, जबरदस्ती इस्तीफे लिखा कर उनका कब्जा खत्म किया गया है। अगर कागज दुरुस्ती का काम पहले हो जाय और तब चकबन्दी आरम्भ की जाय तो यह जो वर्ग ९ के किसान हैं और जो साल दो साल से काबिज हैं उन के हाथ से जमीन नहीं जायगी। इस तरह के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मंत्री जी ने जो तालिका प्रस्तुत की है उस के अनुसार ८० लाख कागज दुरुस्ती की गलतियां हैं। जहां इतनी गलतियां हैं वहां इन गलत इन्दराज करने वाले लेखपाल और पटवारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? जब से चकबन्दी आरम्भ हुई है तब से हमारे सूबे में एक भय और क्षुब्ध वातावरण पैदा हो गया है और उसमें वृद्धि हुई है। जो मध्यम श्रेणी के किसान हैं या जो उच्च श्रेणी के किसान हैं उन्होंने अपने बल प्रयोग से, अपने ऐश्वर्य के बल पर, अपने धन के बल पर छोटे-छोटे किसानों का अहित किया है और उन छोटे-छोटे किसानों की संख्या हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा है। तो मैं यह चाहता हूं कि छोटे-छोटे किसानों के हित की रक्षा करने के लिये कोई न कोई इस तरह की सुविधा अवश्य प्रदान की जाय। जो चकबन्दी के, प्लाट और चकों की संख्या के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने विवरण दिया उससे यह सिद्ध करने की चेष्टा उन्होंने की कि प्लाट इस तरह से बहुत कम हो गए हैं। इस संबंध में मैं उनके सम्मुख यह निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड आफ दि डिपार्टमेंट आफ इकोनामिक्स, श्री बलजीत सिंह, पी० एच० डी०, डी० लिट०। ने एक अनुसन्धान किया था और उनके अनुसन्धान से भी यह बात जाहिर हो गई कि चकबन्दी जिन जगहों पर हुई है उनमें से जिन क्षेत्रों को लेकर उन्होंने अनुसन्धान किया था वहां उनका दो तीन गांवों का यह तजुर्बा बताता है कि उन गांवों में चकबन्दी से लाभ नहीं है।

श्री चरणसिंह—प्रोफेसर साहब से आप भी सहमत हैं?

श्री भगवतीसिंह विशारद—बिलकुल। सहमत न होता तो उन को कोट कैसे करता। इसके साथ-साथ मान्यवर, यह कहा गया कि जहां चकबन्दी योजना लागू की गई है और जब सारे प्रदेश में चकबन्दी की योजना फैल जायगी तो उत्पादन बहुत बढ़ जायगा। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि करने योग्य भूमि, लगभग तीन प्रतिशत जिन क्षेत्रों में चकबन्दी हुई है और भविष्य में भी जिन जगहों पर चकबन्दी होगी, वहां पर कम हो जायगी। चकों के किनारे जो आने-जाने के मार्ग बनेंगे, सार्वजनिक कार्यों के लिये जो जमीन छोड़ी जायगी उससे कृषि करने योग्य भूमि लगभग ३ प्रतिशत कम हो जायगी। बिना जोत की जो जमीन चकबन्दी होने के कारण शामिल की गई है उसके कारण लैंड रेवेन्यू में लगभग ५ या ६ प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ ऐसी जमीनें जो भूमिधरी की थीं वह चक बनते समय सीरदारी के साथ शामिल होंगी और इस तरह से लैंड रेवेन्यू में कुछ न कुछ वृद्धि हो जायगी।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

चकबन्दी में इस बात की गारन्टी नहीं है कि भविष्य में फ्रैगमेंटेशन या छोटे-छोटे टुकड़े नहीं होंगे। यह आवश्यक था कि भविष्य में फ्रैगमेंटेशन को रोकने के लिये इस तरह का कोई प्राविजन होता कि जहां पर चकबन्दी हो जायगी वहां पर फिर से उन जमीनों के छोटे-छोटे टुकड़े नहीं होंगे लेकिन मेरा यह खयाल है अब तक जैसी चकबन्दी योजना है उससे भविष्य में भी छोटे-छोटे टुकड़ों का होना अनिवार्य है। जहां पर चकबन्दी हुई है वहां पर भूमिहीन किसानों की समस्यायें बढ़ी हैं और खास तौर से उन जगहों पर जहां पर कि बिना जोत की जमीन चकबन्दी में शामिल कर के कृषि की भूमि मान ली गई है, जहां पर कि चरागाह कम किये गए हैं, वहां पर सार्वजनिक प्रयोग की जमीन और चरागाह वगैरह कम हो गए हैं। इस तरह से ऐसे लोग जो गाय पाल कर या भैंस पाल कर या दूसरे तरीके से अपना जीविकोपार्जन करते थे, उसमें कुछ न कुछ बाधा अवश्य उत्पन्न हुई है।

इस तरह का प्रभाव खेतिहर मजदूरों के ऊपर भी पड़ता है। उनके ऊपर इस तरह का प्रभाव पड़ने का परिणाम यह होगा कि वह धीरे-धीरे अपने गांवों को छोड़ कर शहरों की तरफ आयेंगे, क्योंकि शहरों में इस बात की जरूरत है कि सस्ते मजदूर मिलें ताकि उद्योगपति उन से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठायें। मान्यवर, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि चकबन्दी का काम केवल सुधार का काम नहीं है। यह आर्थिक सुधार का काम है। यह ऐसा काम नहीं है जिस को कि हम सोशल वर्क कह सकें। यह उस तरह का काम नहीं है जैसे कि १८ साल से कम के लड़के सिनेमा न देखें या उतनी छोटी उम्र के लड़के बीड़ी सिगरेट न पियें। यह तो ऐसा काम है जिसका सम्बन्ध आर्थिक सुधार से है। ऐसी स्थिति में जिसके लिये यह कार्य किया जाय उस की राय लेना नितान्त आवश्यक है। इसलिये मैं माननीय माल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां कहीं भी चकबन्दी योजना चालू करावें वहां के लोगों से और खास तौर से खेती करने वाले किसानों में से ५१ फीसदी लोगों की जब तक इस बात की राय न हो जाय कि वहां चकबन्दी होनी चाहिये तब तक वहां चकबन्दी योजना नहीं लागू करनी चाहिये। क्योंकि वह जानते हैं कि हमें इससे लाभ होगा या नुकसान होगा। अगर उनको यह समझा दिया जाय और समझ जायं कि चकबन्दी से लाभ होगा तो फिर आपको परेशानी क्या है? वह भी अपना फैसला इसी पक्ष में देंगे कि उनके यहां चकबन्दी योजना लागू की जाय। और अगर ५१ प्रतिशत लोग सहमत नहीं हैं तो वहां चकबन्दी योजना हरगिज लागू नहीं होनी चाहिये।

मान्यवर, जहां चकबन्दी हो रही है वहां पर चकबन्दी का खर्चा किसानों से लिया जा रहा है। यह चकबन्दी का काम सुधार का काम नहीं है। यह विकास का कार्य है। सरकार स्वयं कहती है कि जब चकबन्दी का काम बढ़ेगा और सारे प्रदेश में जहां चकबन्दी हो रही है वहां उत्पादन बढ़ जायगा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा, विकास का कार्य हो रहा है, तो विकास के कार्य के लिये किसी तरह का खर्चा लेना और खास तौर से किसानों से खर्च लेना, मैं समझता हूं, ज्यादती है। सरकार को किसी तरह का खर्चा किसानों से नहीं लेना चाहिये और इस समय तो और भी नहीं लेना चाहिये जब कि केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये सहमत है कि इस सम्बन्ध में जितना भी खर्चा होगा उस का आधा या जिस तरह से ४ रुपया एकड़ ले रही है उस तरह से २ रुपये एकड़ केन्द्रीय सरकार देने के लिये सहमत है। तो फिर प्रान्तीय सरकार को यह उदारता बरतनी चाहिये कि किसानों से चकबन्दी के सम्बन्ध में किसी तरह का खर्चा न लिया जाय।

चकबन्दी समिति आज की बनी हुई नहीं है। भूमि प्रबन्धक समिति को चकबन्दी समिति माना गया है। भूमि प्रबन्धक समिति जिन उद्देश्यों को ले कर बनाई गई थी चकबन्दी समिति का कार्य उससे भिन्न है। इसलिये मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां कहीं वह भविष्य में इस तरह की चकबन्दी योजना लागू करें वहां पर चकबन्दी समिति के निर्माण के सम्बन्ध में भूमिहीन किसानों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये; छोटे किसानों का खासतौर से होना चाहिये जिससे वह अपनी समस्याओं को, खास तौर से चकबन्दी के समय होने वाले कार्यों में पूर्ण रूप से दिलचस्पी ले सकें।

चकबन्दी का जो काम जहां पर हो रहा है उसके सम्बन्ध में मंत्री जी ने स्वयं विवरण देते हुये बताया कि ३,०६,०७१ आपत्तियां या अपीलें की गईं और इनके परिणाम भी उसी परसेंटेज से विवरण पत्र में दिये हुए हैं, इस से ज्ञात हो जाता है। तो जहां पर इतनी अधिक संख्या में आपत्तियां और अपीलें हो रही हों और उनकी सुनवाई बिल्कुल समरी ढंग से होती हो, समरी ट्रायल होता है। एक सज्जन ने जो फैसला दिया उससे ऊपर वालों ने उसी को एंडार्स कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि जो अपीलेट अथारिटी हैं उनके हाथ में नहीं बल्कि जुडिशियरी का जो काम करते हैं उनके हाथ में यह कार्य सौंपा जाय और उनका फैसला अन्तिम हो जिससे सही सही न्याय काश्तकारों को प्राप्त हो सके।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में न मैंने शुरू में कहा था और न इस समय कहना चाहता था, लेकिन मंत्री जी ने मेरे साहस को बढ़ाया। जो पहले उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया उसमें तालिका संख्या १ में ही बताया कि किस-किस पद पर कितने कर्मचारी काम करते हैं और कितनी शिकायतें उनके खिलाफ़ आयीं और कितनों की जांच पड़ताल हुई। तो उसके देखने से मालूम पड़ता है कि जो एस० ओ० सी० के अधीन सी० ओ० और ए० सी० ओ० होते हैं वही सब से ज्यादा भ्रष्ट हैं। १०६ सी० ओ० में से ६३ के खिलाफ कार्यवाही हुई और ५३७ ए० सी० ओज० में से २३५ के खिलाफ कार्यवाही हुई। तो लगभग ६६ परसेंट सी० ओज० और ५० या ५१ परसेंट ए० सी० ओज० के खिलाफ कार्यवाही हुई। यह कार्यवाही क्यों हुई? इसलिये कि उन्होंने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया था। इस तालिका के देखने से निष्कर्ष फिर यह नहीं निकाला जा सकता कि जहां चकबन्दी हो रही है वहां भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है। इन सुझावों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

*श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय भगवती सिंह से और एक आप मित्र से शिकायत है जिन्होंने यह फरमाया कि कागजात की दुरुस्ती पहले करा ली जाय, फिर चकबन्दी करायी जाय। मैं उनको बहुत मुलायमियत के साथ यह बताना चाहता हूं कि मामूली किसान भी यह जानता है कि पहले कागजात की दुरुस्ती ही करायी जाती है। अगर ढाई साल कहीं चकबन्दी में लगते हैं तो पूरा साल कागज की दुरुस्ती में लगता है। तो वे सज्जन रेजोल्यूशन ला रहे हैं, जिनको इस स्कीम की बाबत प्रिलिमिनरी ज्ञान भी नहीं है, कि साहब स्कीम बड़ी नाकिस है, ६ महीने के लिये चकबन्दी का काम रोक दिया जाय, तहकीकात करा ली जाय और लेजिस्लेटर्स से करायी जाय और लेजिस्लेटर्स में प्रस्तावक महोदय जरूर होने चाहिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद—ऐसा मैंने नहीं कहा।

श्री चरण सिंह—वह तो कायदा है। अगर कमेटी बनाना मैंने मंजूर किया तो आप को जरूर शामिल करूंगा। लेकिन इस इस तरह के मेरे मित्र उस में शामिल हों तो क्या सुझाव आयेंगे और क्या होगा? बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता सिवाय इसके कि जब कोई मित्र रेजोल्यूशन पेश करें या तकरीर फरमाने की तकलीफ गवारा करें तो जो स्कीम है उसको पढ़ने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे न आपकी मदद होगी, न हाउस की मदद होगी। इतने बड़े मसले पर अगर पूरी स्कीम बिना पढ़े अगर कोई मुकर्रर साहब तकरीर फरमाते हैं तो आगे वे चाहे जो कुछ कहें उससे सुनने वाले पर कुछ असर नहीं पड़ता। मैं किस बात पर गौर करूं जब जनाब ने स्कीम पढ़ी नहीं और फिर यह रेजोल्यूशन ले आये और कहते हैं कि मैंने चकबन्दी देखी है और गांवों में और किसानों में गया हूं। ठीक है।

अब यह तो सब को तसलीम है कि चकबन्दी का कार्य बहुत अच्छा है। चलो अब आगे बढ़ो। देखना अब यह है कि स्कीम जो बनी है वह कुछ नाकिस है या ठीक है और दूसरी बात यह है कि उस स्कीम को जो चलाने वाले हैं वे कैसा काम करते हैं। स्कीम का जहां तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

ताल्लुक है उस के सम्बन्ध में यह सुझाव दिये जा रहे हैं कि पहले कागजात की दुरुस्ती करा ली जाय और चकबन्दी को स्थगित कर दिया जाय। तो स्थगित करने से क्या फायदा होगा? स्कीम चलती रहे, जहां लाखों किसान बरबाद हो गये, हजारों कुछ और हो जायंगे। ६ महीने में यहां कमेटी बैठती है, आप कुछ सुझाव भेज दें, उस पर गौर कर लेंगे, लेकिन कीम रोकने की क्या जरूरत है? कौन सी कंडीशन प्रिसिडेंट है स्कीम में सुझाव भेजने के लिये, स्कीम में इम्प्रूवमेंट के लिए? आप सुझाव दें, स्कीम भी चलती रहे, उन पर गौर हो सकता है। लेकिन सुझाव ही कुछ नहीं है। जो भी गरज हो रेजोल्यूशन पेश करने की, लेकिन मुझे नहीं मालूम।

तीसरी बात यह है कि स्टेट ऐडवाइजरी कंसालिडेशन कमेटी के ३१ मेम्बर हैं, जिनमें से ११-१२ अपोजीशन के मेम्बर हैं। उधर माननीय खजान सिंह बैठे हैं। पहले ४ अगस्त की स्टेट ऐडवाइजरी कन्सालिडेशन कमेटी की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स देख ली जायं। उसमें गालिबन आप ने सब से ज्यादा, एक दर्जन के करीब सुझाव दिये। मेरे खयाल से १० हमने मान लिये। और किसी ने दो, किसी ने ४ दिये। तो स्टेट ऐडवाइजरी कन्सालिडेशन कमेटी के जुरिस्डिक्शन के अन्दर है कि स्कीम के सुधार के सिलसिले में सुझाव दे सकते हैं, वहां कौन रोकता है सुझाव देने के लिये? ऐसे ही जिले की कमेटी भी सुझाव बाहर भेज सकती है। आज २२ जिलों में यह काम चल रहा है जिसमें कि सारे विधायक मौजूद हैं, चाहे वह विरोधी पार्टी के ही क्यों न हों, लेकिन किसी का कोई सुझाव २२ जिलों में से नहीं आया। आप (श्री भगवती सिंह) ने कोई सुझाव मेरे पास नहीं भेजा, देवनारायण जी ने कोई सुझाव नहीं भेजा और जो सुझाव के लिये एजेंसी बनी हुई है, उस में भी आप कोई सुझाव नहीं देंगे, आप मुझसे तकलीफ नहीं करेंगे मिलने की और जो तकरीर करेंगे वह इतनी इल्यूमिनेटिंग! और रेजोल्यूशन यह होगा!!

अब चौथी बात यह है कि काम करने वालों में खराबी है। न तो इधर के मित्र जो बोले हैं और न मैंने कभी यह दावा किया कि हजारों आदमी जो काम कर रहे हैं उनसे गलतियां नहीं होंगी, या कोई लालच में नहीं फंसेगा। अगर जनाब यह दावा कर सकते हैं कि जनाब के हाथ में कोई ताकत आये और आप कोई स्कीम चलायेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई लालच में नहीं फंसेगा, अगर यह मुगालता जनाब को हो तो मैं यह कह सकता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं। गवर्नमेंट के मेम्बरान इस काबिल नहीं हैं कि हम यह दावा कर सकें कि लोग सब ईमानदार रहेंगे, या हम सब लोगों को ईमानदार बना सकें, जैसा कि गोविन्द सहाय जी ने कहा कि गवर्नमेंट कानून से किसी को ईमानदार नहीं बना सकती है। हम तो यह कह सकते हैं कि कोई गलती हमारे नोटिस में लायी जाय तो कार्यवाही तुरन्त होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह आफर कर दिया था कि कोई साहब जायं, तहकीकात करें, यह कहें कि मेरी इत्तलाकी तौर पर यह जानकारी है, मारेल सरटेंटी है कि अमुक राजकर्मचारी खराब है—लेकिन मारेल रेस्पांसिबिलिटी लें—तो मैं इस कयास से प्रोसीड करूंगा कि वह गिल्टी है। कार्यवाही पहले उसके खिलाफ हो जायगी और अगर वह अपने आप को इन्नोसेंट साबित कर सके तो बेशक रखा जायगा, लेकिन प्रिजम्पशन यही होगा कि "दि मैन इज गिल्टी"। इससे ज्यादा कुछ हो सकता था? कुछ सुझाव तो दिया जाय? कुछ नहीं? खाली नुक्ताचीनी, नुक्ताचीनी की खातिर कि अखबार में तो नाम छप जायगा।

इसी तरह से एक मित्र हैं कांग्रेस के। आज मैंने देखा कि जिस प्रकार का यहां रेजोल्यूशन लाया गया है हूबहू उस की कापी कर के उन्होंने उसे लेजिस्लेटिव कौंसिल में पेश कर दिया और बहुत लोग खिलाफ बोले। और जब उन्होंने रेजोल्यूशन वापस लिया तो क्या कहते हैं कि मैं अलीगढ़ जिले का रहने वाला हूं, मैं चकबन्दी के खिलाफ नहीं हूं, लोग ऐसा कहते हैं तो मैंने उसे पेश कर दिया, लेकिन जहां तक अलीगढ़ जिले का ताल्लुक है वहां बहुत ही कम शिकायत है। खुद वह कहते हैं और इतना अच्छा काम हुआ है जितना कहीं न हुआ हो। जिस जगह के

रहने वाले हैं, इगलास तहसील में, वहां बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं हाथरस गया था, उस तहसील में शुरू करने के लिये तीसरी दिसम्बर को गया था, वहां जितने एम० एल० एज० थे वह सब इख्तलाफात को छोड़ कर फुल आफ ऐडमिरेशन थे और वहां एक रेजोल्यूशन पेश है। आज मैं "पायनियर" में पढ़ता हूं कि "A Congressman joins the Opposition in bitterly criticising the scheme."

अब जो लोग इस अखबार को या दूसरे अखबारों को पढ़ेंगे तो मैं कहां-कहां सफाई देता फिरूं ? क्या होने जा रहा है इस मुल्क का मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अपोजीशन-अपोजीशन की खातिर। अगर कन्सालिडेशन स्टाफ के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही होती है तो उल्टे शिकायत है, जैसा कि आपके लीडर साहब ने कहा कि लीजिये साहब, हमारे कहने से ही यह कर देंगे। तो मैंने कहा कि किस करवट लीजियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, १८ प्वाइंट्स मैंने लिखे हैं। माननीय भजनलालजी ने एक बात कही। आप देखें कि ४४, ६७, १७५ खेतों की चकबन्दी हो चुकी है और उनके ७, ६४, ६०० चक बने हैं। यानी ६ खेतों का १ खेत बना है और ५४ फी सदी किसानों को एक चक मिला है और कोई २६ फी सदी किसानों को २ चक मिले हैं और १५ फी सदी किसानों को ३ चक मिले हैं और ·२ यानी हजार में २ किसानों को ४ चक मिले हैं और वह भी अधिकतर पूर्व के जिलों में। डुमरियागंज है, माननीय रामलखन मिश्र को मौका नहीं मिला बोलने का, २५ खेत हैं एक-एक किसान के पास और औसतन ६०० मुरब्बा गज का रकबा है। वहां ४० फी सदी किसानों को १ चक, २० फी सदी को २ चक और ४० फी सदी को ३ चक मिले हैं। मैं कहता हूं कि जब २५-२५ खेत एक-एक किसान के पास हैं वहां अगर १०० फी सदी लोगों को भी ३ चक मिल जायं तो कौन बुराई है ; इसी सिलसिले में डाक्टर बलजीत सिंह साहब की रिपोर्ट मैंने भी देखी है; आयी थी माननीय सम्पूर्णानन्दजी के पास, और जो रिमार्क मैंने उस पर लिख कर भेज दिया है वह मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं। उस बारे में मेरी यह राय है कि जैसे कोई आदमी बड़ी-बड़ी किताबें तो पढ़ डाले, बड़े-बड़े लेख लिख डाले, लेकिन किसानों के पास कभी न गया हो। यह बात जनाब को समझ में आती है कि चकों की तादाद खेतों से ज्यादा बढ़ गयी है ? मैं क्या कहूं उस प्रोफेसर को और यहां स्पीच देने वालों को, मुझे अपनी बदकिस्मती मालूम होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत की गयी कि इटावा जिले में चकबन्दी की वसूली क्यों की जा रही है गोया बड़ा भारी जुल्म हो रहा है। डेढ़ रुपया फी एकड़ चकबन्दी का खर्च वसूल किया जा रहा है। उसी रोज २६ तारीख को मेरे पास टेलीफोन से यह खबर आ गयी थी, डिटेल्ड रिपोर्ट अब आ रही है। ३८ किसानों से ३८५ रुपये वसूल करने थे, १० रुपये फी किसान का औसत आता है। वसूल करने जब एक आदमी जाता है तो सिर्फ ३ आदमियों ने दिया। दूसरे रोज जाता है तो उसको धमका कर भेज दिया। फिर भी वह पुलिस लेकर नहीं जाता है। वह दूसरे अमीनों और चपरासियों को ले कर जाता है जब कि पड़ोस में सेल्स टैक्स वसूल करने वाला अमीन पिट चुका है। तो इनको लेकर वह जाता है और गिरफ्तारी कर लेता है। क्या बुरा करता है ? यह लिख दिया जाय कि कुर्की नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, जो खुशी से देना चाहे दे नहीं तो अमीन हाथ जोड़ कर चला आयेगा। इस पर कहा जाता है कि बड़ी ज्यादती होती है। मैं कहता हूं कि जो टैक्स नहीं देगा उसको वसूल करना अगर ज्यादती है तो यह ज्यादती होगी।

भजनलालजी कहते हैं कि मेरे पास बड़ी शिकायतें आ रही हैं। ठीक है। जब आप शिकायतें इनवाइट करने लगेंगे तो आयेंगी ही। आज अदालतों में लाखों मुकदमे चल रहे हैं। कह दिया जाय कि एम० एल० ए० को अख्तियार है, वह मिनिस्टर से ठीक करा देगा या स्पीच तो वे ही देगा, तो सारे मुकदमे उसके पास आने लगेंगे।

[श्री चरणसिंह]

अब यह कि फलदार दरख्त दूसरों के चकों में चले गये। मान लीजिये दो फलदार दरख्त हैं तो ऐसा हो सकता है जहां तक बागात का ताल्लुक है वह तो चकबन्दी से बाहर हैं, किसी दूसरे के चक में लग नहीं सकते हैं। मान लीजिये किसी के दो फलदार दरख्त हैं और वह दूसरे के चक में जाते हैं तो कैसे रोक सकते हैं? क्या यह नियम बना दिया जाय कि एक भी फलदार पेड़ दूसरे के चक में न जाय?

श्रीमन्, यह कहा गया कि इटावा में मुकदमेबाजी बढ़ गई। श्रीमन्, मैंने वहां से फिगर्स मंगवाये हैं। वहां ४० हजार किसान होंगे और दफा १२ में कुल आब्जेक्शन्स १,४९७ हुये हैं और उनका डिसपोजल १,४७३ है और २४ बाकी रहे। सेक्शन २० में २७७ हुये हैं और उनमें से २६४ डिसपोज आफ हो चुके हैं और केवल १३ बाकी रहे हैं। सेक्शन २१ (२) में कुल १५ फाइल हुये और उनमें से १० डिसपोज आफ हो चुके हैं तो ५ बाकी रहे। सेक्शन ४८ में ५० हुये और ३५ डिसपोज आफ हुये और १५ बाकी रहे। यह फिगर्स हैं और इस पर भी कहा जा रहा है कि इटावा में काफी लिटिगेशन हो रहा है। यह तकरीर है और जिम्मेदारी के साथ है। तो इस सूबे का खुदा ही मालिक है इसके सिवाय और क्या कहा जाय, क्योंकि इस सूबे की किस्मत ऐसे ही लोगों के हाथ में है।

माननीय चौधरी रघुराजसिंह साहब ने कहा कि बुलन्दशहर में ७०–८० प्रतिशत किसान चकबन्दी से नाराज हैं। अगर ऐसा होता तो जो वहां उन्होंने सत्याग्रह कराने की कोशिश की है वह कभी का सत्याग्रह हो गया होता। लाल टोपी ओढ़कर लोग वहां गये थे, लेकिन एक गांव में भी सत्याग्रह नहीं करा सके और मैं चैलेन्ज करता हूं कि अब करा दीजिये। मैं कहता हूं कि कोशिश की गई और हेड क्वार्टर से पी० एस० पी० के आदमी गये, साइकिलों पर आदमी गये। अगर वहां पर ७०–८० प्रतिशत किसानों के साथ अन्याय हो रहा होता तो कभी का सत्याग्रह हो गया होता। (व्यवधान) मैं मोहनलालगंज पर भी आने वाला हूं। मैं बिल्कुल चुप रहा था, लेकिन अब आप लोगों को क्यों नहीं बरदाश्त हो रहा है? सच्ची बात जरा कड़वी होती है।

एक बात यह कही गई कि आज बहुत ज्यादा तादाद में रिवीजन के मुकद्दमे फाइल हो रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि किसान आपकी चकबंदी से नाराज हैं। मेरे पास बुलन्दशहर के फिगर्स हैं। कुल १६,५३७ रिवीजन्स फाइल हुये हैं। ५१ लाख एकड़ जमीन में कन्सालिडेशन का काम चल रहा है और यदि पांच एकड़ फी किसान का औसत माना जाय तब भी किसानों की तादाद १० लाख आती है। तीन लाख किसानों को मैं छोड़े देता हूं, तो सात लाख किसान बाकी रहते हैं। इन सात लाख किसानों ने कुल १६,५३७ रिवीजन्स फाइल किये तो क्या यह डिस्सैटिसफैक्शन का सबूत है? चौधरी साहब अगर आपकी इत्तला गलत है तो बरदाश्त करें। इन १६,५३७ रिवीजन्स में से ११,२७२ रिवीजन्स का डिसपोजल हो चुका है फरवरी २८ तक और १,१२२ में कम्प्रोमाइज हो गया है या रिमांड कर दिया गया है। अब जो एक्चुअल डिस्पोजल हुआ वह १०,१५० का हुआ।

अब मैं दीपंकर जी की बात पर आता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह मेरी बात को सुनने की तकलीफ करेंगे। उन्होंने फरमाया कि बहुत से रिवीजन खारिज कर दिये जाते हैं तो इससे फायदा क्या है? आपने यह फरमाया कि रिवीजन्स ९९ या शत प्रति शत खारिज कर दिये जाते हैं। रिवीजन पर गौर नहीं होता। नीचे से जैसे आते हैं उन पर वैसे ही फैसला कर दिया जाता है। अभी तक २,६४५ रिवीजन अलाऊ हुये हैं। २६ फीसदी उस कुल तादाद में से यह होते हैं जो कि कुल रिवीजन की थी। अब तमाम कोर्ट्स के फिगर्स लें लें और चाहे वह जिले की जजी के हों या हाईकोर्ट के लाकर देखें कि रिवीजन की कोर्ट में कितनी संख्या अलाऊ होती है। यहां पर १०० में २६ जब अलाऊ किये गये हों तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि सब खारिज कर दी जाती हैं?

एक साहब ने कहा कि मैं आंकड़े देकर बतला सकता हूं कि ४ खेतों के १० चक कर दिये गये। मुझे बड़ी खुशी है अगर वह मुझे इसके फिगर्स दे सकें। आप दावा तो करते हैं, लेकिन अभी तक फिगर्स नहीं दे सके।

एक बात यह कही गई, शायद आचार्य दीपंकर जी ने कहा था कि पहले सेटिलमेंट के वक्त जो सरकिल रेट थे उनके मुताबिक ही आज के रेट हैं और उसके मुताबिक ही उनका वैल्यूएशन किया जाता है। आपकी शिकायत यह थी कि वह रेट जो तय हुये थे वह अब आउट आफ डेट हो गये हैं और कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिये। आचार्य जी विरोधीदल में बैठते हैं लिहाजा यह जाहिर है कि राजनीतिक विचारों में तो जरूर फर्क है, लेकिन मैं उनकी योग्यता का आदर करता हूं। परन्तु आज मुझे उनकी योग्यता में कुछ सन्देह सा नजर आया, क्योंकि वह पढ़कर देखें रूल ३१ में यह लिखा हुआ है कि कंसालिडेशन कमेटी के मशविरे से ए० सी० ओ० या सी० ओ०, अगर सेटिलमेंट के वक्त जो रेट तय हुये थे उनमें और आज की जमीन की किस्म के रेट में फर्क है तो बदल सकते हैं। बहुत डिटेल में उसमें दिया हुआ है। अगर साढ़े १२ फीसदी का फर्क है तो वह यहां तक नीचे कर सकते हैं। जमीन इतनी खराब हो गयी है कि उस पर रेट ज्यादा मालूम होता है तो जो सेटिलमेंट तय कर चुका है उससे भी नीचे वह कर सकते हैं। यदि फिर भी न्याय नहीं होता तो डाइरेक्टर को आख्तियार है कि वह एक नई क्लास क्रिएट कर दे। तो फिर यह आलोचना निराधार है।

यह कहा गया कि कंसालिडेशन कमेटी का चुनाव होना चाहिये और वह गांव पंचायतों के हाथ में रहने नहीं देना चाहते हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि वह जो पंचायतें होती हैं वह गांव की नुमायन्दा होती हैं। उसमें २०-३० आदमी होते हैं। उसी की एक सब कमेटी है जिसमें ७ से ११ तक आदमी रहते हैं। लेकिन ए० सी० ओ० को यह भी अख्तियार दिया गया है कि १ से ४ तक खास किस्म के, ईमानदार गांव में जो प्रभाव रखते हों ऐसे आदमियों को वह नामिनेट कर सकता है। इस तरह से ११ से १५ तक उसमें हो सकते हैं फिर अजसरेनौ एलेक्शन कराया जाय, यह मुनासिब नहीं मालूम होता है, क्योंकि एलेक्शन में कितनी खराबी होती है वह सब माननीय सदस्य जानते हैं। इसलिये इसको फिर से कराना मैं बुद्धिमानी की बात नहीं समझता।

एक बात और कही गई है कि छोटे किसानों को सताया जा रहा है। किसी भी चीज में कह दो कि भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है और न आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत है। आप एक कयास लेकर चलते हैं कि छोटे किसानों के ऐडवोकेट हम हैं और छोटे आदमियों पर जो जुल्म करने वाले हैं, इधर वाले, हम लोग उनमें हैं। लिहाजा कह दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे कान मुझको धोखा नहीं दे रहे हैं तो मैं चौधरी रघुराज सिंह जी को बात सुन रहा हूं, उल्टे बांस बरेली को। चौधरी रघुराज सिंह आफ शिकारपुर? हः हः हः। बहुत बड़े जमींदार थे, और आज! रंगे जहां बदला है तो किसने बदला है?

उपाध्यक्ष महोदय, जब मुझे नीचे के कर्मचारियों से बात करने का मौका मिलता है तो मैं उनसे कहता हूं कि नौजवानो, तुम बड़े भारी पवित्र काम में लगे हुये हो। तनख्वाह कम मिलती है, रात को दस और बारह तक तुमको काम करना पड़ता है, लेकिन तनख्वाह कोई चीज नहीं है। मुल्क के एग्रीकल्चर को बढ़ाने में तुम लगे हुये हो। यह बड़ा वाइटल टास्क है और मैं उनका बहुत अहसानमन्द हूं कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके साथ बड़े अफसरों को भी कहता हूं कि जहां ५०, ५० की बात हो बड़े और छोटे किसान में और तुमको अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने का ताल्लुक हो, तो छोटे किसान के हक में अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर लो, बड़े की तरफ नहीं। बेईमानी करने का हक तो नहीं दे सकता, लेकिन सारा रेवेन्यू विभाग जानता है कि गवर्नमेंट का मन्शा क्या है और उसका दृष्टिकोण क्या है। सरकार अंडरडाग को उठाना चाहती है वह इस बात से वाकिफ हैं।

[श्री चरणसिंह]

मुजफ्फरनगर की बात मुझे मालूम है कि जिसके कारण सौ आदमी यहां आ गये थे और माननीय मित्र ने उनकी ऐडवोकेसी की थी। मेरे मकान पर भी तीन या चार दिन खाने खाते रहे और सत्याग्रह करते रहे। जिस किसी से पूछा नाम, बताया फलां। जमीन कितनी ? जवाब मिला ९०० बीघे। दूसरे साहब से पूछा, नाम ? चौधरी फलां। जमीन ? ७०० बीघे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे मित्र मुझसे रोज चाहे कितना ही मतभेद रखें, लेकिन मुझे क्रेडिट देंगे इस बात के लिये, पता नहीं देंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि वह मानेंगे कि मैं ऐसे गलत बयानी नहीं करता हूं। ६ या ७ आदमियों से, जो शिकायत करने आये थे, मालूम हुआ कि वे सब २०० से लेकर ९०० बीघे तक के मालिक हैं। उन्हें शिकायत थी। वह गये थे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने लाखों रुपया रिट्स में खर्च किया था। ढाई-ढाई सौ रुपये के रिट पर तो दस्तखत किये थे। एक वकील साहब वकालत करने आये थे मेरे पास। उन्हें शिकायत थी। छोटे किसानों को शिकायत नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया कि बहुत से आदमी कहते हैं कि करप्शन है। मैंने कब कहा था कि करप्शन नहीं है, या नहीं था। लेकिन साथ ही यह है कि बहुत सी चीजें यह दिखाती हैं कि सरकार करप्शन को दूर करने के लिये दृढ़ निश्चय किये हुये है। जहां आपने यह नतीजा निकाला कि करप्शन है, वहां आप को यह नतीजा भी निकालना चाहिये था कि सरकार इसको समाप्त करने पर तुली हुई है। आपने वह क्यों नहीं बयान किया ? इस स्ट्रिक्ट ऐक्शन की वजह से ही ईमानदारी से काम हो रहा है और करप्शन बहुत कम है और कम होता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्द सहाय जी ने कहा कि कलेक्टरों को पावर आफ रिवीजन नहीं देनी चाहिये, क्योंकि वह ओवर बर्डेन्ड हैं। उनके इस कथन में बहुत कुछ सच्चाई है। वाकई वह लोग ओवर बर्डेन्ड हैं। लेकिन चूंकि कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है, अगर उसका ताल्लुक किसी स्कीम में रखा जाता है तो एक तरीके से उसकी सक्सेस फैसिलिटेट हो जाती है, इस वजह से यह रखा गया। बहुत से कलेक्टरों ने मुझसे कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है, आप फलां फलां को पावर दे दीजिये, लेकिन मैं इस बात के लिये राजी नहीं हुआ। अगर मैं उनको इस स्कीम से निकाल दूं और उन्होंने इधर से आखें मीच लीं और मीच ही लेंगे जब उनके पास कोई अख्तियार नहीं रहेगा—तो बहुत कठिनाई पैदा होगी। इसलिये मैं कलेक्टरों को रिवीजन की पावर न देने के लिये राजी नहीं हूं। हां, यह कर दिया है कि जहां रिवीजनों की संख्या बहुत ज्यादा है वहां दूसरे अफसरों को भी पावर दे दी हैं। हमारे चार डिप्टी डाईरेक्टर्स हेडक्वार्टर्स पर हैं, वे भी वहां १०, १५ दिन के लिये चले जाते हैं।

कहा गया कि लोगों का साइकालोजीकल ट्रांसफार्मेशन होना चाहिये। इसमें हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। जहां स्कीम शुरू होती है वहां एक बार शुरू में मैं स्वयं जाता हूं और काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं क्योंकि उनके सुख-दुख का सवाल है। जहां तक राजकर्मचारियों का सवाल है, सेटिलमेन्ट अफसरों की हेडक्वार्टर पर मीटिंग्स होती हैं और वे समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। जितने भी सेटिलमेन्ट अफसर हैं, अगर आज उनको इजाजत दी जाय कि इससे हट जावें, अगर्चे उनको ५० रुपया अलाउंस मिलता है, तब भी कोई रहने के लिये तैयार नहीं है। मैं जानता हूं कि कितनों की तन्दुरुस्ती बिलकुल खत्म हो गई है, इशारतन मुझसे कहते हैं कि इस तहसील के बाद हमें न रखिये। क्या एक-एक किसान को समझाना मामूली बात है ? बहुत सी उनकी शिकायतें भी तरह तरह की आती हैं। जरा सी शिकायत आ जावे और उस पर मेरी कलम से लिखा चला जाय कि डाइरेक्टर आफ कनसालिडेशन इस मामले को देखें और वह उन्होंने भेज दी सेटिलमेन्ट अफसर के पास, बस परेशान है बेचारा। कैसे ठीक करे हरेक का चक ? रात के १०, १२ बजे तक वे लोग काम करते हैं। औरतें तक चली गई हैं अफसरों की पत्नियों के पास कि हम तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, क्योंकि तुम्हारे हसबैन्ड कभी मिलते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि करा दो तो हमें खुशी होगी।

भ्रष्टाचार के लिये कहा गया। वे कहां चले जावें? जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अगर सेटिलमेन्ट की पावर्स उन्हें दे दी जावें तो शायद ही एकाध निकलेगा जो उनसे अच्छा काम कर सके। सीलिंग के लियें कन्सालिडेशन के पहले होने से क्या वास्ता है? सीलिंग आप लगाये रहिये, इससे कोई वास्ता है ही नहीं। लेकिन जब किसी के पास कुछ कहन के लिय ही न हो तो वह क्या करे? चलो यही सही।

डाक्टर बलजीत सिंह की रिपोर्ट है कि "Land for public purposes will reduce the cultivated area," गांव के सार्वजनिक उपयोग के लिये जमीन छोड़ी जा रही है, इसमें भी शिकायत है कि ३ परसेन्ट कल्टीवेटेड एरिया घट जायगा। यह बतला रहे हैं श्री भगवती सिंह जी विशारद। गवर्नमेंट की मालगुजारी बढ़ जायगी, बड़ा जुल्म हो जायगा। यह भी उनको असहनीय है कि गवर्नमेन्ट की मालगुजारी क्यों बढ़े। कहा गया है कि चरागाह घट जावेंगे। कैसे घट जावेंगे, यह नहीं समझा सके।

कहते हैं कि लैंड-लेस लोगों को तकलीफ हो जायगी। समझ में नहीं आया कि कैसे तकलीफ हो जायगी। जब किसान की हालत अच्छी होगी तो क्या लैंड-लेस लेबर की हालत अच्छी न होगी?

यह भी कहा गया कि कंसालिडेशन फीस रियलाइज न करना चाहिए। विकास का काम है, इससे उत्पादन बढ़ेगा, गरीब किसानो का उत्पादन बढ़ जायगा। इसीलिये वह गरीब किसान और गरीब हो जायगा? गांवों में एक कहावत है "यह बात न उठायी जा सकती है न धरी जा सकती है," वह इस पर बिलकुल लागू होती है। कहते हैं कि विकास का काम है, इससे किसानों का उत्पादन बढ़ जाता है इसलिये उनसे फीस न लेनी चाहिये। तो क्या दूकानदारों से फीस लेनी चाहिये? क्योंकि किसान का उत्पादन बढ़ जाता है इसलिये दूकानदार से फीस लेनी चाहिये, या गड़रिये से लेनी चाहिये। मुबारक हो आपको इसके लिये।

हां, और सुन लीजिये। कहा गया कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी को ही कंसालिडेशन कमेटी बना दिया है। ऐसा नहीं है, बिलकुल नहीं है, कभी नहीं था। इन शब्दों के साथ उधर जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं पहले मूल प्रस्ताव को लेता हूं। यदि आवश्यकता हुई तो बाद में संशोधन ले लिये जायेंगे।

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में होने वाली चकबन्दी का कार्य तत्काल स्थगित करके वर्तमान ढंग से होने वाली चकबंदी की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की जांच करायी जाय और तदर्थ एक जांच समिति नियुक्त की जाय, जो अपनी रिपोर्ट ६ माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री उपाध्यक्ष—अब दूसरा संकल्प श्री भीखा लाल जी का है। वे इसे पेश करें।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "सदन की राय में गल्ले तथा अन्य वस्तुओं के मौजूदा मूल्यों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया गन्ने का न्यूनतम मूल्य गेट पर १ रुपया ७ आना तथा सेन्टरों पर १ रुपया ५ आना प्रतिमन बहुत कम है तथा उत्तर प्रदेश के १४ लाख गन्ना उत्पादकों के हितों के सर्वथा प्रतिकूल है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखालाल]

इसलिये सदन की राय है कि केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय कि अविलम्ब गन्ने का न्यूनतम मूल्य गेट तथा सेंटर दोनों पर १ रुपया १२ आना निश्चित किया जाय तथा १ अक्तूबर, १९५७ से सप्लाई किये हुये समस्त गन्ने का यही मूल्य उत्पादकों को देने का आदेश मिल मालिकों को दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने का इस प्रदेश के लिये खास महत्व है और यह संकल्प अपनी जगह पर एक खास महत्व रखता है। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आज यह संकल्प एजेंडे पर आया और बड़ी कोशिश के बाद इस सदन में उसे प्रस्तुत करने का मौका मिला। गन्ना इस प्रदेश की एक मुख्य फसल है जिससे काश्तकारों को नकद रुपया मिलता है। अपने प्रदेश की करीब साढ़े ४ करोड़ एकड़ भूमि में से लगभग ३० लाख एकड़ भूमि में गन्ना बोया जाता है और साढ़े ३ लाख एकड़ भूमि में गन्ना करीब १९ लाख ७० हजार मन उस एरिया में है जो मिलों के लिये रिजर्व है और जो मिलों में सप्लाई होता है। इस गन्ने की पैदावार का सम्बन्ध अपने प्रदेश की १४ लाख जनता से है। अपने देश में गन्ने का उत्पादन, जैसा कि सरकारी आंकड़ों से विदित होता है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, अपने प्रदेश में चीनी उद्योग नं० १ का उद्योग है और अपने देश में जितनी चीनी उत्पन्न होती है उसका करीब ५७ प्रतिशत अपने उत्तर प्रदेश में पैदा की जाती है। और जहां तक चीनी मिलों का सम्बन्ध है, अपने देश में जितनी चीनी मिलें हैं, उनका ५० प्रतिशत अपने प्रदेश में मिले हैं और सरकारी आंकड़ों के देखने से यह भी विदित होता है कि काश्तकारों के सतत् प्रयत्न से चीनी का उत्पादन दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है।

अब असल में देखने की जरूरत यह है कि काश्तकारों को अपने इस प्रयत्न के लिये जो कि वे देश के उत्थान के लिये कर रहे हैं, क्या फल मिलता है और उनके साथ मिल मालिकों की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या व्यवहार किया गया है। इस उद्योग को बढ़ाने के लिये गन्ने के उत्पादकों का काफी सहयोग रहा है और उन्होंने वर्षों से अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे का योगदान करके इस उद्योग को बढ़ाने में सहयोग दिया है। जिस समय यहां पर अंग्रेज हुकूमत करते थे उस समय भी इस उद्योग को बढ़ाने के लिये काश्तकारों के पैसे का शोषण किया जाता था और मिल मालिकों को बराबर प्रोत्साहन दिया जाता था। मिल मालिकों के मुकाबले में काश्तकारों की उपेक्षा की जाती थी। जब अंग्रेज यहां से गये और देश आजाद हुआ तथा कांग्रेस हुकूमत कायम हुई तो इस हुकूमत ने भी अंग्रेजी हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा काश्तकारों की उपेक्षा की है, मैं यही कहूंगा। और अगर इस चीनी उद्योग के पुराने इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो मैं अपने कथन की पुष्टि में बहुत संक्षेप में इसके इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा।

मान्यवर, सन्, ३२ में जब कि यहां पर चीनी मिलों की तादाद कम थी, चीनी इतनी तादाद में पैदा नहीं होती थी कि वह अपने देश की जरूरत के लिये पूरी हो सके, तो उस वक्त में जावा से चीनी आती थी और उस चीनी के दाम यहां की बनी हुई चीनी से कम होते थे और बाजार में वह कम दाम पर बिकती थी, उस वक्त मिल मालिकों ने सरकर पर जोर दिया कि अगर यह जावा की चीनी इसी तरह से यहां आती रही तो हमारी चीनी का प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उसकी खपत बाजार में नहीं हो सकेगी और इस तरह से मिलों को घाटा होगा। सरकार ने उनकी बात को माना और उनकी ओर ध्यान देकर इस उद्योग को प्रोटेक्टेड उद्योग डिक्लेयर किया और एक रुपया फी मन एक्साइज ड्यूटी लगाकर जावा की चीनी की कीमत को अपने यहां की उत्पादित चीनी की किमत के स्तर पर लाने की कोशिश की और उस १ रु० प्रति मन ड्यूटी से जो आय सरकार को हुई वह भी सरकार की ओर से मिल वालों को सबसिडी के तौर पर दी गई। मतलब यह है कि जो रुपया सरकार को ड्यूटी के रूप में मिलना चाहिये था उसका घाटा सहकर उसे मिलमालिकों को सबसिडी के रूप में दिया गया

और काश्तकारों की गन्ने की कीमत कम की गई । उसी वक्त से काश्तकारों की गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में उपेक्षा हुई और काश्तकारों के पैसे के बल पर मिलमालिकों को प्रोत्साहन मिलने लगा ।

उसके बाद थोड़े से अरसे में ही हमारे यहां बहुत सी चीनी मिलें कायम हुईं और २ साल में, सन् ३४ तक उनकी संख्या दुगुनी हो गई । उसके बाद सन् ३६ में जब अपनी कांग्रेस सरकार पावर में आई उस समय उसने मिल मालिकों से मिलकर एक शुगर सिन्डीकेट बनाया और उसको आजादी दी कि वह अपनी मर्जी से गन्ने की कीमत मुकर्रर करे और अपनी मर्जी से ही शक्कर की कीमत भी मुकर्रर करे । इसका नतीजा यह हुआ कि उस समय भी किसानों को गन्ने के उचित दाम नहीं मिले । उसके बाद सन् ४६ में जब मिलों की तादाद ज्यादा बढ़ी और गन्ने की सप्लाई मिलों में इरेंगुलर हुई तब डाक्टर काटजू कोआपरेटिव प्लान को अमल में लाये और यह स्कीम रखी कि कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये से गन्ना मिलों को सप्लाई किया जाय । वह स्कीम आई । सब जगह कोआपरेटिव सोसाइटियां बनीं और हर सोसाइटी का क्षेत्र मुकर्रर किया गया और उस के जरिये से किसान अपने क्षेत्र की मिलों पर ही गन्ना ले जाने पर मजबूर हो गये और बाजार में कोई कम्पिटीशन नहीं रहा । उसका नतीजा यह हुआ कि सन् ४८ में गन्ने के दाम १ रुपया और १२ आने तक रह गये जब कि सन् ४६ में दो रुपए मन तक गन्ना बिका था, लेकिन इस वक्त किसानों की मजबूरी का लाभ उठाकर और मौके का फायदा उठाकर गन्ने की कीमत में ४ आने की कटौती की गई और वह चीज कुछ दिन तक चलती रही ।

फिर सन् ५१–५२ में बाजार में एक और चढ़ाव उतार आया और गुड़ के दाम एक दम गिरकर ६ रुपया और ७ रुपया फी मन तक रह गये और उसका नतीजा यह हुआ कि गन्ना उत्पादकों ने अधिक गन्ना मिलों में ले जाना शुरू किया और जब मिलों में गन्ने की अधिक भरमार हुई तो मिलमालिकों ने फिर किसान की मजबूरी का लाभ उठाया और यहां तक हुआ कि किसानों को मिल गेट्स पर दो दो, तीन तीन दिन खड़ा रहना पड़ता था और कोई उनका गन्ना लेने के लिये तैयार नहीं होता था और उस मजबूरी का लाभ उठाकर गन्ना ४ आना, ६ आना और ८ आना मन तक खरीदा गया और उधार भी खरीदा गया और बाद में उसका पैसा देने का वादा किया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि लाखों और करोड़ों रुपए की तादाद में किसानों के दाम मिलमालिकों के पास बाकी हो गये ।

उस वक्त इन परिस्थितियों में जब गन्ने की इस तरह भरमार हुई, मिलों में बहुत काफी गन्ना आने लगा, मिल वालों ने फिर इसका फायदा उठाया और कहा कि शक्कर की कीमत भी बहुत गिरती जा रही है, इसलिए गन्ने की कीमत कम की जाय । उनकी बात को फिर माना गया और १ रुपया १२ आना से घटाकर गन्ने का कीमत १ रुपया ३ आने और १ रुपया ५ आने मन कर दी गई । यह ५१–५२ का साल अपने प्रदेश में पीक ईयर था जब कि सबसे ज्यादा पैदावार गन्ने की हुई और शक्कर की हुई जो कि आज सन् ५७ के बराबर है । इस कीमत के घटाने का और पैसे के बकाया रहने का, मिल वालों की ज्यादतियों का नतीजा यह हुआ कि पैदावार में फिर कमी हुई, एकरेज गिरा, पैदावार गिरी जो कि तीन चार साल के बाद सन् ५७ में आकर के फिर बढ़ी । इसी दरमियान में जब इस तरह से कीमतें घट गईं तो अपने प्रदेश में मिल के काश्तकारों ने हड़ताल शुरू की और उन्होंने इस बात की मांग की कि हमारी ज्यादा उपज से और मिल वालों के कहने से यह बेजा फायदा उठाया है और सरकार ने भी उनकी बातों पर ध्यान देकर के हमारी मजबूरियों से उनको फायदा पहुंचाने के लिए कीमतें घटायी हैं । उनको फिर बढ़ाया जाय और १ रुपया १२ आने मन किया जाय और यह भी मांग की कि यह जो भेद सेंटर का और गेट का रखा जाता है दो आने मन का यह भी न रखा जाय और मिल में जो मुनाफा होता है उसका भी कुछ हिस्सा गन्ना उत्पादकों को दिलाया जाय । यह मांगें सरकार के सामने रखी गईं ।

[श्री भीखालाल]

उस समय स्वर्गीय किदवई जी बीच में पड़े और उन्होंने मिल मालिकों के बीच में और किसानों के बीच में यह समझौता कराया कि काश्तकारों को गन्ने की मौजूदा कीमत के ऊपर चार आने मन एक्सट्रा प्राइस दिलवाई जायगी। लेकिन मुझे दुख है कि वह नहीं हुआ।

उन्होंने एक बात और उस समय तय की कि फिलहाल यह कीमतें जो तय की गई हैं वह चलती रहेंगी, लेकिन हम एक ऐसा फार्मूला बनायेंगे जिससे कि भविष्य में जैसे-जैसे शक्कर की कीमत बढ़ती जाय वैसे वैसे ही गन्ने की कीमत भी बढ़ाई जाय। मुझे दुख है कि आज चार पांच साल गुजर गए, लेकिन उस स्वर्गीय आत्मा के उन वादों की पूर्ति नहीं की गई है। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि सन् ५४ में गन्ने का रकबा बराबर घटने लगा और घटता रहा। लेकिन इस आन्दोलन का फल यह हुआ कि सरकार को मजबूर होकर गन्ने की कीमत फिर १ रुपया ५ आने और १ रुपया ७ आने मन करनी पड़ी जो कि इस समय चल रही है।

अब हमने जो संकल्प रखा है उस के जरिये हमने यह मांग की है कि गन्ने की कीमत १ रुपये १२ आने मन बढ़ाकर के की जाय और उसमें सेंटर और गेट का कोई भेद न किया जाय। हमने यह भी मांग की है कि हमारी सरकार भारत सरकार से गन्ने की कीमत बढ़ाने की सिफारिश करे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है और वह यह है कि सन् ४८ में जब १ रुपया १२ आने मन गन्ने की कीमत रखी गई थी उस वक्त बाजार में अन्यान्य चीजों का भाव जो था वही भाव आज सन् ५७ में पहुंच गए हैं। जिन बातों को ध्यान में रखते हुए १ रुपया १२ आना मन कीमत तय की गई थी वह सब बातें आज सन् ५७ में पहुंच चुकी हैं। जब बाजार में चीजों के भाव वही हैं तब गन्ने का भाव १ रुपया १२ आना मन जो सन् ४८ में रखा गया था वही क्यों न किया जाय? दूसरे उस वक्त शक्कर की कीमत बहुत कम थी, ९ आना सेर रिटेल प्राइस थी, लेकिन आज शक्कर के भाव १ रुपया सेर है। जिस समय शक्कर का भाव इस कदर बढ़ा हुआ है तो क्या वजह है कि काश्तकारों के गन्ने की कीमत न बढ़ायी जाय?

दूसरी बात है, गन्ने की उपज का सरकार का जो लक्ष्य है उसको अगर पूरा करना है तो अगर गन्ने की कीमत इस तरह घटायी जायगी तो लामुहाला काश्तकार गन्ने को छोड़कर दूसरी उपज की तरफ जायगा। इसलिये अगर सरकार गन्ने और चीनी के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है तो उसको दूसरी चीजों के मूल्यों को देखते हुये गन्ने के मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा और मौजूदा स्तर पर उसे लाना पड़ेगा। हम जब ऐसा कहते हैं तो हम इस मांग को मुनासिब समझ कर कहते हैं। और अगर मुनासिब मांग न होती तो एक मिसाल अपने देश में मौजूद है कि बिहार असेम्बली ने एक प्रस्ताव पास किया और पास करके भारत सरकार को सिफारिश की है कि गन्ने का मूल्य १ रुपये १२ आने मन किया जाय। हमारे देश में बिहार और यू० पी० दो ही सूबे ऐसे हैं जिनमें शक्कर के उद्योग सबसे आगे हैं। बिहार की सरकार जब उस बात की पहल कदमी कर सकती है कि गन्ने के उत्पादकों के लाभ के लिये आगे बढ़ती है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इसमें कौन सी हिचक है। इसलिये हम यह प्रस्ताव करते हैं और यह संकल्प रखते हैं कि सरकार इस संकल्प को माने और मान करके केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करे कि गन्ने का मूल्य १ रुपये १२ आना मन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, सन्, १९४८ से आज तक गन्ने की कीमत घटती गई है। १ रुपये १२ आना मन से १ रुपये ३ आना और १ रुपये ५ आना मन तक हो गई। ९ आना, और ७ आना मन का फर्क हुआ। अगर सन् १९४८ से हिसाब लगाया जाय तो आपको पता लगगा, और मैं बता देना चाहता हूं आपके द्वारा सदन को कि करीब ८० करोड़ रुपये का फायदा मिल मालिकों को इस घटी हुई प्राइस से हुआ है। चीनी के उपर जो मुनाफा उनको होना चाहिए

उसको छोड़ करके ८० करोड़ रुपये का मुनाफा खाली काश्तकारों की कीमत को घटा करके मिलमालिकों ने लिया है और सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। मैं पूंछना चाहता हूं कि किसानों के ८० करोड़ रुपये का शोषण करके जो मिलमालिकों को दिया गया इसमें से काश्तकारों को क्या हिस्सा मिला ? भल ही कांग्रेस सरकार को चुनाव फंड में मिल गया हो, लेकिन काश्तकारों को कुछ नहीं मिला।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को सदन मंजूर करे, सरकार इसको मंजूर करे और केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करे कि प्रदेश में गन्ने का मूल्य सेंटर पर और गेट पर, दोनों जगह १ रुपये १२ आना मन मुकर्रर किया जाय।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भीखा लाल जी को बधाई देता हूं कि सोती हुई सरकार को जगाने के लिये उन्होंने इस सदन में ऐसा प्रस्ताव उपस्थित किया। सरकार की खास तौर से जिम्मेदारी है उस वक्त में जब कि सरकार अपनी तरफ से कानून बना करके किसी सौदे को किसी विशेष कारखाने के हाथ बेचने के लिये किसानों को मजबूर करे। मैं नहीं जानता हूं माननीय उद्योग मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं। लेकिन विश्वास यह है कि उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि हमारे सूबे में एक ऐसा कानून है जिसके मुताबिक किसान को सरकार जो कुछ तय करेगी कि किस कारखाने के हाथ उसका गन्ना बेचा जायगा उसी के हाथ किसान अपना गन्ना बेच सकता है। उसी के साथ-साथ सरकार कुछ मिनिमम प्राइस भी फिक्स करती है कि इस कीमत पर बेचना पड़ेगा। कहने के लिये यह बात जरूर है कि मिनिमम प्राइस फिक्स इसलिये सरकार करती है कि उससे कम कीमत पर कोई न खरीदे, लेकिन हमारे यहां परिपाटी रही है कि मिनिमम प्राइस फिक्स होने के बाद भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिससे किसान उससे कम कीमत पर गन्ना बेचने के लिये मजबूर हो। सरकार अपने कानून में यह भी कर देती है कि मई के बाद अगर गन्ना पेरा जाय तो एक स्लाईडिंग स्केल बना देती है। उसके अनुसार रिकवरी पर गन्ने की कीमत किसान को मिलती है। आखिर में यहां तक पहुंच जाती है कि ८ आने मन तक कीमत पहुंच जाती है जितना कि उसको ढोने में और तैयार करने में खर्च करना पड़ता है। इस बीमारी में उत्तर प्रदेश ही फंसता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकार का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है जब वह अपने हाथ में खरीद और बिक्री के काम को ले लेती है। सरकार ने ऐसा करके किसानों के साथ अन्याय किया है। उन्हें मजबूर किया है कि वे खुले बाजार में अपना सौदा बेच नहीं सकते। अगर किसान को ज्यादा कीमत मिल सकती है तो उस सुविधा को पाने से सरकार उसे रोकती है।

पश्चिम के रीजन में किसान को मिल वाले १ रुपये ७ आने से १ रुपये ५ आने या ४ आने तक दे रहे हैं। ३ आने ट्रान्सपोर्ट चार्जेज काटने का भी उनको अख्तियार है। लेकिन जो खांडसारी बनाने वाले हैं वे इस समय १ रुपये १२ आने तक दे रहे हैं और १ रुपये ९ आने से कम कोई नहीं देता। ज्यादा कीमत दे कर वे खांडसारी बनाते हैं और उसे बेच लेते हैं। दो बातों की तरफ इस सम्बन्ध में ध्यान देना है। एक तो कोई बहुत अच्छी टेक्नीक नहीं है, लेकिन वे बड़ी चीनी मिलों से ज्यादा कीमत देकर गन्ना खरीदते हैं और फिर जो खांडसारी तैयार होती उससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त नहीं होती। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये रवादार चीनी चाहिये जो चीनी मिलें ही तैयार कर सकती हैं। मैं खांडसारी का कायल हूं। लाखों आदमियों को उससे रोजी मिलती है, लेकिन विदेशी मुद्रा की भी जरूरत है। तो इसके लिये चीनी मिलों को गन्ना मिलना चाहिये। सीधी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग मंत्री जी को इस बात पर गौर करना चाहिये कि पिछले सीजन में जितनी चीनी हमारे सूबे में तैयार हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

थी उतनी चीनी इस साल बनने नहीं जा रही है और वह इसलिये नहीं बनने जा रही है कि काश्तकार मजबूर हुआ अपने खेतों में दूसरी चीज पैदा करने के लिये। गन्ने की पैदावार कम हुई। उससे भी चीनी का उत्पादन घटेगा।

सरकार का ध्यान इस तरफ न हो लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आखिर फेयर डील किसान को मिलना चाहिये। मैं आपकी आज्ञा से प्लानिंग कमीशन ने सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान के पृष्ठ २७६ पर जो कहा है उसकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है—

"The primary consideration in the development of agricultural marketing is so to organize the existing system as to secure for the farmer his due share of the price paid by the consumer and serve the needs of planned development."

यह प्लानिंग कमीशन की मंशा है। अगर इस बात को पूरा करना है, तो मैं समझता हूं कि कंज्यूमर को ३५ रुपये मन से ले कर ३८ रुपये मन तक चीनी मिलती है। जब ३५ से ३८ रुपये मन तक चीनी बिके तो कौन सा इंसाफ है कि उस काश्तकार को १ रुपया ७ आना दिया जाय? मैं आपका ध्यान स्वर्गीय रफी साहब के उस कथन की तरफ दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने २० नवम्बर, १९५२ को जब कुछ एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई थी उस समय उत्तर देते समय पार्लियामेन्ट में दिया था। पेज ९३४ पर उन्होंने यह कहा था—

"The new sugar that will be produced will cost between Rupees six and Rupees seven less per maund."

यानी सन् ५१–५२ में जब चीनी का भाव साढ़े ३० रुपये मन था तो ७ रुपये कम करने से साढ़े २३ रुपये हुये। तब गन्ने का दाम १ रुपये ५ आने था। उस बात को पुष्ट करने के लिये मैं शुगर टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट से जिसके चेयरमैन श्री जी० एल० मेहता साहब थे, उसके बाद इतनी बड़ी इन्क्वायरी शुगर इंडस्ट्री के सम्बन्ध में हुई नहीं, वह रिपोर्ट सन् १९५० की है, उसके वाल्यूम १, पेज १३५ पर उन्होंने १०–१५ छोटी बड़ी फैक्टरियों का सर्वे करके दो टेबिल्स बनाये। एक टेबिल में जिसमें गन्ने का दाम १ रुपये १० आने रखा उसमें उन्होंने कहा कि चीनी २७ रुपये ८ आने मन बिकनी चाहिये और दूसरी में जब गन्ने का दाम १ रुपये ७ आने मन रखा तो कहा कि चीनी २४ रुपये १२ आने मन बिकनी चाहिये। इधर कोई कहे कि चीनी का दाम २३ रुपये मन कभी रहा है तो मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी उसे मानने को तैयार नहीं होगा। मैं पुराने किस्से में नहीं जाता, मैं दो एक बातें जरूर याद करा देना चाहता हूं कि सन् ४७–४८ में जब चीनी का दाम ३५ रुपये मन था तो गन्ने का कम से कम दाम २ रुपये मन था, उससे ज्यादा भी बिक सकता था।

उसके बाद सन् ५१–५२ में जब चीनी का भाव ३० रुपये ८ आने हुआ तो गन्ने का दाम १ रुपये १२ आने हुआ। मैं कहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में भी सन् ४४–४५ में जब चीनी का भाव १६ रुपये मन था तो गन्ने का भाव १४ आने मन था। यह ध्यान में रखना चाहिये कि जितनी चीनी की कीमत बढ़ती जायगी उतना ही मिलों को मुनाफा बढ़ता जायगा क्योंकि चीनी की कास्ट आफ प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी चाहे ३० रुपये मन बिके चाहे ४० रुपये मन बिके। तो फिर जब ३४ और ३८ रुपये मन के बीच में चीनी बिक रही है तो काश्तकार को १ रुपये ७ आने मन गन्ने का दाम क्यों दिया जा रहा है? यह बात एक्सप्लेन करने की उस तरफ से है। अगर कीमत तय करने का कोई उसूल है तो वह यह है कि काश्तकार का जो खर्चा गन्ना पैदा करने में पड़ता है उससे कम कीमत न दी जाय। अगर कम दी जाती है तो फिर उस बेचारे को बरबाद करना है। यह मैं बता देना चाहता हूं कि यह काश्तकार थोड़े नहीं हैं। यह कम से कम २० लाख परिवार हैं और उपाध्यक्ष महोदय, उनमें करोड़ों आदमी होंगे। अगर सरकार फेवर न करे तो कम से कम उसे इंसाफ तो करना चाहिये।

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी की सेवा में शुगर टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसका पृष्ठ १२४ देखने की कृपा करें। हमने देखा कि इसमें बड़े साफ तौर से लिखा है। उन लोगों ने बहुत विस्तार के साथ इस बात का सर्वे किया है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन गन्ने की क्या होती है। अन्य सूबों को मैं समय की कमी के कारण छोड़ देता हूं, उत्तर प्रदेश में एक रुपया सवा सात आने मन गन्ने की पैदावार का खर्चा पड़ता है और यह १९५० के पहले का है। मैं नहीं समझता कि इसके बाद गन्ने की पैदावार में खर्चा कम हुआ हो। अब चीनी के उत्पादन का खर्चा बढ़ा है तो गन्ने के प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। आज लोहा, सीमेंट, कपड़ा तथा अन्य सब चीजों का खर्चा बढ़ा है और मालगुजारी जो पहले थी वह भी बढ़ी है, तो यह निश्चित है कि गन्ने के प्रोडक्शन में भी खर्चा बढ़ा है।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आज अगर हम श्री गेंदासिंह जी के भाषण से ही समाप्त करें तो कोई हर्ज नहीं है।

(श्री गेंदासिंह से) माननीय शाह कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं इसलिये आप एक दो मिनट पहले समाप्त कर दें।

श्री गेंदासिंह---मैं यह कहना चाहता हूं कि शुगर इंडस्ट्री पर हमारी इकोनामी डिपेंड करती है और सरकार को भी इससे बड़ी रकम मिलती है। पिछले वर्ष २७ करोड़ मन से ज्यादा गन्ना मिल वालों को मिला है और ३६ रुपये मन चीनी का रेट था। अगर एक्साइज ड्यूटी का रेट हम मान लें और ५ आने की हमारी कमी दी जाय तो ८ करोड़ रुपया पिछले वर्ष हमारा गया।

एक दफा, उपाध्यक्ष महोदय, १९५२-५३ में हम समझते थे कि कंज्यूमर्स को सस्ती चीनी मिल सकेगी। इसलिये उस समय हम लोग बरदाश्त कर गये और १९५३-५४ में हमने झगड़ा किया और माननीय पंत जी मध्यस्थ बने और यह तय हुआ कि अगर ऊंची कीमत में चीनी बिके तो काश्तकार को भी हिस्सा दिया जायगा। और यह ऐग्रीमेंट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया, यू०पी० गवर्नमेन्ट और मिलमालिकों में हुआ कि २७ रुपये मन के ऊपर अगर चीनी बेची जायगी तो उसमें से हिस्सा दिया जायगा। यह जानने की बात है कि मद्रास में और आन्ध्र में हमसे सीजन का ड्यूरेशन ५२-५३ में कम पड़ा और रिकवरी भी कम आई, लेकिन तब भी जो उनके लिये मिनिमम प्राइस गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने फिक्स की वह ३,४ और ५ आना उनको हमसे ज्यादा मिली। वह हमको नहीं मिल सकी।

अन्त में एक बात यह भी कह दूं कि बिहार की असेम्बली ने १ रुपया १२ आना मन का रेट एक मत से पास किया। आज यू०पी० की सरकार को चैलेन्ज है कि यहां पर गैर सरकारी प्रस्ताव पेश है, अगर बिहार की असेम्बली और बिहार का कोई मिनिस्टर इसका विरोध नहीं करता है तो आज देश भक्ति, किसान भक्ति और हमारी इकानामी को मजबूत करने के लिये मैं उधर के लोगों से कहता हूं और खासतौर से अगली कुर्सी पर बैठने वालों से कहता हूं कि यह जो प्रस्ताव आया है उस पर आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। उस पर केवल सिफारिश करनी है। इसकी कीमत को फिक्स करने का काम भी सरकार को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये, बल्कि इस काम के लिये कोई परमानेन्ट बाडी बननी चाहिये कि जो उसका फैसला करे। मैं चाहता हूं कि वह अगली मर्तबा इस तरह का अमेंडमेंट देंगे। इसमें सिर्फ सिफारिश करने की बात है। आज यदि बिहार की सरकार १ रुपया १२ आना के लिये सिफारिश कर सकती है तो उस तरफ बैठनेवालों को भी इस बात की सिफारिश करनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप देशभक्ति और किसान-भक्ति का परिचय दें और भोखालाल जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करें और यहां से गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को सिफारिश करके भेजा जाय।

श्री सुरथबहादुर शाह—आपको श्रीमन्, याद होगा कि इस बजट सेशन के प्रारम्भ में माननीय मुख्य मंत्री ने हम लोगों को इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि यह जो नान, आफिश्यल डेज इस्तेमाल किये जा रहे हैं इनकी एवज में हम लोगों को मौका मिलेगा और ये दिन हमको मिलेंगे। चूंकि यह मामला इतना अहम है और इसका खास किसानों से ताल्लुक है इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ५ तारीख को जब असेम्बली बैठे तो इसी विषय पर डिबेट जारी रहे।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभासचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—५ तारीख को तो काम पहले से निश्चित है। उस दिन सेल्स टैक्स बिल आना है, उसका पास करना जरूरी है। उसके बाद फिर जब कभी बैठेंगे तो जरूर ये दिन दिये जायेंगे। इन दिनों के लिये तो हमारा वादा है वह हम जरूर देंगे।

श्री सुरथबहादुर शाह—यह 'जब कभी' की बात तो समझ में नहीं आई। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अभी एक प्रस्ताव पर तो बात हो जाय। मैं यह समझता हूं कि शांति प्रपन्न जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर दोनों तरफ से बात चीत हो जाय और कोई समुचित दिन ३ तारीख तक वह बता दें तो ठीक है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं अपने नेता से बात चीत करूंगा और ३ तारीख को इसके बारे में बता दूंगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर बृहस्पतिवार, ३ अप्रैल, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,

२८ मार्च, १९५८।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७१ पर)

CONFIDENTIAL.

FROM

THE CIVIL SURGEON,
AZAMGARH,

To

THE MEDICAL OFFICER INCHARGE,
HOSPITALS AND DISPENSARIES,
DISTRICT AZAMGARH.

No. Cir. 11-57. *Dated Azamgarh, December* 12, 1957.

Female patients attending the out-door department should as a rule be examined and treated by Lady Doctors. In case a female patient has to be examined and treated by a male doctor such female patient should be examined in the presence of a female attendant. All concerned should note for strict compliance.

(Sd.) V. N. TANGRI, P.M.S. I,
Civil Surgeon, Azamgarh.

नःथी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

State Sanatorium

Serial no.	Name of Sanatorium	Number of beds	Remarks
1	K. E. VII Sanatorium, Bhowali, district Naini Tal	326	
2	Gethia Sanatorium, Naini Tal ..	50	
3	T. B. Sanatorium, Etawah ..	28	
4	Sarojini Naidu Memorial Hospital and Sanatorium, Ferozabad, Agra ..	26	
5	T. B. Hospital at District Jail, Sultanpur ..	118	
6	T. B. Hospital, Allahabad	45	
7	T. B. Hospital, Hathras	25	
1	Sri Brij Sewa Samiti T. B. Sanatorium, Vrindaban, Mathura	150	Nor-State.
2	Kasturba T.B. Clinic and Hospital, Lucknow	80	Ditto.
3	T. B. Hospital, Basti	30	Ditto.

Serial no.	Number of T. B. Ward	Number of beds	Remarks
1	District Hospital, Mainpuri	3	State
2	Ditto Sitapur	4	Do.
3	Ditto Muzaffarnagar ..	8	Do.
4	Ditto Basti	6	Do.
5	Ditto Budaun	14	Do.
6	Ditto Aligarh	12	Do.
7	Ditto Bareilly	6	Do.
8	Ditto Jhansi	3	Do.
9	Lala Lajpat Rai Hospital, Kanpur ..	22	Do.
10	Sarojini Naidu Hospital, Agra	20	Do
11	Levett Hospital, Ramnagar, Varanasi ..	26	Do
12	Mission Hospital, Fatehagarh	28	Christian Mission.
13	I. D. Hospital, Kanpur	50	State
14	P. L. Sharma Hospital, Meerut	20	Do.

Serial no.	Name of T. B. Clinic	Number of beds	Remarks
1	T. B. Clinic, Allahabad	.. ..	Government.
2	Ditto Bareilly	.. ..	Do.
3	Ditto Varanasi	.. ..	Do.
4	Ditto Dehra Dun	.. ..	Do.
5	Ditto Meerut	.. 6	Private.
6	Ditto Jhansi	.. ..	Government.
7	Ditto Moradabad	.. 4	Private.
8	Ditto Muzaffarnagar	.. 1	Do.
9	Ditto Mathura	.. ..	Do.
10	Ditto Gorakhpur	.. 4	Do.
11	Ditto Saharanpnr	.. 4	Do.
12	Ditto Kanpur	.. 12	Do.
13	Ditto Gonda	.. ..	Do.
14	Dit o Kanpur for labour	.. ..	Government.
15	Ditto Bulandshahr	.. ..	Do.
16	Ditto Rampur	.. 6	Private.
17	Ditto Hardoi	.. ..	Do.
18	Ditto Lucknow	.. ..	Lucknow University
19	Ditto Sitapur	.. ..	Private
20	Ditto Ghazipur	.. ..	Do.
21	Ditto Almora	.. ..	Do.
22	Ditto Kheri	.. ..	Do.
23	Ditto Bhowali	.. ..	Government.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८९ पर)

उपरोक्त हाइड फलेइंग इन्सपेक्टर के कार्य निम्नलिखित हैं:

१—रतनपुर, सरायभारती, बांसडीह, बिलथरा रोड, ज़िला बलिया बांरी-चौरा, जिला गोरखपुर तथा सलेमपुर जिला देवरिया हाइडफ्लेइंग सेंटरों का कार्य भार देखना ।

२—अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण करके हाइड फ्लेइंग सोसाइटियों के कार्य कर्ताओं को संबंधित टेक्निकल सलाह देना एवं वैज्ञानिक रीति से खाल उतारने, सिझाने तथा पूर्ण शव उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी कराना व उत्सुक चर्मकारों को सहकारी रूप से कार्य करने हेतु प्रोत्साहन देना तथा राजकीय सहायता उपलब्ध करा कर उनके जीवन स्तर के साथ-साथ चर्मकला को प्रगति देना ।

३—उपरोक्त केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित जिला पशुधन अधिकारियों को भेजना ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८९ पर)

राज्य के विभिन्न जिलों में गौ वध निवारण अधिनियम, १९५५ की धारा ३ और ४ के अन्तर्गत १ फरवरी, १९५६ से ३१ जनवरी, १९५८ तक चालान किये गये तथा दण्डित व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी तालिका

क्रम-सं०	नाम जिला	चालान किय गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या
१	२	३	४
१	बुलन्दशहर	२५	११
२	सुल्तानपुर	४२	६
३	मुरादाबाद	२१५	५२
४	मथुरा	१२	९
५	जौनपुर	३१	२१
६	फर्रुखाबाद	२३	६
७	गोरखपुर	२	०
८	गोंडा	३५	०
९	पीलीभीत	७४	२६
१०	रायबरली	३०	१६
११	शाहजहांपुर	१०	५
१२	खीरी	१	०
१३	मरठ	१९७	२६
१४	फैजाबाद	११	०
१५	जालौन	१०	३
१६	अलीगढ़	१८	०
१७	कानपुर	१६	०
१८	सीतापुर	१४	४
१९	सहारनपुर	१०१	४६
२०	बदायूं	३७	२५
२१	रामपुर	२१०	७९
२२	मुजफ्फरनगर	२०	१४
२३	प्रतापगढ़	११	८
२४	बहराइच	६५	२३
२५	झांसी	१	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	नाम जिला				चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या
१	२				३	४
२६	एटा	..	..	..	३७	२१
२७	फतेहपुर	..	..	..	२९	९
२८	बस्ती	..	..	..	९१	५१
२९	देवरिया	..	..	..	११	२
३०	आजमगढ़		..	..	१४	८
३१	बरेली	..	..	..	८६	४५
३२	इलाहाबाद		..	..	१५	७
३३	हरदोई	..	..	..	५	५
३४	आगरा	..	..	..	७	१
३५	इटावा	..	..	..	३७	११
३६	नैनीताल	..	..	..	६	०
३७	लखनऊ	..	..	..	९	०
३८	बाराबंकी		..	..	२०	९
३९	बिजनौर	..	..	..	७६	४४
४०	उन्नाव	..	..	..	१७	०
४१	बलिया	..	..	..	०	०
४२	गाजीपुर	..	..	..	०	०
४३	टेहरी गढ़वाल		..	..	०	०
४४	वाराणसी	..	..	..	०	०
४५	हमीरपुर	..	..	..	०	०
४६	देहरादून	..	..	..	०	०
४७	मैनपुरी	..	..	..	०	०
४८	बांदा	..	..	..	०	०
४९	अलमोड़ा	..	..	..	०	०
५०	गढ़वाल	..	..	..	०	०
५१	मिर्जापुर	..	..	..	०	०
			योग	..	१,६७१	५९४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२९ एल० ए०—१९५८—८३५ ।